

करेंट अफेयर्स

# Workbook

मई 2025



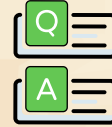
प्रोग्रेस ट्रैकिंग  
टेबल



मुख्य परीक्षा हेतु  
अभ्यास प्रश्न



एथिक्स  
केस स्टडी



MCQs



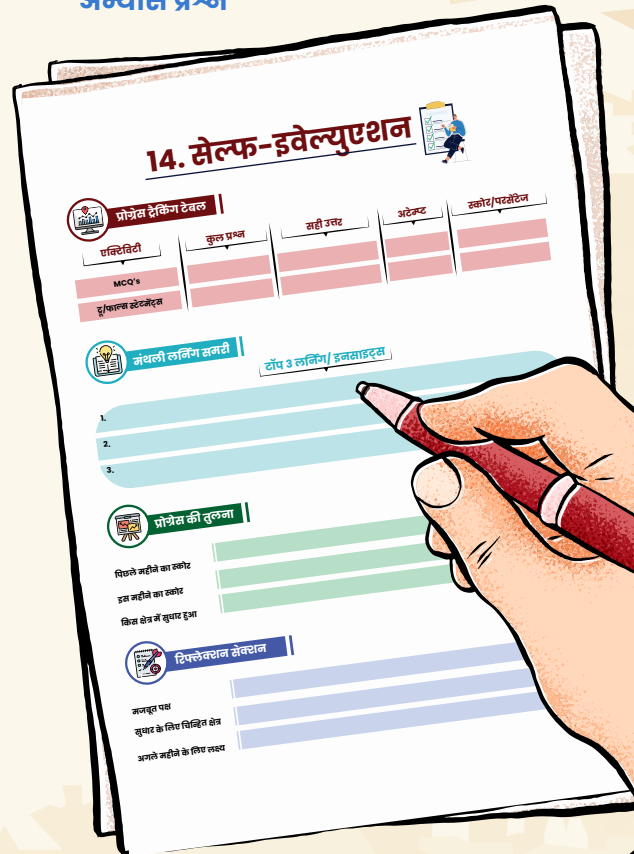
स्मरणीय  
तथ्य



सारांश



ट्रू/फाल्स  
स्टेटमेंट्स



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज

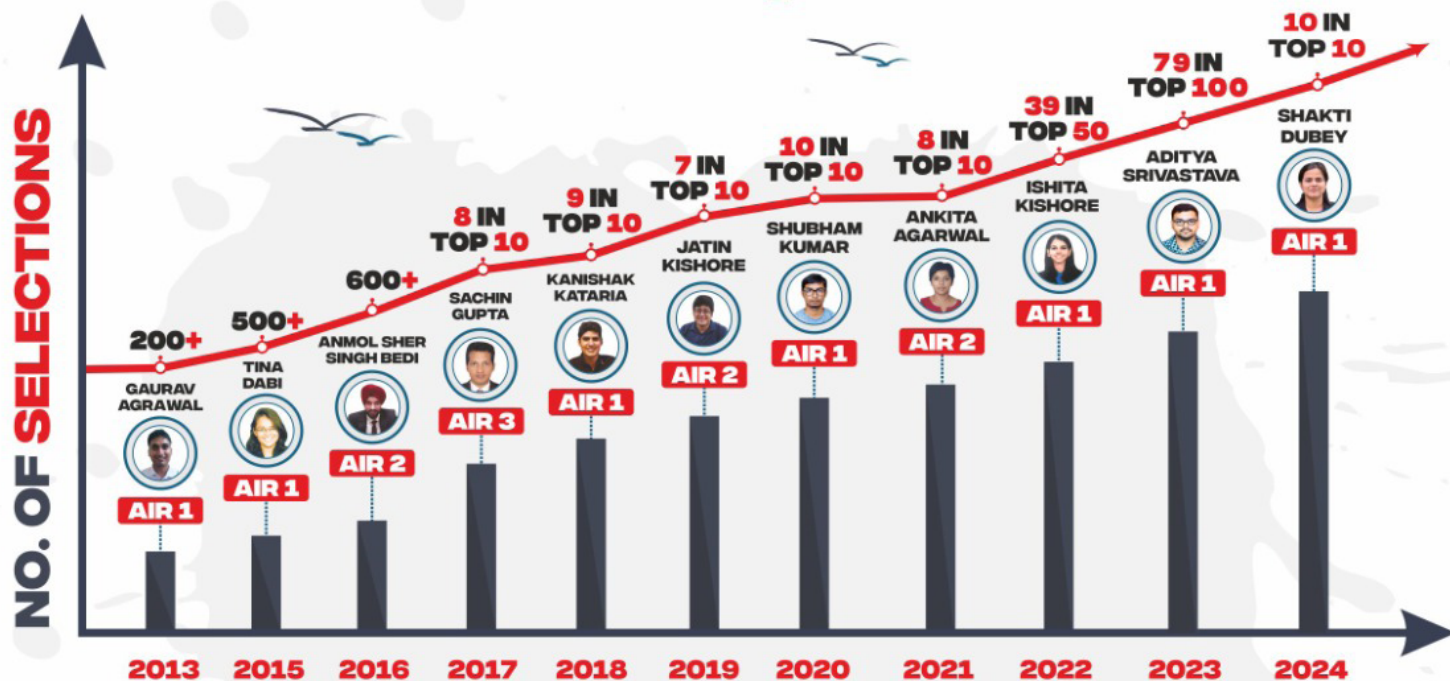


पुणे



राँची

**OUR ACHIEVEMENTS**



**LIVE/ONLINE**  
Classes Available

[www.visionias.in](http://www.visionias.in)



## Foundation Course

# GENERAL STUDIES

### PRELIMS cum MAINS 2026, 2027 & 2028

**DELHI : 8 JULY, 11 AM | 15 JULY, 8 AM | 18 JULY, 5 PM**  
**22 JULY, 11 AM | 25 JULY, 2 PM | 30 JULY, 8 AM**

**GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 10 JULY, 8 AM | 29 JULY, 6 PM**

**हिन्दी माध्यम 7 अगस्त, 2 PM**

**AHMEDABAD: 12 JULY**

**BENGALURU: 22 JULY**

**BHOPAL: 27 JUNE**

**CHANDIGARH: 18 JUNE**

**HYDERABAD: 30 JULY**

**JAIPUR: 5 AUG**

**JODHPUR: 2 JULY**

**LUCKNOW: 22 JULY**

**PUNE: 14 JULY**

## फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन 2026

► प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज

**DELHI: 7 अगस्त, 2 PM**

**JAIPUR: 20 जुलाई**

**JODHPUR: 2 जुलाई**



Scan the QR CODE to download VISION IAS App. Join official telegram group for daily MCQs & other updates.

[/visionias.upsc](https://www.facebook.com/visionias.upsc)

[/c/VisionIASdelhi](https://www.youtube.com/channel/UCVnIA5delhi)

[/c/VisionIASdelhi](https://www.instagram.com/visioniasdelhi)

[/t.me/s/VisionIAS\\_UPSC](https://t.me/s/VisionIAS_UPSC)

**DELHI:** GMMR 33, Pusa Road, Near Karol Bagh Metro Station, Opposite Pillar No. 113, Delhi - 110005 **CONTACT:** 8468022022, 9019066066

**AHMEDABAD | BENGALURU | BHOPAL | CHANDIGARH | GUWAHATI | HYDERABAD | JAIPUR | JODHPUR | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | PUNE | RANCHI**



# विषय सूची

## 1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity and Governance)

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| 1.1. जातिगत जनगणना (CASTE CENSUS) . . . . .           | 6 |
| 1.2. गैर-सरकारी विधेयक (PRIVATE MEMBER BILL). . . . . | 7 |
| 1.3. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) . . . . .   | 7 |

## 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (INTERNATIONAL RELATIONS)

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता {INDIA-UK<br>FREE TRADE AGREEMENT (FTA)} . . . . . | 10 |
| 2.2. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CHINA PAKISTAN<br>ECONOMIC CORRIDOR: CPEC). . . . .            | 11 |
| 2.3. भारत-तुर्किये संबंध (INDIA-TURKEY RELATIONS) . . . . .                                       | 12 |
| 2.4. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण {INTERNATIONAL<br>MONETARY FUND (IMF) LENDING}. . . . .  | 13 |
| 2.5. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (UNITED NATIONS<br>PEACEKEEPING) . . . . .                     | 14 |
| 2.6. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) . . . . .                                               | 15 |

## 3. अर्थव्यवस्था (ECONOMY)

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NORTHEAST AS<br>'FRONT RUNNER OF GROWTH') . . . . . | 17 |
| 3.2. संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण {REVAMPED<br>PERIODIC LABOUR FORCE SURVEY (PLFS)} . . . . .              | 18 |
| 3.3. विज़िंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह (VIZHINJAM<br>INTERNATIONAL SEAPORT) . . . . .                   | 20 |
| 3.4. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NATIONAL ROAD SAFETY<br>BOARD). . . . .                                    | 21 |
| 3.5. जिला खनिज फाउंडेशन (THE DISTRICT MINERAL<br>FOUNDATION: DMF) . . . . .                                   | 22 |
| 3.6. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) . . . . .                                                           | 24 |

## 4. सुरक्षा (SECURITY)

|                                                                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1. भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत (INDIA'S NEW SECURITY<br>DOCTRINE). . . . .                                                                 | 27 |
| 4.2. रक्षा प्रौद्योगिकी और ऑपरेशन सिंदूर (DEFENSE<br>TECHNOLOGY AND OPERATION SINDOOR) . . . . .                                              | 28 |
| 4.3. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव<br>(SOCIAL MEDIA INFLUENCERS' IMPACT ON NATIONAL<br>SECURITY) . . . . .         | 30 |
| 4.4. राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक<br>प्रयास (INDIA'S DIPLOMATIC OUTREACH AGAINST STATE<br>SPONSORED TERRORISM) . . . . . | 31 |

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5. ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का शुभारंभ (BRAHMOS<br>AEROSPACE TESTING FACILITY LAUNCHED) . . . . . | 32 |
| 4.6. गोल्डन डोम (GOLDEN DOME). . . . .                                                                       | 33 |
| 4.7. नक्सलवाद (NAXALISM). . . . .                                                                            | 34 |
| 4.8. क्रिप्टोकॉरेसी और हवाला गठजोड़ (CRYPTOCURRENCY<br>HAWALA NEXUS) . . . . .                               | 35 |
| 4.9. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) . . . . .                                                          | 36 |

## 5. पर्यावरण (ENVIRONMENT)

|                                                                                                                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1. बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों का<br>सम्मेलन 2025 (2025 CONFERENCES OF THE PARTIES<br>TO THE BASEL, ROTTERDAM, AND STOCKHOLM<br>CONVENTION) . . . . . | 39 |
| 5.2. जैव-विविधता (पहुंच और लाभ साझाकरण) विनियमन<br>2025 {BIOLOGICAL DIVERSITY (ACCESS AND BENEFIT<br>SHARING) REGULATION 2025} . . . . .                                    | 40 |
| 5.3. हिमालय पर्वतमाला की पारिस्थितिकी (THE HIMALAYAN<br>MOUNTAIN SYSTEM ECOLOGY) . . . . .                                                                                  | 41 |
| 5.4. शहरी बाढ़ (URBAN FLOODS) . . . . .                                                                                                                                     | 42 |
| 5.5. FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों<br>(GIAHS)" में छह नवीन साइटें शामिल की गईं (SIX NEW SITES<br>JOIN FAO'S GIAHS) . . . . .                     | 43 |
| 5.6. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) . . . . .                                                                                                                         | 44 |

## 6. सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)

|                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.1. मानव विकास रिपोर्ट 2025: बढ़ती असमानता (HUMAN<br>DEVELOPMENT REPORT 2025: WIDENING INEQUALITY) . . . . . | 49 |
| 6.2. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 {SAMPLE<br>REGISTRATION SYSTEM (SRS) REPORT 2021} . . . . .  | 50 |
| 6.3. शहरी गरीबी (URBAN POVERTY). . . . .                                                                      | 51 |
| 6.4. मिजोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल की<br>(MIZORAM ACHIEVES FULL FUNCTIONAL LITERACY) . . . . . | 52 |
| 6.5. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) . . . . .                                                           | 53 |

## 7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1. सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं (SATELLITE INTERNET<br>SERVICES) . . . . . | 55 |
| 7.2. डीपफेक (DEEPFAKES) . . . . .                                       | 56 |
| 7.3. जीन एडिटिंग (GENE EDITING) . . . . .                               | 58 |
| 7.4. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS) . . . . .                     | 59 |

## 8. संस्कृति (CULTURE)

8.1. सुश्रुत और चरक (SUSHRUTA AND CHARAKA) . . . . . 62

8.2. संक्षिप्त सूत्रियां (NEWS IN SHORTS) . . . . . 63

## 9. नीतिशास्त्र (ETHICS)

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 9.1. गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार (RIGHT TO DIE WITH DIGNITY) . . . . .     | 64 |
| 9.2. व्यावसायिक छंटनी की नैतिकता (ETHICS OF BUSINESS DOWNSIZING) . . . . . | 65 |

## 10. सुखियों में रही योजनाएं (SCHEMES IN NEWS)

|                                                                                                                                                                             |           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 10.1. अटल पेंशन योजना (ATAL PENSION YOJANA)                                                                                                                                 | . . . . . | 67 |
| 10.2. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA)                                                                                        | . . . . . | 67 |
| 10.3. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PRADHAN MANTRI SURAKSHA BIMA YOJANA)                                                                                                | . . . . . | 68 |
| 10.4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIS) के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना {NATIONAL SCHEME FOR UPGRADATION OF INDUSTRIAL TRAINING INSTITUTES (ITIS)}                       | . . . . . | 68 |
| 10.5. स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) {CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR STARTUPS (CGSS)}                                                                         | . . . . . | 69 |
| 10.6. शक्ति/ SHAKTI (भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन व आवंटन करने की योजना) नीति {SHAKTI (SCHEME FOR HARNESSING AND ALLOCATING KOYALA TRANSPARENTLY IN INDIA) POLICY} | . . . . . | 69 |

## 11. क्विक फैक्ट्स

## 12. एक्टिविटी ब्लॉक

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 12.1. MCQS . . . . .                                                        | 74 |
| 12.2. दू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (TRUE/FALSE STATEMENTS)                    | 76 |
| 12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (MAINS PRACTICE QUESTIONS) . . . . . | 76 |
| 12.4. एथिक्स केस स्टडी (ETHICS CASE STUDIES) . . . . .                      | 77 |

### 13. उत्तर और व्याख्या

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 13.1. MCQS के उत्तर और व्याख्या (MCQS ANSWER AND EXPLANTION) . . . . . | 78 |
| 13.2. टू/फाल्स स्टेटमेंट्स के उत्तर (TRUE/FALSE ANSWERS) . . . . .     | 79 |
| 13.3 मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण . . . . .     | 79 |
| 13.4. केस स्टडीज़ के प्रति दृष्टिकोण . . . . .                         | 81 |

## 14. સેલ્ફ-ઇવેલ્યુએશન



**मुख्य परीक्षा**  
2025 के लिए 1 वर्ष का

**समसामयिक घटनाक्रम**  
केवल 60 घंटे में

**ENGLISH MEDIUM**  
**1 July | 5 PM**

हिन्दी माध्यम  
5 July | 5 PM

७३. द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
७४. मुख्य परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
७५. मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक वर्ष की समसामयिक घटनाओं की खंड-वार बुकलेटस (ऑनलाइन स्टूडेंटस के लिये मेटेरियल केवल सॉफ्ट कॉपी में ही उपलब्ध)
७६. लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यर्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग में लचीलापन चाहते हैं।





# संपादक की कलम से

प्रिय पाठकों,

**वर्कबुक का मई संस्करण** आपकी UPSC तैयारी में सहायक बनने के हमारे मिशन को आगे बढ़ाता है। इसमें सुनियोजित, विश्लेषणात्मक और परीक्षा-केंद्रित करेंट अफेयर्स को कवर किया गया है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन के बाद वर्कबुक पर काम करने से आपकी जटिल मुद्दों को याद रखने, उनका विश्लेषण करने और उन्हें इस्तेमाल करने की क्षमता मजबूत होगी, जो परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण कौशल हैं।

इस माह की वर्कबुक में भारत और विश्व को आकार देने वाले कई प्रमुख विषयों पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। **राजव्यवस्था खंड** में, हम जातिगत जनगणना को लेकर जारी बहस और निजी सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक के महत्व को समझेंगे। ये दोनों ही विषय संवैधानिक प्रावधानों और समकालीन शासन की चुनौतियों को दर्शाते हैं। **अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड** में, भारत-UK मुक्त व्यापार समझौता, अफगानिस्तान तक CPEC के विस्तार को लेकर चिंताएं और वैश्विक आतंकवाद रोधी प्रयासों में भारत की बदलती कूटनीतिक भूमिका जैसे घटनाक्रमों का विश्लेषण किया गया है।

इसके अतिरिक्त, हमने आर्थिक मुद्दों, सुरक्षा से जुड़े मुद्दों, सामाजिक मुद्दों, पर्यावरणीय चुनौतियों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हो रही ऐसी प्रगति पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जो नीति निर्माण को प्रभावित करती हैं।

## वर्कबुक के मुख्य अंशों पर एक नज़र

- मासिक समसामयिकी का सारांश:** इसमें एक माह के मुख्य सुर्खियों, प्रमुख घटनाओं और ट्रेंड्स का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। इस खंड का उद्देश्य एक्टिविटी में गहराई से जाने से पहले आपकी समझ की आधारशिला तैयार करना है।
- स्मरणीय तथ्य:** महत्वपूर्ण तथ्यों, आंकड़ों और सांख्यिकी का एक संदर्भ तैयार किया गया है, जिससे तेजी से रिवीजन करना और याद रखना आसान हो जाता है।
- एक्टिविटी ब्लॉक:**



**MCQs:** महत्वपूर्ण टॉपिक्स की समझ का परीक्षण कीजिए।



**ट्रु/फाल्स स्टेटमेंट्स:** मुख्य तथ्यों की अपनी समझ को सत्यापित कीजिए।



**मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न:** स्पष्टता के साथ टॉपिक्स को समझिए और व्याख्या कीजिए।



**एथिक्स केस स्टडी:** हालिया घटनाक्रमों को नैतिक दुविधाओं पर लागू कीजिए तथा निर्णय लेने में संबंधित कौशल को बेहतर कीजिए।



**उत्तर और व्याख्या:** इसमें तत्काल फीडबैक के लिए MCQs और ट्रु/फाल्स प्रश्नों के उत्तर शामिल हैं।

- प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल:** स्कोर रिकॉर्ड करने और सुधार के क्षेत्रों पर विचार करने के लिए एक डेडिकेटेड सेक्शन दिया गया है। इसके साथ अपनी प्रगति की निगरानी कीजिए।

हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि इस वर्कबुक के साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करें, प्रत्येक टॉपिक को गहनता से पढ़ें, और इसे अपनी UPSC तैयारी की यात्रा में एक भरोसेमंद माध्यम बनाएं। यदि आपके पास सही रणनीति और मजबूत संकल्प है, तो सफलता निश्चित ही आपके कदम चूमेगी।

हार्दिक शुभकामनाएं,  
करेंट अफेयर्स टीम,  
**VisionIAS**



“सफलता हर दिन बार-बार किए जाने वाले छोटे-छोटे प्रयासों का योग है।”

– विंस्टन एस. चर्चिल

# राजव्यवस्था एवं शासन

## (Polity and Governance)



### 1.1. जातिगत जनगणना (CASTE CENSUS)

#### मुख्तियों में क्यों?

सरकार ने 2026 में लद्दाख और 2027 में पूरे भारत में शुरू होने वाली जनगणना की अधिसूचना जारी की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल है।

#### अन्य संबंधित तथ्य

- स्वतंत्रता के बाद पहली बार: अनुसूचित जातियों (SCs) और जनजातियों (STs) से आगे बढ़कर सभी जातियों का डेटा एकत्र किया जाएगा।
- राज्य स्तरीय जातिगत सर्वेक्षणों में विसंगतियाँ: जैसे- बिहार, कर्नाटक आदि।

#### भारत में जनगणना

- प्रत्येक 10 वर्षों में एक बार जनगणना होती है, जो देश के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक आंकड़े प्रदान करती है।
  - ➔ 1881 से नियमित रूप से हर दस साल में होती आ रही है, लेकिन 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण टल गई थी।
- कानूनी आधार
  - ➔ संवैधानिक प्रावधान: सातवीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची की प्रविष्टि 69 (अनुच्छेद 246)।
  - ➔ कानून: जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना नियम, 1990 – इनमें जनगणना अधिकारियों की जिम्मेदारियाँ व कर्तव्य तय किए गए हैं।
  - ➔ रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त (RG&CC) जनगणना का स्वरूप तय करते हैं।

#### जातिगत जनगणना का इतिहास

- स्वतंत्रता से पहले: 1881 से 1941 तक नियमित रूप से, लेकिन 1941 के आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जा सके (विश्व युद्ध के कारण)।
- 1951 के बाद: केवल SC/ ST के आंकड़े लिए जाते हैं; अन्य जातियों की गणना बंद कर दी गई।
- 1961 से: राज्य सरकारों अपनी तरफ से OBC का सर्वे कर सकती थीं।
- 2011: जनगणना के साथ ही सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (SECC) हुई थी, लेकिन उसका जातिगत डेटा प्रकाशित नहीं किया गया।

#### जातिगत जनगणना की आवश्यकता

- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 340 के तहत।
- डेटा पर आधारित नीति निर्माण, जैसे कि OBCs का यह दावा कि आंकड़ों के अभाव में उनकी अवसर उपेक्षा की जाती है।
- सकारात्मक कार्रवाई: सुप्रीम कोर्ट ने जाति को 'पिछड़े वर्ग' को परिभाषित करने के लिए एक प्रासंगिक और एकमात्र मानदंड माना है, और जातिगत आंकड़े मांगे हैं।
  - ➔ मराठा (महाराष्ट्र), जाट (हरियाणा) जैसी जातियों के OBC आरक्षण दावों के लिए डेटा जरूरी है।
- OBCs में उपवर्गीकरण: ताकि सभी समूहों को समान लाभ मिल सके।
- सशक्त और निष्पक्ष गवर्नेंस: डेटा आधारित गवर्नेंस के लिए जरूरी है।

#### जातिगत जनगणना से जुड़ी समस्याएं

- डेटा की सटीकता: लोग स्वयं अपनी जाति बताते हैं, जिससे त्रुटियाँ, दोहराव और गलत वर्तनी होती है। जैसे- 2011 SECC में बहुत सारी गलतियाँ थीं।
- वर्गीकरण: केंद्र/ राज्य की अलग-अलग सूचियाँ विसंगतियाँ पैदा करती हैं (जैसे, हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश में जाट)।
- राजनीतिक संवेदनशीलता: एक जाति की मान्यता से अन्य जातियाँ भी मांग करने लगती हैं – जैसे गुज्जर समुदाय की ST में शामिल होने की मांग।
- पहचान आधारित राजनीति: इससे समाज में विभाजन या संघर्ष बढ़ सकते हैं।
- निजता का सवाल: डेटा के दुरुपयोग की आशंका।



## आगे की राह

- **परामर्श प्रक्रिया:** भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय को शिक्षा जगत के विशेषज्ञों, जातीय समूहों, राजनीतिक संगठनों तथा आम जनता से परामर्श करना चाहिए, ताकि जातिगत गणना कराने के सही तरीकों को तैयार किया जा सके।
- **जाति निर्देशिका:** राज्यों में जातियों की सूची को मानकीकृत करने के लिए जातियों की एक राष्ट्रीय निर्देशिका।
- अधिकारियों का प्रशिक्षण और तकनीक (AI, बिग डेटा) का उपयोग करना चाहिए।

## 1.2. गैर-सरकारी विधेयक (PRIVATE MEMBER BILL)

### मुख्तियों में क्यों?

PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, हालिया वर्षों में संसद के दोनों सदनों में गैर-सरकारी विधेयकों को मिलने वाले समय में कमी आई है।

### गैर-सरकारी विधेयक (PMB) क्या है?

- संसद में कोई भी विधेयक, यदि **किसी मंत्री के अलावा** अन्य कोई सांसद प्रस्तुत करता है, उसे गैर-सरकारी विधेयक कहते हैं।
- इसे प्रस्तुत करने से पहले **सदन के पीठासीन अधिकारी को एक महीने का नोटिस** देना होता है।
  - ➔ लोक सभा में हर शुक्रवार को **आखिरी ढाई घंटे PMB** के लिए होते हैं।
  - ➔ राज्य सभा में हर वैकल्पिक शुक्रवार को **ढाई घंटे** मिलते हैं।
  - ➔ **पहला सफलतापूर्वक पारित PMB:** मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (सैयद मोहम्मद अहमद क़ासमी द्वारा प्रस्तुत) था।

### PMB का महत्त्व:

- **नीतिगत नवाचार:** सांसद नए विचार प्रस्तावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए- **“राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक, 2019”** - कर्मचारी कार्य समय के बाद कार्य-संबंधी संचार से अलग हो सकते हैं।
- **सुधार की क्षमता:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014 जैसे प्रयास।
- **पार्टी लाइन से स्वतंत्र अभिव्यक्ति:** सांसद को व्हिप (10वीं अनुसूची) से छूट प्रदान करता है।
- **नियंत्रण और संतुलन:** सरकार को जवाबदेह बनाता है।

### PMB में गिरावट क्यों?

- **कार्यवाही में बाधा:** उदाहरण के लिए- 17वीं लोक सभा में 729 में से केवल 2 पर और राज्य सभा में 705 में से केवल 14 PMBs पर चर्चा हुई थी।
- **प्रक्रियागत मुद्दे:** PMBs के लिए सीमित समय आवंटित किया गया है और **अध्यक्ष/सभापति की विधेयकों को स्वीकार या अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति** होती है।
- गैर-सरकारी सदस्यों के पास **संसाधनों की कमी** होती है।
- **कम सफलता:** अब तक केवल **14 PMBs कानून बने हैं**, आखिरी बार 1970 में।
- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।**

### आगे की राह:

- **प्रक्रियाओं को सरल बनाना:** PMBs के लिए निर्बाध समय आवंटित करना चाहिए। ऐसे बिलों की डिजिटल ट्रेकिंग करनी चाहिए।
  - ➔ आवंटित समय की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों में संशोधन करना चाहिए।
- **शोध सहायता:** सांसदों की सहायता के लिए समर्पित अनुसंधान इकाई, जैसे- UK की पब्लिक बिल कमेटी।
- **संस्थागत तंत्र:** प्राथमिकता सूची की सिफारिश करने और सभी दलों के समर्थन को प्रोत्साहित करने के लिए विधेयकों की जांच हेतु एक समर्पित समीक्षा समिति का गठन करना चाहिए।
  - ➔ **UK का 10-मिनट नियम मॉडल अपनाना:** सांसद अपना पक्ष रखने के लिए संक्षिप्त विधेयक पेश कर सकते हैं।

## 1.3. संक्षिप्त सुख्तियां (NEWS IN SHORTS)

### 1.3.1. समावेशी डिजिटल पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है: सुप्रीम कोर्ट (Inclusive Digital Access Part Of Article 21: Supreme Court)

हाल ही में, **अमर जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले** में सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिजिटल पहुंच, **जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है।**

### सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े हुए मुख्य बिंदु

- **डिजिटल KYC मानदंडों को संशोधित करने का निर्देश दिया गया:** यह सुनिश्चित करना होगा कि एसिड अटैक के कारण चेहरे की

विकृति वाले व्यक्ति और दृष्टिहीन दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सेवाओं के लाभ से वंचित न हों।

- **‘मौलिक समानता के सिद्धांत’ को लागू करना:** डिजिटल परिवर्तन समावेशी और न्यायसंगत दोनों होना चाहिए।
- **राज्य का दायित्व:** संविधान के **अनुच्छेद 21, 14, 15 और 38** के तहत, राज्य सभी कमजोर एवं हाशिए पर रहने वाली आबादी के लिए डिजिटल अवसरचना सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।
  - ➔ **अनुच्छेद 38: राज्य समाजिक न्याय को बढ़ावा देगा।**

**समावेशी डिजिटल पहुंच का महत्त्व:** आवश्यक सरकारी योजनाओं तक पहुंच; ग्रामीण-शहरी विभाजन में कमी; ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म और वित्तीय प्रौद्योगिकियों तक पहुंच; विकास प्रक्रिया में हाशिए पर रहे लोगों का शामिल होना आदि।

**इंटरनेट एक्सेस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय**

**साबू मैथ्यू जॉर्ज बनाम भारत संघ (2017):** जन्मपूर्व लिंग निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को सक्रिय तौर पर ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, इससे सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में कटौती नहीं होनी चाहिए।

**अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ (2020):** अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट तक पहुंच के अधिकार को मान्यता दी गई।

**1.3.2. माध्यस्थता के निर्णयों में संशोधन करने की न्यायालय की शक्तियां (Power of Courts to Modify Arbitral Awards)**

सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री बालासामी बनाम आईएसजी नोवासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड मामले में निर्णय दिया कि न्यायालय के पास आर्बिट्रेशन या माध्यस्थता के निर्णयों में संशोधन करने की सीमित शक्तियां हैं। इसके अलावा, माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में ही इनका प्रयोग किया जा सकता है:

- जब निर्णयों के वैध हिस्सों में से अवैध हिस्सों को हटा करके लागू किया जाता है।
  - ➔ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ओम्ने माजूस कॉन्टिनेट इन से माइनस' सिद्धांत का उल्लेख किया। इसका अर्थ है 'बड़ी शक्ति में कम शक्ति निहित होती है'। न्यायिक शब्दावली में इसका आशय है कि किसी माध्यस्थता के निर्णय को रद्द करने की शक्ति में आंशिक रूप से रद्द करने की शक्ति भी निहित है।
- किसी लिपिकीय, गणना संबंधी या टंकण संबंधी त्रुटि को सही करने के लिए।
- कुछ मामलों में निर्णय के पश्चात देय ब्याज में संशोधन करने के लिए।
- अनुच्छेद 142 (पूर्ण न्याय) के तहत यह शक्ति 1996 के अधिनियम के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए।

**भारत में माध्यस्थता व्यवस्था (Arbitration in India):**

- **अर्थ:** अदालत के बाहर, सहमति से विवाद-समाधान प्रक्रिया—वैकल्पिक विवाद समाधान (माध्यस्थता, सुलह के साथ) का एक भाग।
- **महत्व:** यह तरीका कम टकराव वाला, लचीला व त्वरित है।
- **कानूनी फ्रेमवर्क:** भारत में माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत इस तरह से विवाद सुलझाए जाते हैं। इस अधिनियम को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (UNCITRAL) के मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, 1985 के अनुसार बनाया गया है।
  - ➔ अधिनियम की धारा 34(1) के अनुसार, माध्यस्थता के निर्णय को रद्द करने के लिए केवल अदालत का ही सहारा लिया जा सकता है।
  - ➔ अधिनियम की धारा 37 में यह कहा गया है कि किन आदेशों के खिलाफ अदालत में अपील की जा सकती है।

**1.3.3. रोहिंग्या तथा शरणार्थियों व निवासन से संबंधित प्रावधान (Rohingyas And Provisions Related To Refugees And Deportation)**

सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या शरणार्थियों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि वे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR)—कार्ड के आधार पर राहत का दावा नहीं कर सकते।

- UNHCR शरणार्थियों, जबरन विस्थापित समुदायों और राज्य-विहीन लोगों की रक्षा करने वाला एक वैश्विक संगठन है।

**शरणार्थियों से संबंधित अन्य प्रावधान**

भारत गैर-वापसी सिद्धांत का पालन करता है (बैकॉक सिद्धांत, 1966)

मोहम्मद सलीमुल्लाह बनाम भारत संघ (2021) वाद: निर्वासित न किए जाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत निवास या बसने के अधिकार का सहायक या सहवर्ती है।

**शरणार्थियों और निवासन से संबंधित भारत के वैधानिक प्रावधान**

- भारत में 'शरणार्थियों' से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए कोई अलग कानून नहीं है। इसलिए शरणार्थी के 'दर्जे' से जुड़े पहलुओं को अलग-अलग मामलों के आधार पर निपटाया जाता है। इसमें द्विपक्षीय नीति को ध्यान में रखा जाता है। भारत ने "शरणार्थी कन्वेंशन 1951" और इसके 'प्रोटोकॉल 1967' पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
  - ➔ भारत में शरणार्थी 'विदेशी' और 'विदेशी नागरिक' की परिभाषा में आते हैं।
- विदेशी विषयक अधिनियम, 1946: यह केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920: केंद्र सरकार किसी भी ऐसे विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकाल सकती है, जो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करता है।
  - ➔ संविधान के अनुच्छेद 258(1) और 239(1) के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी उपर्युक्त अधिकार सौंपे गए हैं।

**1.3.4. पैदल यात्रियों के अधिकार (Rights of Pedestrians)**

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में पैदल यात्रियों के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी।

**सुप्रीम कोर्ट का आदेश:**

- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि "बिना किसी अवरोध और दिव्यांगजन-अनुकूल फुटपाथ के अधिकार" को अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी प्रदान की गई है।
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:
  - ➔ सभी सार्वजनिक सड़कों पर फुटपाथ होने चाहिए, और वे दिव्यांगजनों के लिए सुलभ एवं उपयोग योग्य होने चाहिए।
  - ➔ फुटपाथ से अतिक्रमण हटाना अनिवार्य है।
  - ➔ सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश ऐसी नीतियां तैयार करें, जो फुटपाथों की उपलब्धता और रखरखाव सुनिश्चित करें।

**1.3.5. सिक्किम को राज्य का दर्जा मिलने की 50वीं वर्षगांठ (50th Anniversary Of Sikkim's Statehood)****सिक्किम राज्य की स्थापना के बारे में:**

- सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 के तहत भारत संघ के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था।
  - ➔ इससे पहले, 35वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1974 द्वारा सिक्किम को संविधान के अनुच्छेद 2A के अंतर्गत भारत के "संबद्ध राज्य" (Associate State) का दर्जा दिया गया था।
    - ◊ बाद में 36वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 2A को निरस्त कर दिया गया था।
- सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।
- अनुच्छेद 371F में सिक्किम के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं।





# फाउंडेशन कोर्स सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा **2026**

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- प्री फाउंडेशन कक्षाएं
- सीसेट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसेट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

नोट: ऑनलाइन छात्र हमारे पाठ्यक्रम की लाइव वीडियो कक्षाएं अपने घर पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। छात्र लाइव चैट विकल्प के माध्यम से कक्षा के दौरान अपने संदेह और विषय संबंधी प्रश्न पूछ सकते हैं। वे अपने संदेह और प्रश्न नोट भी कर सकते हैं और दिल्ली केंद्र में हमारे कक्षा सलाहकार को बता सकते हैं और हम फोन/मेल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देंगे।

**DELHI : 7 अगस्त, 2 PM**

**JAIPUR : 20 जुलाई**

**JODHPUR : 2 जुलाई**



## ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ एवं मेंटरिंग प्रोग्राम

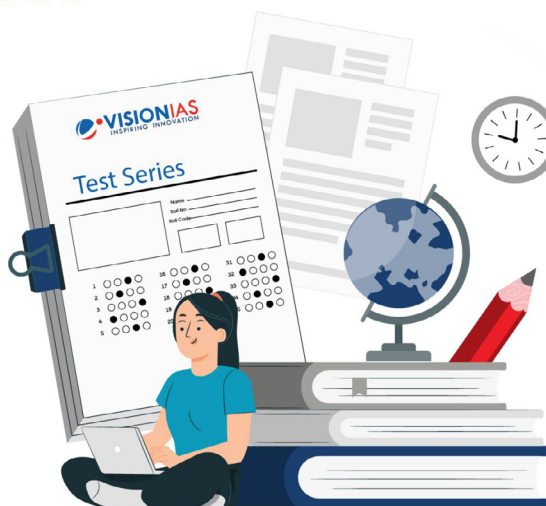
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन, अभ्यास और मेंटरिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन के लिए एक इनोवेटिव मूल्यांकन प्रणाली

30 टेस्ट  
5 फंडामेंटल टेस्ट      15 एप्लाइड टेस्ट  
10 फुल लेंथ टेस्ट

**2026**

**ENGLISH MEDIUM  
27 JULY**

**हिन्दी माध्यम  
27 जुलाई**





# अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)



## 2.1. भारत-यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौता {INDIA-UK FREE TRADE AGREEMENT (FTA)}

### मुख्तियों में क्यों?

भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) ने तीन वर्षों की औपचारिक वार्ता के बाद **मुक्त व्यापार समझौते (FTA)** पर हस्ताक्षर की घोषणा की।

### अन्य संबंधित तथ्य

- ➔ **कानूनी दस्तावेज** को अंतिम रूप दिए जाने के बाद FTA को लागू किया जाएगा, जिसमें **27 अध्याय** (जैसे, डिजिटल व्यापार, पर्यावरण) शामिल होंगे।
- ➔ दोनों देशों ने पारस्परिक **डबल कंट्रिब्यूशंस कन्वेंशन (DCC)** पर भी सहमति व्यक्त की। DCC एक प्रकार का **सामाजिक सुरक्षा समझौता** है।
  - ➔ DCC यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी और नियोक्ता केवल एक ही देश में (3 वर्ष तक के कार्यकाल के लिए) सामाजिक सुरक्षा का भुगतान करें।
- ➔ **भारत-UK व्यापार संबंध:** 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार है। इसे **2030 तक दोगुना** करने का लक्ष्य है।

### भारत-UK FTA की मुख्य विशेषताएं

- ➔ **शून्य-शुल्क बाजार पहुंच:** लगभग **99% भारतीय निर्यात पर UK के बाजार में कोई शुल्क (ड्यूटी) नहीं** लगेगा।
  - ➔ भारत 90% ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क कम करेगा, जिनमें से **85% उत्पाद अगले 10 वर्षों में पूरी तरह शुल्क-मुक्त** हो जाएंगे।
- ➔ **भारतीय पेशेवरों के लिए आवागमन को आसान बनाता है:** यह समझौता सेवा प्रदाताओं, व्यवसाय के काम से आने-जाने वाले लोगों, निवेशकों, कंपनियों के अंदर स्थानांतरित कर्मचारियों और स्वतंत्र पेशेवरों (जैसे योग प्रशिक्षक) को कवर करता है।
- ➔ **सरकारी खरीद प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति:** अब UK की कंपनियां भारत में केंद्र सरकार और सरकारी कंपनियों को जरूरी वस्तुओं, सेवाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए आपूर्ति से जुड़ी खरीद के लिए बोली लगा सकेंगी।

### मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के बारे में

- ➔ FTA देशों या व्यापारिक समूहों के बीच ऐसे समझौते होते हैं, जिनका उद्देश्य **आयात-निर्यात पर लगने वाले टैक्स (टैरिफ) और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम या खत्म** करना होता है।
- ➔ ये **सामान, सेवाएं और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)** जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं।
  - ➔ **अर्ली हार्वेस्ट स्कीम, FTA की पूर्ववर्ती योजना है।**
- ➔ FTA, WTO के **"सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (MFN)"** सिद्धांत का अपवाद होता है।
- ➔ **स्थिति:** भारत ने पिछले पांच वर्षों में **13 FTAs** पर हस्ताक्षर किए हैं (जैसे- **मॉरीशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया**) - SBI की एक रिपोर्ट।

### FTAs को लेकर भारत का अनुभव

- ➔ **व्यापार असंतुलन:** भारत के FTA भागीदारों के साथ निर्यात में 31% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 82% की वृद्धि हुई है (2017-2022)।
  - ➔ **कम उपयोग:** विकसित देशों के **70-80%** की तुलना में भारत में FTA का उपयोग केवल **~25%** है।
  - ➔ **गैर-टैरिफ बाधाएं:** 2020-24 तक, वैश्विक स्तर पर व्यापार एवं निवेश से संबंधित 26,000 से अधिक नए प्रतिबंध लगाए गए हैं (ग्लोबल ट्रेड अलर्ट)।
  - ➔ **असमान प्रतिस्पर्धा:** उदाहरण के लिए- दक्षिण कोरिया और आसियान ने इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है।
  - ➔ **अन्य मुद्दे:** प्रमाणन आवश्यकता और उत्पत्ति के नियम संबंधी जटिलता आदि विद्यमान हैं।
- नोट:** FTA का मूल्यांकन केवल व्यापार संतुलन के आधार पर नहीं किया जा सकता। **प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला, बेहतर आपसी संबंध, व्यापार से संबंधित निवेश प्रवाह, विविध प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं तक बेहतर पहुंच, आदि** जैसे फायदे भी होते हैं।

## भारत-UK FTA भविष्य के अन्य FTAs को आकार देने में कैसे मदद कर सकता है?

- 👉 **त्वरित वार्ता:** भारत-EU की लंबी चली वार्ता (2007 से) की तुलना में यह समझौता तेज़ प्रगति का उदाहरण है।
- 👉 **संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा:** डेयरी, प्लास्टिक जैसे कृषि और औद्योगिक उत्पादों को छूट सूची से बाहर रखकर भारत के हितों की रक्षा की गई है।
- 👉 **शुल्कों में चरणबद्ध कटौती:** इससे घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के अनुसार स्वयं को ढालने का समय मिलेगा।
- 👉 **परस्पर लाभ पर ज़ोर:** जैसे- UK की कार कंपनियों को सीमित कोटा के तहत उनके वाहनों पर आयात शुल्क 100% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा।

### निष्कर्ष

भारत-UK FTA विकसित देशों के साथ भविष्य में होने वाले समझौतों के लिए एक **रणनीतिक मॉडल** के रूप में कार्य करता है – जो **आर्थिक वृद्धि**, **आधुनिक व्यापार से जुड़े मुद्दों और घरेलू हितों की सुरक्षा** के बीच संतुलन बनाता है।

## 2.2. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (China Pakistan Economic Corridor: CPEC)

### मुखियों में क्यों?

हाल ही में चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

### CPEC क्या है?

- 👉 यह **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** की एक प्रमुख परियोजना है। BRI को **2015 में शुरू** किया गया था।
- 👉 यह **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड** के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा।
- 👉 CPEC के अंतर्गत अधिकांश परियोजनाएं **ऊर्जा और अवसंरचना** से संबंधित हैं।
- 👉 इसमें लगभग **3000 किलोमीटर की सड़कें, रेल लाइंस और पाइपलाइंस का नेटवर्क** शामिल है, जो **ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान) को काशगर (शिनजियांग, चीन) से जोड़ता है।**

### बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के बारे में

- 👉 BRI की शुरुआत चीन ने वर्ष **2013** में की थी, जिसका उद्देश्य अंतरमहाद्वीपीय स्तर पर कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ाना है।
- 👉 BRI को **वन बेल्ट वन रोड (OBOR)** के नाम से भी जाना जाता है। इसके दो घटक हैं-
  - ➔ **सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट ("बेल्ट"):** यह भूमि-आधारित बेल्ट चीन को मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया से और आगे यूरोप से जोड़ती है।
  - ➔ **न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड ("रोड"):** यह मैरीटाइम रोड चीन को दक्षिण-पूर्व एशिया, खाड़ी देशों तथा पूर्वी और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हुए यूरोप तक जाता है।

### अफगानिस्तान के CPEC में शामिल होने को लेकर भारत की चिंताएं

- 👉 **भू-सामरिक चिंता:** CPEC का अफगानिस्तान तक विस्तार होने से भारत की पहलों जैसे **चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC)** की रणनीतिक उपयोगिता सीमित हो जाएगी।
  - ➔ **रणनीतिक घेराबंदी:** चीन "स्ट्रिंग ऑफ पल्स" के तहत सामरिक बंदरगाहों जैसे कि **हंबनटोटा (श्रीलंका), ग्वादर (पाकिस्तान) और चटगाँव (बांग्लादेश)** में अपनी पकड़ बना चुका है। CPEC का अफगानिस्तान में विस्तार भारत के पश्चिमी मोर्चे पर दबाव बढ़ाएगा।
- 👉 **चीन-पाकिस्तान-अफगानिस्तान धुरी:** यह पाकिस्तान की अफगानिस्तान पर पकड़ को मजबूत करती है तथा भारत की सॉफ्ट पावर और विकास संबंधी प्रभाव (जैसे- **जरांज-इलाराम राजमार्ग**) को दरकिनार करती है।
- 👉 **सुरक्षा संबंधी जोखिम:** तालिबान शासन, यदि चीन की फंडिंग और पाकिस्तान की खफिया एजेंसियों के सहयोग से काम करता है, तो वह **भारत-विरोधी आतंकवाद** (जैसे कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा) का केंद्र बन सकता है।
- 👉 **आर्थिक चिंताएं:** अफगानिस्तान का **लिथियम और दुर्लभ भू तत्व भंडार** CPEC के माध्यम से चीनी नियंत्रण में जा सकते हैं, जिससे भारत को नुकसान होगा।

### CPEC के प्रत्युत्तर में भारत द्वारा उठाए गए कदम

- 👉 **चाबहार बंदरगाह:** यह ग्वादर और CPEC को बायपास करते हुए अफगानिस्तान व मध्य एशिया तक सीधी पहुंच उपलब्ध कराता है।
- 👉 **INSTC:** यह भारत-ईरान-रूस द्वारा स्थापित एक **मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क** है, जो कैस्पियन सागर के माध्यम से हिंद महासागर को यूरोप से जोड़ता है।



- ➔ भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) (2023): भारत, यूरोप और मध्य-पूर्व को UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजरायल तथा यूरोपीय संघ के माध्यम से जोड़ना।
- ➔ क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (QUAD): भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक सुरक्षा मंच है। यह मुक्त इंडो-पैसिफिक को सुनिश्चित करने और चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के लिए कार्य करता है।

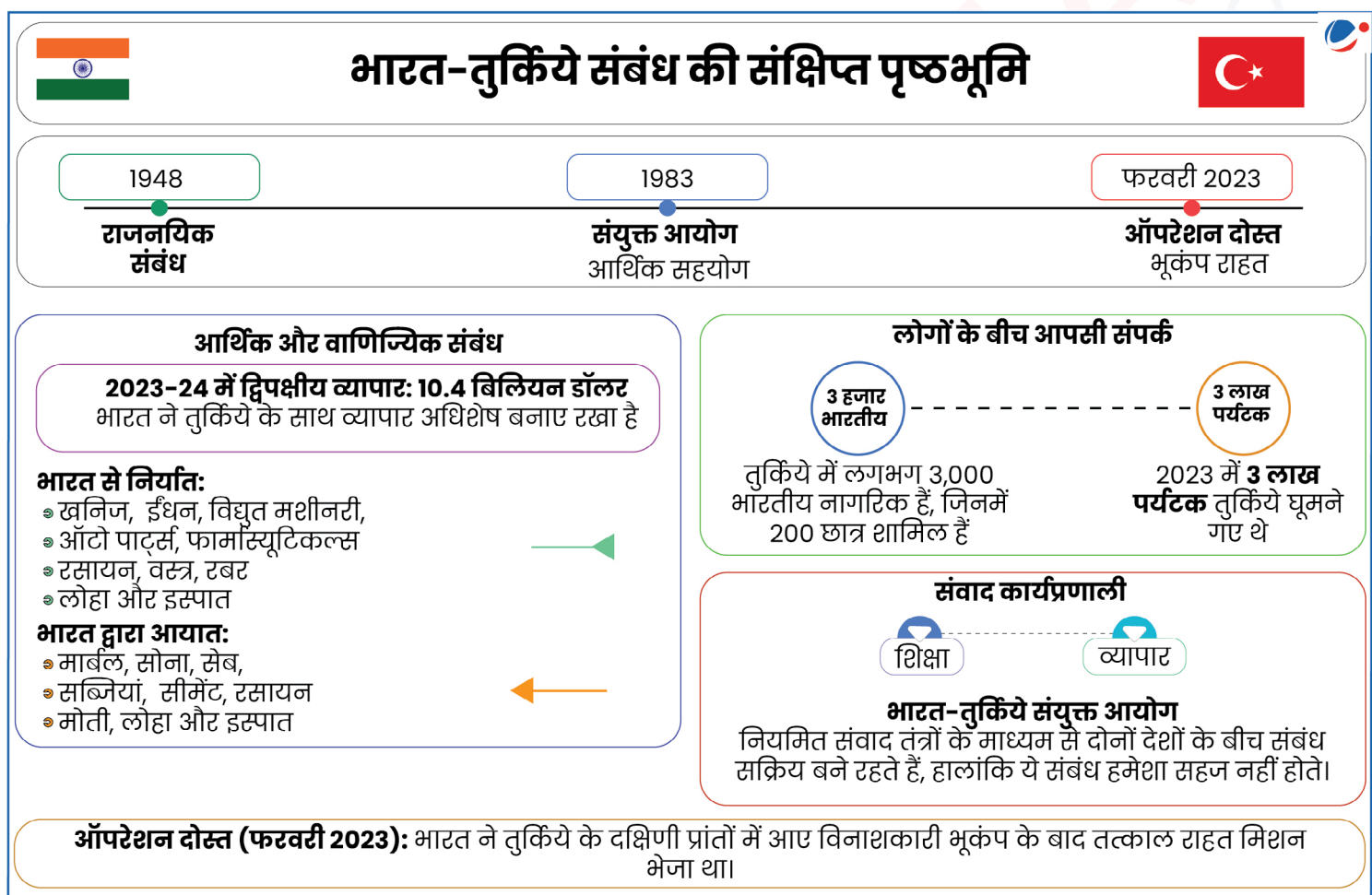
## निष्कर्ष

भारत को चाबहार को आगे बढ़ाना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ वार्ता करनी चाहिए और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पारदर्शी, समावेशी एवं सतत क्षेत्रीय अवसंरचना पर बल देना चाहिए।

## 2.3. भारत-तुर्किये संबंध (INDIA-TURKEY RELATIONS)

### मुख्यियों में क्यों?

हाल ही में, पहलुगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवाद-रोधी कार्रवाइयां की थी। इन कार्रवाइयों की तुर्किये ने आलोचना की थी। इसके कारण भारत-तुर्किये संबंधों में कड़वाहट आई है।



### अन्य संबंधित तथ्य

- ➔ तुर्किये ने ऑपरेशन सिंदूर की निंदा करते हुए इसे "उकसावे वाला" कदम बताया है। साथ ही, संबंध बिगड़ने की भी चेतावनी दी।  
➔ भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान द्वारा उपयोग किए गए **सोंगर ड्रोन** को निष्क्रिय कर दिया था। ये **ड्रोन तुर्की** में निर्मित थे।
- ➔ भारत ने तुर्की की कंपनी 'सेलेबी एविएशन' का 9 हवाई अड्डों पर सिक्योरिटी क्लीयरेंस प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया।

### भारत के लिए तुर्किये का महत्त्व

- ➔ तुर्किये की सामरिक अवस्थिति: तुर्किये यूरोप और एशिया को जोड़ता है। यह अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) का हिस्सा है।
- ➔ क्षेत्रीय प्रभाव: मध्य पूर्व और काला सागर क्षेत्र में तुर्की का प्रभाव भारत को रणनीतिक लाभ देता है।
- ➔ वैश्विक मंच: दोनों देश G-20 के सदस्य हैं। तुर्किये ने UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है।



## भारत-तुर्किये संबंधों में वर्तमान चुनौतियां

- **पाकिस्तान को सैन्य सहयोग:** तुर्किये, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है, जो ड्रोन, मिसाइल और एफ-16 के उन्नयन में मदद करता है।
- **कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप:** तुर्की, अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध करता है और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के रुख का समर्थन करता है।
- **विचारधारा के जरिए अस्थिरता:** तुर्किये समर्थित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों कश्मीर और भारत के आंतरिक मुद्दों को अंतराष्ट्रीय स्तर पर उठाकर भारत के खिलाफ नकारात्मक धारणाएं पैदा करते हैं।
- **तुर्की-अज़रबैजान-पाकिस्तान गठजोड़:** ऑपरेशन सिंदूर की संयुक्त निंदा, इस त्रिपक्षीय समन्वय को दर्शाती है।
  - ➔ **ऐतिहासिक संबंध:** तुर्की और पाकिस्तान के संबंध *बगदाद पैक्ट*, *सेंटो (CENTO)* और *क्षेत्रीय विकास सहयोग (RCD)* जैसे समझौतों के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से जुड़े हुए हैं।
- **इस्लामी रुख:** एडोर्गन ने वैश्विक मुस्लिम एकजुटता संबंधी दृष्टिकोण के कारण भारत की आंतरिक नीतियों की आलोचना की है। इससे दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव बढ़ा है।

## निष्कर्ष

तुर्किये के पाकिस्तान समर्थक रुख के कारण भारत-तुर्किये संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत को रणनीतिक संतुलन बनाए रखने और जहां संभव हो, वहां व्यावहारिक पुनः-संलग्नता की संभावनाएं तलाशने के लिए **विचारधारा संबंधी खतरों से निपटना चाहिए, बहुपक्षीय मंचों का लाभ उठाना चाहिए, और तुर्किये के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ संबंधों को गहरा करना चाहिए।**

## 2.4. अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋण {International Monetary Fund (IMF) Lending}

### सुखियों में क्यों?

अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF)** व्यवस्था के तहत **पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की पहली समीक्षा पूरी कर ली है।**

### अन्य संबंधित तथ्य

- अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने **एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF)** के तहत 1 बिलियन डॉलर {विशेष आहरण अधिकार (SDR) 760 मिलियन} का वितरण किया है।
  - ➔ यह सुविधा उन देशों की सहायता करती है, जो संरचनात्मक समस्याओं, धीमी वृद्धि या कमजोर भुगतान संतुलन के कारण गंभीर वित्तीय असंतुलन का सामना कर रहे हैं।
- साथ ही, **रेज़िलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF)** के तहत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (SDR 1 बिलियन) के ऋण को भी मंजूरी दी है।
- इस मंजूरी पर भारत ने मतदान से स्वयं को दूर रखा और इसकी आलोचना की।

| IMF फंड के प्रमुख ऋण साधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जनरल रिसोर्सेज अकाउंट (GRA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | पॉवर्टी रीडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट (PRGT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | रेसिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट (RST)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>ऋण प्रकार:</b> वित्तीय लेन-देन योजना तंत्र के माध्यम से <b>गैर-रियायती शर्तों (बाजार आधारित ब्याज दरों) पर ऋण</b> दिया जाता है।</li> <li>➤ <b>उद्देश्य:</b> किसी देश के भुगतान संतुलन (BoP) की समस्याओं का समाधान करना।</li> <li>➤ <b>ऋण सुविधाएं:</b> स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA); <b>एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF)</b>; <b>रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI)</b>; <b>फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन (FCL)</b>; आदि।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>ऋण प्रकार:</b> <b>निम्न-आय वाले देशों को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना</b>, जिसमें ब्याज-मुक्त वित्त-पोषण भी शामिल है।</li> <li>➤ <b>उद्देश्य:</b> BoP संकट की स्थिति से निपटने में निम्न-आय वाले देशों की मदद करना।</li> <li>➤ <b>ऋण सुविधाएं:</b> <b>रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी (RCF)</b>; <b>स्टैंडबाय क्रेडिट फैसिलिटी (SCF)</b>; और <b>एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी (ECF)</b>।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>ऋण प्रकार:</b> दीर्घावधि का रियायती वित्त-पोषण प्रदान करना।</li> <li>➤ <b>उद्देश्य:</b> <b>निम्न-आय और निम्न-मध्यम आय वाले देशों की जलवायु परिवर्तन और महामारी जैसे बाहरी आघातों के प्रति लचीलापन विकसित करने में मदद करना।</b></li> <li>➤ <b>ऋण सुविधाएं:</b> <b>रेज़िलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी (RSF)</b> आदि।</li> </ul> |

### IMF के ऋण पर भारत द्वारा जताई गई चिंताएं

- **धन का दुरुपयोग:** इस संभावना का जोखिम है कि इस धन का **सैन्य या सीमा-पार आतंकवाद के लिए उपयोग** किया जा सकता है।
- **सेना की भूमिका:** मजबूत सैन्य भागीदारी **सुधारों को बाधित कर सकती है।**
- **वैश्विक मूल्यों को कमजोर करना:** ऋण देना **आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की शासन व्यवस्था को वैधता प्रदान कर सकता है।** इससे ऋण दाता की विश्वसनीयता खतरे में पड़ सकती है।

- IMF संसाधनों का लंबे समय तक उपयोग: पाकिस्तान को 35 में से 28 साल तक IMF से सहायता मिली है, जिससे उसका ऋण बोझ बढ़ गया है।
- IMF कार्यक्रम की प्रभावशीलता को कम करना: बार-बार मिल रही सहायता IMF की निगरानी और पाकिस्तान की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाती है।

## IMF से जुड़ी अन्य प्रमुख चुनौतियां/ चिंताएं

- अप्रभावशाली मतदान प्रक्रिया: ऋण के खिलाफ औपचारिक रूप से मतदान करने का कोई विकल्प नहीं है। उदाहरण के लिए- भारत ने मतदान से स्वयं को दूर रखा।
- अलोकतांत्रिक शासन संरचना: मतदान शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान के पक्ष में है (उदाहरण के लिए- 2010 में ग्रीस के बेलआउट नियमों को बदल दिया गया था)।
- अप्रभावशाली मूल्यांकन प्रक्रिया: IMF द्वारा स्थापित स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय (IEO) में वास्तविक स्वतंत्रता की कमी है, क्योंकि इसे IMF द्वारा ही वित्त-पोषित व शासित किया जाता है।
- मिश्रित सफलता: IMF की शर्तों के कारण राजकोषीय समेकन उपाय (या आत्मसंयम) अपनाने के कारण गरीबी में वृद्धि और सामाजिक व्यय में गिरावट भी देखी जाती है।

## निष्कर्ष

IMF वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक बना हुआ है, लेकिन यह असंतुलित गवर्नेंस, अपारदर्शी ऋण और असमान शर्तों से बाधित है। प्रासंगिक बने रहने के लिए इसे कोटा सुधार, निष्पक्ष मतदान अधिकार और पारदर्शी निरीक्षण सुनिश्चित करने होंगे, जो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अभिव्यक्ति को दर्शाते हों।

## 2.5. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना (United Nations Peacekeeping)

### सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्रिस्तरीय बैठक, 2025 जर्मनी के बर्लिन में संपन्न हुई।

### संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना की मंत्रिस्तरीय बैठक 2025 के बारे में

- इसकी मेजबानी जर्मनी ने शांति स्थापना के भविष्य पर एक उच्च-स्तरीय मंच के रूप में की।
- इस मंत्रिस्तरीय बैठक में, भारत ने क्विक रिएक्शन फोर्स (QRF) की एक कंपनी, महिला-नेतृत्व वाली एक पुलिस यूनिट, SWAT पुलिस की एक यूनिट और शांति स्थापना प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण एवं भागीदारी की घोषणा की।

### संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के बारे में

- उत्पत्ति: यह 1948 में मध्य पूर्व में UNTSO के साथ शुरू हुआ था।
- अधिदेश (Mandate): इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा संकल्पों के माध्यम से अधिदेश दिया जाता है।
  - ➔ फंडिंग: इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है।
- मूल सिद्धांत:
  - ➔ पक्षकारों की सहमति;
  - ➔ निष्पक्षता; तथा
  - ➔ आत्मरक्षा या अधिदेश की रक्षा को छोड़कर बल का उपयोग न करना।
- गवर्नेंस: 1992 से शांति अभियान विभाग (DPO) द्वारा प्रबंधित।
- मान्यता: इसे 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था।
- सिद्धांत:
  - ➔ कैपस्टोन सिद्धांत: यह संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के मार्गदर्शक सिद्धांतों और मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करता है।
  - ➔ रिसॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट (R2P) का सिद्धांत (2005): यह सिद्धांत जन अत्याचार और नृजातीय संहार को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है।



### संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत के महत्वपूर्ण योगदान

- सबसे बड़ा सैनिक योगदान: 50 से अधिक मिशन में 2.9 लाख से अधिक शांति रक्षक भेजे हैं।
  - ➔ वर्तमान में नेपाल, रवांडा और बांग्लादेश के बाद चौथा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
- क्षमता निर्माण: शांति स्थापना प्रशिक्षण के लिए नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (CUNPK) की मेजबानी करता है।
- लैंगिक समानता को बढ़ावा: पूरी तरह से महिला सैन्य कर्मियों से युक्त टुकड़ी (2007, लाइबेरिया) को तैनात करने वाला पहला देश है।

## शांति स्थापना के समक्ष प्रमुख चुनौतियां

- शांति रक्षक सैनिकों को निशाना बनाना: उदाहरण के लिए- इजरायल-लेबनान संघर्ष में UNIFIL के कर्मियों का घायल होना।
- मेजबान देशों से विरोध: उदाहरण के लिए- सूडान ने दारफुर में अफ्रीकी संघ-संयुक्त राष्ट्र हाइब्रिड ऑपरेशन (UNAMID) का विरोध किया था।
- विश्वसनीयता के मुद्दे: उदाहरण के लिए- 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र रवांडा और सेब्रेनिक नरसंहारों को रोकने में विफल रहा।
- संघर्षों की बदलती प्रकृति: अंतर-राज्यीय संघर्षों, आतंकवादी रणनीति और आधुनिक हथियारों के प्रसार में वृद्धि।
- अन्य: आवाजाही पर प्रतिबंध, राजनीतिक समाधान में देरी, सुव्यवस्थित, सुसज्जित और प्रशिक्षित बलों की कमी; निर्णय लेने में प्रमुख सैन्य योगदान देने वाले देशों की भागीदारी की कमी, आदि।

## निष्कर्ष

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को ब्राह्मि रिपोर्ट (2000) और शांति अभियानों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च-स्तरीय स्वतंत्र पैनल (HIPPO) (2015) के अनुसार सुधारों की आवश्यकता है। इन सुधारों में शुरुआती कार्रवाई, आधुनिक खतरों के प्रति अनुकूलन; लैंगिक एवं अधिकार-केंद्रित दृष्टिकोण; प्रशिक्षित, जवाबदेह और सुसज्जित बलों को सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

## 2.6. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

### 2.6.1. न्यू डेवलपमेंट बैंक (New Development Bank)

अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का 9वां सदस्य बना।

#### एनडीबी (NDB) के बारे में

- मुख्यालय: शंघाई, चीन।
- स्थापना: 2015 में ब्रिक्स (BRICS)- ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा।
- उद्देश्य: उभरते बाजार और विकासशील देशों (EMDCs) में अवसंरचना एवं सतत विकास के लिए धन जुटाना।
- सदस्य: ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई, मिस्र और अल्जीरिया।
  - संभावित सदस्य: उरुग्वे (औपचारिक प्रवेश की प्रतीक्षा में)।
  - सदस्यता: यह सभी संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों (ऋण लेने वाले और ऋण न लेने वाले दोनों) के लिए खुली है।
- पूंजी: 100 बिलियन डॉलर की अधिकतम पूंजी; 50 बिलियन डॉलर 5 संस्थापक सदस्यों द्वारा समान रूप से साझा किए गए हैं।
- मतदान शक्ति: संस्थापक सदस्यों को कम-से-कम 55% हिस्सेदारी रखनी होगी।

#### अन्य प्रमुख क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान

| संस्थान                                             | उत्पत्ति | उद्देश्य                                                                                               | सदस्य                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| एशियाई विकास बैंक (मुख्यालय: मनीला, फिलीपींस)       | 1966     | एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक विकास, क्षेत्रीय एकीकरण, आदि।                          | 69 (50 एशिया-प्रशांत क्षेत्र से, 19 क्षेत्र के बाहर से), भारत भी सदस्य है। |
| एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (मुख्यालय: बीजिंग, चीन)  | 2016     | मुख्य रूप से एशिया में वैश्विक पहुंच के साथ संधारणीय अवसंरचना और विकास परियोजनाओं को वित्त-पोषित करना। | 110 अनुमोदित (100 पूर्ण + 10 संभावित) सदस्य (भारत, एक पूर्ण सदस्य है)।     |
| अफ्रीकी विकास बैंक (मुख्यालय: आबिदजान, कटि डी आइवर) | 1964     | अफ्रीका में गरीबी उन्मूलन और सामाजिक-आर्थिक विकास।                                                     | 54 अफ्रीकी देश और 27 गैर-अफ्रीकी देश (भारत सहित)।                          |

### क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों का महत्व

- सतत विकास: 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में NDB द्वारा समर्थित 4.87 बिलियन डॉलर मूल्य की लगभग 20 परियोजनाएं चल रही हैं।
- अंतर को कम करना: यह दीर्घकालिक अवसंरचना के वित्त-पोषण को सक्षम बनाता है और निजी निवेश को बढ़ावा देता है।
- क्षेत्रीय एकीकरण: यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत करता है (उदाहरण के लिए- NDB और AIIB में भारत की भूमिका)।

### 2.6.2. अंतराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (International Atomic Energy Agency: IAEA)

रक्षा मंत्री ने अंतराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) से पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की निगरानी करने का आग्रह किया।

#### IAEA के बारे में

- उत्पत्ति: यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो 1957 में अस्तित्व में आया था।
- सदस्य: 180 (भारत इसका सदस्य है)।
- जनरल कॉन्फ्रेंस: सभी सदस्य देश प्रतिवर्ष वियना में मिलते हैं।
- सम्मान: शांतिपूर्ण परमाणु उपयोग और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- IAEA और NPT: IAEA परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का सदस्य नहीं है, लेकिन यह संधि के अनुपालन की पुष्टि करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  - NPT के तहत प्रत्येक परमाणु-हथियार विहीन देश को IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौते (CSA) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, ताकि IAEA उनके दायित्व की पूर्ति को सत्यापित कर सके।
- मुख्यालय: वियना (ऑस्ट्रिया)।

### IAEA की भूमिका

**वैश्विक केंद्र बिंदु**  
परमाणु सहयोग के लिए वैश्विक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है।

**शांतिपूर्ण उपयोग**  
सदस्य देशों को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में सहायता करता है।

**सुरक्षा मानक**  
परमाणु सुरक्षा मानकों का विकास करता है तथा सुरक्षा के उच्च स्तरों को बढ़ावा देता है।

**सत्यापन और अनुपालन**  
यह सत्यापित करता है कि राष्ट्र केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु सुविधाओं का उपयोग करने की प्रतिबद्धताओं का अनुपालन कर रहे हैं।

### NPT के बारे में

- NPT एक बाध्यकारी अंतराष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों एवं परमाणु हथियारों से संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना है।
- यह 1970 में लागू हुई थी और 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था।



- अब तक 191 देश इस संधि में शामिल हो चुके हैं, जिनमें सभी पांच मान्यता प्राप्त परमाणु-हथियार संपन्न देश (चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका) भी शामिल हैं।
  - भारत, इजरायल और पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं हुए हैं, जबकि उत्तर कोरिया 2003 में इससे बाहर हो गया था।

### परमाणु प्रसार को रोकने के लिए मौजूद अन्य प्रमुख संधियां

- आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि (PTBT) 1963: यह संधि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और जल के भीतर परमाणु हथियारों के परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी पुष्टि भी की है।
- व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT), 1996: सभी तरह के परमाणु हथियारों के परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।
- परमाणु हथियार निषेध संधि (TPNW), 2017: किसी भी प्रकार की परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक सेट शामिल है। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

### 2.6.3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति {UN Security Council's (UNSC) 1267 Sanctions Committee}

भारतीय अधिकारियों ने UNSC की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को द रेजिस्ट्रेंस फ्रंट (TRF) की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी।

### 1267 प्रतिबंध समिति के बारे में

- इसे ISIS और अल-कायदा प्रतिबंध समिति भी कहा जाता है।
- इसकी स्थापना 1999 में ISIS, अल-कायदा और संबंधित समूहों से जुड़े आतंकवाद से निपटने के लिए की गई थी।
- UNSC के सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य इसमें शामिल हैं।
- यह समिति आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध, आतंकियों की यात्रा पर रोक और उनकी संपत्ति जब्त करने जैसे फैसले लेती है। ये सभी फैसले UNSC के प्रस्ताव 1267 (1999), 1989 (2011), और 2253 (2015) के तहत लागू किए जाते हैं।

### 2.6.4. एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (Asian Productivity Organization: APO)

भारत ने 2025-26 के लिए औपचारिक रूप से एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (APO) की अध्यक्षता ग्रहण की।

### एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गनाइजेशन (APO) के बारे में

- स्थापना: यह एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में आठ संस्थापक सदस्य देशों ने की थी। भारत भी इन संस्थापक सदस्यों में शामिल है।
- उद्देश्य: एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग के माध्यम से उत्पादकता को बढ़ाना।
- सदस्य: इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र की 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
- मुख्य भूमिकाएं:
  - सदस्य देशों की नई आवश्यकताओं पर अनुसंधान करना और उन पर कार्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।
  - सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना।
  - प्रत्येक सदस्य देश की आर्थिक एवं विकास नीतियों और प्रदर्शन का सर्वेक्षण करना, आदि।

"You are as strong as your Foundation"

# FOUNDATION COURSE

## GENERAL STUDIES

### PRELIMS CUM MAINS

## 2026, 2027 & 2028

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains Exam

- Includes Pre Foundation Classes
- Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2026, 2027 & 2028

**DELHI: 8 JULY, 11 AM | 15 JULY, 8 AM | 18 JULY, 5 PM**  
**22 JULY, 11 AM | 25 JULY, 2 PM | 30 JULY, 8 AM**

**GTB Nagar Metro (Mukherjee Nagar): 10 JULY, 8 AM | 29 JULY, 6 PM**

**हिन्दी माध्यम 7 अगस्त, 2 PM**

**AHMEDABAD: 12 JULY | BENGALURU: 22 JULY | BHOPAL: 27 JUNE | CHANDIGARH: 18 JUNE**  
**HYDERABAD: 30 JULY | JAIPUR: 5 AUG | JODHPUR: 2 JULY | LUCKNOW: 22 JULY | PUNE: 14 JULY**

Live - online / Offline Classes

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

# अर्थव्यवस्था (ECONOMY)



## 3.1. 'संवृद्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NORTHEAST AS 'FRONT-RUNNER OF GROWTH')

### सुखियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 का उद्घाटन किया।

### अन्य संबंधित तथ्य

- ➔ प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर भारत की रणनीतिक (भौगोलिक) अवस्थिति के महत्व को रेखांकित करते हुए EAST (एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन, एंड ट्रांसफॉर्म) के विजन को प्रस्तुत किया।
- ➔ प्रधान मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों को 'अष्ट-लक्ष्मी' (देवी लक्ष्मी के आठ रूप) की संज्ञा दी।
- ➔ उन्होंने बायो-इकोनॉमी, बांस, चाय उत्पादन, पेट्रोलियम, खेल, इको-टूरिज्म जैसे सेक्टरों में पूर्वोत्तर को उभरता हुआ हब बताया।

### राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 में पूर्वोत्तर के फोकस क्षेत्रों की मुख्य विशेषताएं

| क्षेत्र (सेक्टर)                                       | मुख्य बिंदु                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प                            | 53% से अधिक करघों, 78.5% पारंपरिक परिधानों में योगदान देता है तथा अद्वितीय जीआई-टैग प्रदान करता है।                                                                                       |
| नवीकरणीय ऊर्जा                                         | पूर्वोत्तर क्षेत्र में 60 गीगावाट जल विद्युत क्षमता है, जो देश की कुल क्षमता का 40% है।                                                                                                   |
| सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और IT-सक्षम सेवाएं (IT & ITes) | पाकों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों और इनोवेशन हब के साथ तीव्र IT विकास।                                                                                                                        |
| इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स                         | पुल (ढोला-सादिया, बोगीबील), हवाई अड्डे और जोगीघोषा अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल-लिंक लॉजिस्टिक्स पार्क।                                                                              |
| पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी                                 | पूर्वोत्तर क्षेत्र द्वारा यूनेस्को साइटों (काजीरंगा, मानस) और स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।                                                               |
| शिक्षा                                                 | उच्च साक्षरता, युवा आबादी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देती है।                                                                                                                           |
| स्वास्थ्य                                              | फाइटोफार्मास्युटिकल क्षमता और PPP-आधारित स्वास्थ्य सेवा शहरी चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती है।                                                                                   |
| कृषि                                                   | कृषि-समृद्ध क्षेत्र में मुख्यतः जैविक और उच्च मूल्य वाली फसलें उगाई जाती हैं; 70% किसान हैं।                                                                                              |
| खेल                                                    | स्वदेशी खेल (तीरंदाजी, थांग-टा, पोलो आदि)। राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय एथलीट तैयार करता है।<br>स्टेडियम: इंदिरा गांधी एथलेटिक (असम), खुमान लम्पक (मणिपुर) निवेश के साथ केन्द्र बन सकते हैं। |

### 'विकास का अग्रदूत' बनने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता

- ➔ भू-रणनीतिक: दक्षिण-पूर्व एशिया का प्रवेशद्वार, भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए महत्वपूर्ण।
- ➔ ऊर्जा: कोयला, यूरेनियम, तेल, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत।
- ➔ विविध सांस्कृतिक विरासत: पर्यटन और हस्तशिल्प निवेश को बढ़ावा देता है।

- ➔ कम लागत वाला विनिर्माण केंद्र: कम श्रम लागत।
- ➔ भारत का ग्रीन हब: समृद्ध जैव विविधता इको-टूरिज्म और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देती है।

### पूर्वोत्तर क्षेत्र में चुनौतियाँ

- ➔ बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होना: सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ज़रिए, एकमात्र भू-संपर्क मार्ग की वजह से क्षेत्र अलग-थलग पड़ जाता है, जिससे आवागमन और लॉजिस्टिक्स प्रभावित होती है।
- ➔ विद्रोही समूह और सशस्त्र संघर्ष: स्वायत्तता या जनजातीय अधिकारों की मांग, उदाहरण के लिए, NSCN-IM, कुकी-मेइती संघर्ष।
- ➔ नाकों आतंकवाद: यह स्वर्ण त्रिभुज के निकट होने के कारण पनपता है; सीमाओं की पूरी बाड़बंदी नहीं की गई है, जिस का फायदा उठाता है।
- ➔ मानवाधिकार हनन: AFSPA के लंबे समय तक लागू रहने पर।
- ➔ प्राकृतिक आपदाओं का खतरा: बाढ़, भूस्खलन और भूकंप, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी की बाढ़।



### पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए शुरु की गई पहलें

| भारतीय स्तर पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अंतराष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ NESIDS: जल, बिजली, कनेक्टिविटी, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करता है।</li> <li>➔ PM-DEVINE: राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।</li> <li>➔ MOVCDNER: प्रमाणित जैविक मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ावा देता है।</li> <li>➔ शांति और सुरक्षा से संबंधित पहलें: NLFT और ATTf शांति समझौता 2024, आदिवासी असम शांति समझौता, 2022, DNLA शांति समझौता 2023, उल्फा शांति समझौता 2023 आदि।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाएं: कलादान, भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, BBIM, मेकांग-गंगा सहयोग।</li> <li>➔ एक्ट ईस्ट फोरम (भारत और जापान): NER और दक्षिण पूर्व एशिया कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है।</li> <li>➔ SASEC: दक्षिण एशियाई देशों के बीच क्षेत्रीय समृद्धि को बढ़ावा देता है।</li> </ul> |

### आगे की राह

- ➔ पूर्वोत्तर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए अलग-अलग मार्गों का विकास: उदाहरण के लिए, सिलीगुड़ी को बाईपास करते हुए हिली-महेंद्रगंज कॉरिडोर।
- ➔ विद्रोही गतिविधियों को कम करना: त्रिपुरा की शांति और पुनर्वास (बू जनजाति) सबक प्रदान करते हैं।
- ➔ अवैध प्रवासियों से निपटना और सीमा सुरक्षा बढ़ाना: उन्नत निगरानी, CIBMS के साथ।
- ➔ कानूनी उपायों, मीडिया जागरूकता अभियानों आदि के माध्यम से भेदभाव और नृजातीय हमलों को रोकना (बेजबरुआ समिति)।

## 3.2. संशोधित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण {Revamped Periodic Labour Force Survey (PLFS)}

### सूत्रियों में क्यों?

NSO ने जनवरी 2025 से PLFS में संशोधन कर उसे नया रूप दिया है।

### PLFS के बारे में

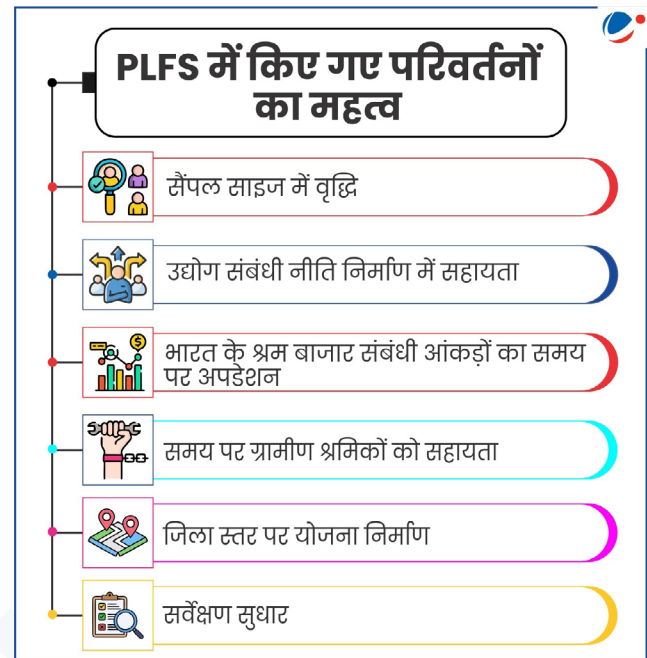
- ➔ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा संचालित
- ➔ मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (2017)
- ➔ उद्देश्य:
  - ➔ 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) में शहरी क्षेत्रों (अब ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल) के लिए केवल तीन महीने के लघु समय अंतराल में रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतकों का अनुमान लगाना।
  - ➔ ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति और सीडब्ल्यूएस में वार्षिक रोजगार/बेरोजगारी का अनुमान लगाना।
- ➔ PLFS में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली
  - ➔ श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): काम करने वाली या काम की तलाश करने वाली या काम के लिए उपलब्ध जनसंख्या का प्रतिशत।
  - ➔ वर्कर-जनसंख्या अनुपात (WPR): जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत।



- बेरोजगारी दर (UR): श्रम बल में बेरोजगारों का प्रतिशत।
- गतिविधि की स्थिति- संदर्भ अवधि के दौरान गतिविधियों द्वारा निर्धारित।
- सामान्य स्थिति: पिछले 365 दिनों की गतिविधि (प्रमुख और सहायक गतिविधि)
- वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS): पिछले 7 दिनों के दौरान गतिविधि।
- वर्तमान दैनिक गतिविधि स्थिति (CDS): एक दिन में 1 घंटे या उससे अधिक काम किया।

### PLFS में किए गए मुख्य बदलाव

- प्रमुख श्रम बाजार संकेतकों के मासिक अनुमान: CDS में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए।
- त्रैमासिक सीडब्ल्यूएस अनुमान: ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित।
- कैलेंडर वर्ष रिपोर्टिंग: 2025 से वार्षिक पीएलएफएस परिणाम।
- सैपल के आकार में वृद्धि
- उन्नत भौगोलिक प्रतिनिधित्व: जिले को प्राथमिक भौगोलिक इकाई (मूल स्तर) बनाया गया। शेष भागों में NSS क्षेत्र को बेसिक स्ट्रेटम बनाया गया है।
- सामाजिक संकेतकों के आंकड़ों की बेहतर उपलब्धता



### भारत में रोजगार संबंधी संकेतकों की गणना के लिए अन्य पद्धतियां/रिपोर्ट

- रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम: सभी स्तरों पर सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के रोजगार रुझानों पर लगातार अपडेटेड जानकारी प्रदान करना।
  - रोजगार कार्यालय अधिनियम, 1959 के अंतर्गत कार्यान्वित।
- ILO रिपोर्ट: वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक आदि।
- जनगणना: मुख्य/ सीमांत श्रमिकों पर डेटा एकत्र करता है।
- श्रम ब्यूरो: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय (मुख्यालय चंडीगढ़)। श्रम सांख्यिकी के आंकड़े वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (ASI), ग्रामीण श्रमिक जांच, तथा ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) - ग्रामीण श्रमिक/ कृषि श्रमिक आदि के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं।

### भारत में रोजगार संबंधी संकेतकों की गणना की पद्धतियों से संबंधित मुद्दे

- आंकड़ों में असंगतताएं: भिन्न-भिन्न नमूने, समय और पूछे गए प्रश्नों के कारण।
- कमजोर मापदंड: CWS प्रति सप्ताह 21 घंटे के कार्य को रोजगार के रूप में मानता है, जो अक्सर बेरोजगारी को कम करके गिनता है।
- परिभाषा में विसंगति: भारतीय रोजगार की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी नहीं उतरती।
- कई सर्वेक्षणों की सीमित प्रकृति: बेरोजगारी के आंकड़ों पर QES का कोई रुख नहीं है।
- सैपल का आकार छोटा होना।
- समय लगना, डेटा की गुणवत्ता में कमी एवं सही जवाब नहीं मिलना।

### आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र-राष्ट्रीय लेखा प्रणाली की परिभाषाओं को अपनाना।
  - 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा निर्धारित मानकों का पालन करने का आग्रह।
- डेटा की गुणवत्ता, डेटा सत्यापन और प्रसंस्करण सुनिश्चित करने के लिए AI का उपयोग करना।
- नियमित अंतराल पर उद्यम सर्वेक्षण और आर्थिक जनगणना की आवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए।
- एकसमान पद्धतियों के साथ केंद्रीकृत सरकारी डेटा।
- सर्वेक्षणों के दोहराव को समाप्त करना और रिपोर्टों को सुसंगत बनाना।
- डेटा मुलभता: NSS द्वारा सांख्यिकीय अंतर्दृष्टि के साथ अधिक जन जागरूकता और सहभागिता।

### 3.3. विज़िंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह (VIZHINJAM INTERNATIONAL SEAPORT)

#### मुख्तियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने केरल में विज़िंजम अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट डीप वाटर बहुउद्देशीय समुद्री बंदरगाह का उद्घाटन किया।

#### बंदरगाह के बारे में

- भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह।
- उद्देश्य: कंटेनर, बहुउद्देशीय और ब्रेक-बल्क कार्गो संभालता है।
- विकास मॉडल: DBFOT पर PPP के साथ लैंडलॉर्ड मॉडल पर आधारित।
- लाभ
  - रणनीतिक स्थिति: यूरोप, फारस की खाड़ी और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्ग के निकट।
  - प्राकृतिक लाभ: जल की प्राकृतिक गहराई नेक्स्ट जनरेशन के बड़े कंटेनर जहाजों को संभालने में सक्षम बनाती है।
  - स्केलेबल अवसंरचना: 18,000+ TEU की क्षमता के साथ कार्गो वृद्धि और बहुत कम तलछट का जमाव।

#### ट्रांसशिपमेंट क्या है?

- यह इसमें अंतिम POD तक पारगमन के दौरान जहाजों के बीच कार्गो या कंटेनर का स्थानांतरण शामिल है।
- ट्रांसशिपमेंट हब को निम्नलिखित माध्यम से एकीकृत किया गया:
  - हब-एंड-स्पोक मॉडल: क्षेत्रीय फीडरों को लंबी दूरी (वैश्विक) की डीप-सी लाइनों से जोड़ता है।
  - इंटरसेक्शन: प्रमुख मार्गों पर बड़े जहाजों को जोड़ता है।
  - रिले: विभिन्न बंदरगाहों के साथ क्षेत्रीय मार्गों को जोड़ता है।

#### भारत को ट्रांसशिपमेंट हब के रूप में विकसित करने की आवश्यकता क्यों है?

- उच्च विदेशी निर्भरता: भारत का लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो विदेशों में मुख्यतः कोलंबो, सिंगापुर और क्लैंग में भेजा जाता है।
- व्यापार मार्ग से निकटता: जहाज (लाइनर्स) न्यूनतम विचलन को प्राथमिकता देते हैं।
  - विज़िंजम और गलाथिया बे स्वेज मार्ग से लगभग 6-10 नॉटिकल मील की दूरी पर स्थित हैं।
- राजस्व की हानि: भारतीय बंदरगाहों को हर साल 200-220 मिलियन डॉलर का संभावित राजस्व नुकसान होता है।
- डीप ड्राफ्ट वाले बंदरगाहों की कमी: भारतीय बंदरगाहों में 18 मीटर ड्राफ्ट का अभाव है।
- बुनियादी ढांचा: उत्पादकता और सुपरस्ट्रक्चर के साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप विकसित करने की आवश्यकता है।

#### भारत को ट्रांसशिपमेंट हब बनाने में विद्यमान चुनौतियां

- उच्च लागत: वैश्विक बंदरगाहों की तुलना में जहाज से संबंधित शुल्क के कारण।
- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्ग से दूरी: भारतीय बंदरगाह प्रमुख मार्गों से 5 घंटे से अधिक की दूरी पर स्थित हैं, कोलंबो केवल 0.5-1 घंटे की दूरी पर है।
- कोई बड़ा कर प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं: ट्रांसशिपमेंट मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए।
- भूमि की कमी: द्वीपों में मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए आवश्यक न्यूनतम 25 हेक्टेयर भूमि का अभाव है।
- जटिल कस्टम: समय लेने वाली कस्टम मंजूरी की प्रक्रियाएँ।

#### ट्रांसशिपमेंट को बढ़ावा देने के अन्य प्रयास

- गैलाथिया खाड़ी में ICTP: मलक्का जलडमरूमध्य और सिंगापुर के निकट स्थित।
- कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल: प्रतिवर्ष एक मिलियन TEU तक कार्गो का संचालन करता है।
- अमृत काल विजन 2047: विश्व स्तरीय बंदरगाहों का लक्ष्य।
- कैबोटज कानून में ढील: विदेशी जहाजों को अनुमति देने के लिए EXIM कंटेनरों का परिवहन।
- कैबोटज: विदेशी ध्वज वाले जहाजों द्वारा घरेलू माल की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा।



## आगे की राह

- ➔ प्रतिस्पर्धी लॉजिस्टिक्स: कम बंदरगाह शुल्क और सेवा कर माफी के माध्यम से कोलंबो की तुलना में 15-20% कम लागत का लक्ष्य।
- ➔ वैश्विक मानक: सरकार को ट्रेडिंग लागत को साझा करना चाहिए, जैसा कि अमेरिका और श्रीलंका में किया गया है।
- ➔ मेगा बंदरगाह: वधावन, पारादीप और दीनदयाल की क्षमता 300 MTPA से अधिक होगी।
- ➔ सीमा शुल्क सुधार: प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण; ट्रांसशिपमेंट कार्गो को छूट।
- ➔ बुनियादी ढांचा: लैंडलॉर्ड मॉडल को अपनाना, निजी भागीदारी को बढ़ावा देना।

## 3.4. राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NATIONAL ROAD SAFETY BOARD)

### सुझियों में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने सड़क सुरक्षा बोर्ड में देरी पर केंद्र से सवाल किया।

### अन्य संबंधित तथ्य

- ➔ धारा 215B राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का प्रावधान करती है।
- ➔ MORTH ने 2021 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन के लिए अधिसूचना जारी की थी।

### राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड (NRSB) के बारे में

- ➔ संरचना: केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और कम से कम तीन, लेकिन अधिकतम सात सदस्य।
- ➔ मुख्यालय: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा और बोर्ड भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।
- ➔ कार्य: सड़क सुरक्षा, नवाचार और यातायात विनियमन को बढ़ावा देना; सरकारों को सलाह देना; अच्छे लोगों का समर्थन करना; दुर्घटना जांच।

### भारत में सड़क सुरक्षा की चुनौतियाँ

- ➔ उच्च मृत्यु दर: 2022 में विश्व में सड़क दुर्घटनाओं में 11% मौतें भारत में हुई थीं।
- ➔ व्यवहार संबंधी मुद्दे: 71.2% मौतें तेज गति से वाहन चलाने के कारण हुईं; 5.4% मौतें गलत दिशा में वाहन चलाने के कारण हुईं।
- ➔ सड़क की स्थिति: 20% से भी कम राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क का 'सुरक्षा रेटिंग मूल्यांकन' किया जाता है।
- ➔ राज्य-स्तरीय अंतराल: अधिकांश राज्य 2030 के संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा लक्ष्यों में पीछे हैं।
- ➔ अन्य मुद्दे: खराब मानक, मिश्रित वाहन बेड़ा, राहगीरों की उदासीनता, कमजोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट।

### सड़क दुर्घटनाओं का प्रभाव

- ➔ आर्थिक: दुर्घटनाओं से भारत के सकल घरेलू उत्पाद को प्रतिवर्ष 3-5% का नुकसान होता है (विश्व बैंक)।
- ➔ बढ़ती असमानता: 75% गरीब परिवार दुर्घटनाओं के बाद आय में कमी की रिपोर्ट करते हैं।
- ➔ अमूर्त लागतें: आघात, कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु - 80% पीड़ित 45 वर्ष से कम आयु के हैं।

### सड़क सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम:

#### वैश्विक

- ➔ सड़क सुरक्षा के लिए कार्टवाई दशक 2021-2030 के लिए वैश्विक योजना:
  - ➔ विकासकर्ता: WHO और संयुक्त राष्ट्र-क्षेत्रीय आयोगों द्वारा तैयार।
  - ➔ उद्देश्य: 2030 तक सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और घायलों की संख्या को 50% तक कम करना।
- ➔ सड़क सुरक्षा पर ब्राजीलिया घोषणा-पत्र 2015: SDG 3.6: 2030 तक वैश्विक स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु को आधा करना।

#### भारत में

- ➔ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति 2010: जागरूकता फैलाने, सड़क सुरक्षा डेटाबेस बनाने, सुरक्षित सड़क अवसंरचना सुनिश्चित करने, आदि पर ध्यान केंद्रित करती है।
- ➔ मोटर वाहन अधिनियम 1988 (MVA 1988) और संशोधन:
  - ➔ गुड सेमेरिटन (धारा 134A): सहायकों को कानूनी दायित्व से बचाता है।
- ➔ सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025
- ➔ MoRTH द्वारा
  - ➔ पात्रता: सभी सड़क दुर्घटना पीड़ित।
  - ➔ कवरेज: निर्दिष्ट अस्पतालों में 7 दिनों के लिए 1.5 लाख रुपये।
  - ➔ नोडल एजेंसी: राज्य सड़क सुरक्षा परिषद।
  - ➔ भुगतान: राज्य स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा सत्यापित, मोटर वाहन दुर्घटना निधि से भुगतान किया गया।



- ➔ वाहन इंजीनियरिंग: एयरबैग, ABS, क्रैश टेस्ट आदि के लिए उन्नत मानक।
- ➔ सड़क इंजीनियरिंग: डिजाइन में अंतर्निहित सुरक्षा।
- ➔ भारत NCAP: वाहन सुरक्षा के लिए स्टार रेटिंग।

### आवश्यक उपाय:

- ➔ गवर्नेंस में सुधार: सड़क मूल्यांकन को मानकीकृत करना, ऑडिट कराना; के.एस. राधाकृष्णन पैनल ने तीसरे पक्ष द्वारा ऑडिट कराने की सिफारिश की।
- ➔ प्रौद्योगिकी: ATMS को लागू करना, नागपुर के iRASTE जैसे AI आधारित समाधान को अपना सकते हैं।
- ➔ सुरक्षित प्रणाली: परिवहन योजना, बुनियादी ढांचे, वाहन सुरक्षा, सड़क उपयोग, दुर्घटना के बाद प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना।
- ➔ आपातकालीन देखभाल: आघात और अस्पताल-पूर्व प्रणालियों का निर्माण।
- ➔ अन्य: सुरक्षित ड्राइविंग, हेलमेट, शराब/ नशीले पदार्थों के उपयोग को कम करने आदि को बढ़ावा देना।

## 3.5. जिला खनिज फाउंडेशन (The District Mineral Foundation: DMF)

### सुखियों में क्यों?

स्थायी समिति ने DMF फंड और PMKKKY कार्यान्वयन पर रिपोर्ट दी।

### जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के बारे में

- ➔ गठन: खान एवं खनिज अधिनियम, 1957 में संशोधन करके 2015 में बनाया गया
- ➔ अवधारणा: DMF खनन कार्यों से प्रभावित जिलों के लिए एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट है।
- ➔ उद्देश्य: राज्यों द्वारा निर्धारित अनुसार खनन से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों को लाभ पहुंचाना।
- ➔ संरचना: शासी परिषद (नीति) और प्रबंध समिति (कार्यान्वयन) के साथ दो स्तरीय व्यवस्था।
- ➔ DMF का वित्तपोषण: खनन पट्टाधारक पट्टे की तिथि के आधार पर रॉयल्टी का 10-30% योगदान करते हैं।
  - ➔ फंड का उपयोग जिला स्तर पर PMKKKY के दिशा-निर्देशों के तहत किया जाता है।

### भारत में खनन क्षेत्राधिकार

- ➔ संवैधानिक ढांचा
  - ➔ संघ सूची की प्रविष्टि 54: संसद सार्वजनिक हित में खानों और खनिज विकास को विनियमित कर सकती है।
  - ➔ राज्य सूची की प्रविष्टि 23: राज्य संघ सूची के प्रावधानों के अधीन खानों और खनिज विकास को विनियमित कर सकते हैं।
- ➔ लघु खनिज प्राधिकरण
  - ➔ केन्द्र सरकार: किसी भी खनिज को "लघु खनिज" के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
  - ➔ राज्य सरकार: अपने क्षेत्र के भीतर लघु खनिजों के लिए रियायतें देने के नियम बना सकती है।
- ➔ MMDR (संशोधन) अधिनियम, 2023
  - ➔ महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिज:
    - ◊ केन्द्र सरकार को खनन पट्टों और समग्र लाइसेंसों की नीलामी करने का विशेष अधिकार है।
    - ◊ MMDR अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग D में सूचीबद्ध खनिजों पर लागू होता है।
- ➔ DMF (जिला खनिज फाउंडेशन) क्षेत्राधिकार
  - ➔ केन्द्र सरकार: DMF निधियों के गठन और उपयोग के संबंध में निर्देश दे सकती है।
  - ➔ राज्य सरकार: कार्यान्वयन और दैनिक प्रबंधन का कार्य देखती है।
- ➔ महत्व और स्थिति:
  - ➔ DMF संविधान अनुसूचियों, PESA 1996, FRA 2006 द्वारा निर्देशित है।
  - ➔ 645 जिलों (23 राज्यों) में DMF हैं।
  - ➔ ₹1 लाख करोड़ से अधिक एकत्रित
  - ➔ DMF फंड के मामले में शीर्ष राज्य: ओडिशा (29%); छत्तीसगढ़ (14%); झारखंड (13%)



## प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- लॉन्च: MMDR अधिनियम, 1957 के तहत 2015 में।
- राज्य सरकार ने PMKKKY को DMF नियमों में एकीकृत किया है।
- उद्देश्य: खनन क्षेत्रों में सतत विकास; स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, जल, आजीविका के लिए धन जुटाना।
- 2024 का संशोधन
  - प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 70% निधि; अन्य पर 30% की सीमा।
  - आजीविका फोकस: विस्तार, कृषि को जोड़ा गया।
  - प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्र: 70%
  - एंडोमेंट फंड: 10%
  - योजना को बेहतर करना: आवश्यकता मूल्यांकन के आधार पर 5 वर्षी

## जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) से जुड़ी चुनौतियाँ

- शासन संबंधी मुद्दे: DMF में जिला कलेक्टरों का प्रभुत्व है तथा खनन समुदाय का प्रतिनिधित्व सीमित है; केवल पांच राज्यों में ही प्रभावित लोगों को शासी परिषदों में शामिल किया गया है।
- योजना एवं लाभार्थी पहचान: किसी भी जिले ने पाँच साल की परिप्रेक्ष्य योजना (पर्सपेक्टिव प्लान) प्रकाशित नहीं की है। पंचवर्षीय योजना में ग्राम सभा की भागीदारी का अभाव है।
- फंड का उपयोग: केवल 40% फंड का उपयोग हुआ; प्रमुख राज्यों ने कम खर्च दिखाया। फंड मानव विकास के बजाय बुनियादी ढाँचे पर केंद्रित है, जो PMKKKY के लक्ष्यों के विपरीत है।
- कमजोर शिकायत एवं निगरानी: शिकायत प्रणालियाँ अक्सर अकार्यात्मक होती हैं; पारदर्शिता के लिए कोई 'DMF फंड उपयोग सूचकांक' नहीं होता।
- सोशल ऑडिट नहीं किया जाना: प्रभावशीलता मूल्यांकन अनुपस्थित।
- आकांक्षी जिलों का अंतर: 112 ADP जिलों में से 106 DMF जिले हैं, फिर भी खनन प्रभाव शमन लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।

## सुधार

- यह सुनिश्चित करना चाहिए कि DMF स्वतंत्र, समुदाय-नेतृत्व वाले हों तथा उनमें कम से कम एक-तिहाई खनन प्रभावितों का प्रतिनिधित्व हो।
- सहभागी पंचवर्षीय योजनाएँ विकसित करना।
- PMKKKY के अंतर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों को 70% निधि आवंटन करना।
- स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा सोशल ऑडिट और वित्तीय समीक्षा अनिवार्य करना।
- पोस्ट-माइन इकोनॉमी (खनन-समाप्ति पश्चात विकास) के लिए एंडोमेंट फंड की स्थापना के साथ 'जस्ट ट्रांजिशन' पर ध्यान देना चाहिए।

# ऑल इंडिया मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव  
असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

- ✓ सामान्य अध्ययन
- ✓ निबंध
- ✓ दर्शनशास्त्र



**2025** ENGLISH MEDIUM **27 JULY** हिन्दी माध्यम **27 जुलाई**

**2026** ENGLISH MEDIUM **27 JULY** हिन्दी माध्यम **27 जुलाई**



## 3.6. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

### 3.6.1. भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया (India overtakes Japan to become 4th Largest Economy)

IMF की हालिया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, भारत जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

### दुनिया की दस सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (GDP के आधार पर)

|                       |                                                                                     |                        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| संयुक्त राज्य अमेरिका |    | \$30.507 ट्रिलियन डॉलर |
| चीन                   |    | \$19.231 ट्रिलियन डॉलर |
| जर्मनी                |    | 4.744 ट्रिलियन डॉलर    |
| भारत                  |   | \$4.187 ट्रिलियन डॉलर  |
| जापान                 |  | \$4.186 ट्रिलियन डॉलर  |
| यूनाइटेड किंगडम       |  | \$3.839 ट्रिलियन डॉलर  |
| फ्रांस                |  | \$3.211 ट्रिलियन डॉलर  |
| इटली                  |  | \$2.422 ट्रिलियन डॉलर  |
| कनाडा                 |  | \$2.225 ट्रिलियन डॉलर  |
| ब्राजील               |  | \$2.125 ट्रिलियन डॉलर  |

### भारत की आर्थिक छलांग के प्रमुख कारक:

- ➔ **संरचनात्मक:** शहरीकरण, बढ़ती आय, जनसांख्यिकीय लाभांश (औसत आय ~29), मजबूत घरेलू मांग (निजी खपत GDP का ~70%)।
- ➔ **नीतिगत:** GST, IBC, कर कटौती, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा (NEP, PM गति शक्ति), आत्मनिर्भर भारत, उत्पादन-से-सम्बद्ध प्रोत्साहन।
- ➔ **तकनीकी:** डिजिटल अवसंरचना (UPI, जैम ट्रिनिटी), मजबूत आईटी/सॉफ्टवेयर निर्यात।
- ➔ **बाह्य:** FDI अंतर्वाह में वृद्धि, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव।

### भविष्य की संभावनाएं:

- ➔ भारत का लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि (2030 तक 500 गीगावाट), वैश्विक हरित नेतृत्व और विनियामक स्थिरता (बैंक सुधार, RBI) के साथ 2.5-3 वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है।

### 3.6.2. संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स ने विप्रेषण के बहिर्गमन पर 3.5% कर की मंजूरी दी (US House Approves 3.5% Outward Remittance Tax)

अमेरिकी सदन ने विप्रेषणों के बहिर्गमन पर 3.5% कर के प्रावधान वाले 'वन, बिग, ब्यूटीफुल बिल' को मंजूरी दी।

- ➔ **प्रभावी:** 1 जनवरी, 2026 से, गैर-अमेरिकी नागरिकों (जैसे, H-1B, F-1, ग्रीन कार्ड धारकों) पर विप्रेषण पर 3.5% उत्पाद शुल्क लागू होगा; अमेरिकी नागरिकों को इससे छूट दी गई है।
- ➔ **विप्रेषण:** विदेश से स्वदेश भेजे गए धन; 2023 में कुल 656 बिलियन डॉलर। भारत को 2024 में वैश्विक विप्रेषण का 14.3% प्राप्त हुआ।
- ➔ **प्रभाव:** भारत (अमेरिका से \$32.9 बिलियन) सहित विप्रेषण पर निर्भर अन्य अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हो सकता है तथा धनराशि अनौपचारिक चैनलों की ओर स्थानांतरित हो सकती है।

### 3.6.3. वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds: AIFs)

RBI ने वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के लिए निवेश नियमों में संशोधन किया।

**AIF के बारे में:** भारत में अनुभवी निवेशकों के लिए निजी तौर पर एकत्रित निवेश साधन, जो 2012 के नियमों के तहत सेबी द्वारा विनियमित हैं।

#### श्रेणियाँ:

- ➔ **श्रेणी I:** स्टार्ट-अप, SME, इन्फ्रा (जैसे, वेंचर कैपिटल फंड, एंजेल फंड) में निवेश।
- ➔ **श्रेणी II:** कोई लीवरेज नहीं (उदाहरण, प्राइवेट इक्विटी फंड, डेट फंड)।
- ➔ **श्रेणी III:** लीवरेज का उपयोग (उदाहरण के लिए, हेज फंड, PIPE)।

### 3.6.4. प्रीडेटरी प्राइसिंग (Predatory Pricing)

CCI ने लागत विनियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। इनमें प्रीडेटरी प्राइसिंग को रोकने के लिए नई परिभाषा दी गई है।

**प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में:** प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए लागत से कम कीमत पर बेचना, जिसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 4(2) के तहत परिभाषित किया गया है।

**प्रभाव:** उपभोक्ताओं को अल्पकालिक लाभ; विकल्पों में कमी और एकाधिकार मूल्य निर्धारण के कारण दीर्घकालिक नुकसान। प्रतिस्पर्धियों को नुकसान, जिससे प्रमुख कंपनियों को बाद में नुकसान की भरपाई करने में मदद मिलती है।

### 3.6.5. भुगतान विनियामक बोर्ड (Payments Regulatory Board)

RBI ने भुगतान विनियामक बोर्ड विनियम, 2025 अधिसूचित किए। यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत 2008 के विनियमों का स्थान लेता है।

**भुगतान विनियामक बोर्ड के बारे में:**

- ➔ **अध्यक्ष:** RBI गवर्नर



- ➔ **सदस्य:** डिप्टी गवर्नर, 1 RBI अधिकारी, 3 सरकारी नामित व्यक्ति (4 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, पुनः नामांकन नहीं)
- ➔ **विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है**
- ➔ वर्ष में दो बार बैठक, **कोरम: 3**
- ➔ **बहुमत से निर्णय;** अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होता है।

### 3.6.6. RBI (डिजिटल ऋण) दिशा-निर्देश, 2025 {RBI (Digital Lending) Directions, 2025}

RBI ने भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल ऋण) दिशा-निर्देश, 2025 जारी किए।

**मुख्य उद्देश्य:** उधारकर्ताओं की सुरक्षा बढ़ाना, डेटा पारदर्शिता सुनिश्चित करना और ज़िम्मेदार परक डिजिटल ऋण (लेंडिंग) पद्धतियों को बढ़ावा देना।

### RBI के निर्देशों की मुख्य विशेषताएं

- ➔ **डिजिटल ऋण को पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रोसेसिंग के रूप में परिभाषित किया गया है।**
- ➔ बैंकों, NBFCs, सहकारी बैंकों और AIFs पर लागू होता है।
- ➔ को परिभाषित करता है: CIMS के माध्यम से
- ➔ **LSPs पर समुचित सावधानी बरतने की आवश्यकता है**
- ➔ LSPs को उधारकर्ताओं को सभी जरूरी जानकारी जैसे नियम व शर्तें, गोपनीयता नीति आदि स्पष्ट रूप से बतानी होगी।
- ➔ **शिकायत निवारण अधिकारी:** इसे डिजिटल ऋण-संबंधी शिकायतों और मुद्दों का समाधान करने के लिए LSPs द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

### डिजिटल ऋण पर RBI के निर्देशों की आवश्यकता

- ➔ **अत्यधिक ब्याज दरें एवं छिपे हुए शुल्क:** कुछ प्लेटफॉर्म ने जानकारी की कमी का फायदा उठाया है।
- ➔ **अनैतिक वसूली प्रथाएँ:** वसूली एजेंटों द्वारा उत्पीड़न एवं जबरदस्ती।
- ➔ **अनियमित एवं धोखाधड़ी वाले ऐप्स का प्रसार:** कई ऐप्स उचित निगरानी के बिना संचालित होते हैं, जिससे उपभोक्ताओं को नुकसान होता है।
- ➔ **गलत बिक्री:** उधारकर्ताओं को ऋण की शर्तों की पूरी जानकारी नहीं होती है।
- ➔ **डेटा गोपनीयता का उल्लंघन:** संवेदनशील उधारकर्ता डेटा को तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं द्वारा गलत तरीके से संभाला जा सकता है।

### 3.6.7. ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (Opinion Trading Platforms)

SEBI/ सेबी ने निवेशकों को ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से लेन-देन करने के प्रति सचेत किया है।

### ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में

- ➔ **अवधारणा:** ये प्लेटफॉर्म किसी भी खेल आदि में घटनाओं पर अपने पूर्वानुमानों में निवेश करके पैसा कमाने का विकल्प देते हैं।
- ➔ **कानूनी स्थिति:** यह सेबी द्वारा विनियमित नहीं है, क्योंकि पूर्वानुमानों को प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है।
- ➔ **अर्थव्यवस्था:** 50,000 करोड़ रुपये से अधिक लेनदेन और 5 करोड़ उपयोगकर्ता।

### 3.6.8. भारत ने अब तक का सर्वाधिक निर्यात हासिल किया (India Achieves Highest Ever Exports)

वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारत का निर्यात 2024-25 में बढ़कर 824.9 बिलियन डॉलर हो गया।

### मुख्य आंकड़े

- ➔ **वस्तु का निर्यात:** मामूली वृद्धि के साथ 437.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है।
- ➔ **सेवा का निर्यात:** 387.5 बिलियन डॉलर (13.6% वृद्धि), IT, परिवहन और वित्तीय सेवाएँ शामिल।

### निर्यात वृद्धि को प्रेरित करने वाले कारक

- ➔ **नीतिगत प्रोत्साहन:** नई विदेश व्यापार नीति, व्यापार सुविधा, डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब्स इनिशिएटिव और MSMEs को समर्थन।
- ➔ **निर्यात बाजारों का विविधीकरण:** बढ़ती मांग ने वैश्विक मंदी के बावजूद निर्यात को बढ़ाया है।
- ➔ **व्यापार समझौते:** नए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते, जैसे- भारत-UAE CEPA, बाजार खोले गए और बाधाएं कम की गईं।
- ➔ **आपूर्ति श्रृंखला पुनर्निर्धारण:** भारत चीन-प्लस-वन रणनीतियों का विश्वसनीय विकल्प बन रहा है।

### 3.6.9. विश्व बैंक भूमि सम्मेलन (World Bank Land Conference)

विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 में भारत को 'कट्टी चैंपियन' घोषित किया गया।

- ➔ **SVAMITVA** (68,000 वर्ग किमी सर्वेक्षण, 1.16 ट्रिलियन भूमि का मुद्रीकरण) और ग्राम मानचित्र को तकनीक-संचालित ग्रामीण शासन मॉडल के रूप में रेखांकित किया गया।
- ➔ **SVAMITVA:** स्पष्ट स्वामित्व के लिए ग्रामीण भूमि का मानचित्रण करने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाता है।
- ➔ **ग्राम मानचित्र:** जलवायु-अनुकूल, डेटा-आधारित योजना के लिए पंचायतों को सशक्त बनाता है।

### कुशल भूमि प्रबंधन प्रणाली और आर्थिक संवर्द्धि

- ➔ **नौकरियां और विकास:** संपत्ति तक सुगम पहुंच, उद्यमशीलता और वैकल्पिक आजीविका की सुविधा।
- ➔ **निजी पूंजी:** अधिकार भू-स्वामियों को भूमि को जमानत के रूप में रखने हेतु सक्षम बनाते हैं, जिससे निजी ऋण और निवेश के अवसरों को बढ़ावा मिलता है।
- ➔ **अवसंरचना वित्तपोषण:** विश्वसनीय सरकारी राजस्व उत्पन्न करना।
  - ➔ निम्न आय वाले देशों में भूमि और संपत्ति कर GDP में मात्र 0.6% का योगदान करते हैं, जबकि औद्योगिक देशों में यह आंकड़ा 2.2% है।
- ➔ **शहरी प्रबंधन:** शहरों के विकास की योजना बनाने में सहायक।
- ➔ **खाद्य सुरक्षा:** कृषि उत्पादन में 4% की वृद्धि हो सकती है।

### 3.6.10. रिपेयरैबिलिटी इंडेक्स (Repairability Index)

भारत खेड़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने DoCA को रिपेयरैबिलिटी इंडेक्स (RI) फ्रेमवर्क रिपोर्ट प्रस्तुत की।

#### RI फ्रेमवर्क के बारे में:

- OEMs को स्कोरिंग मानदंडों का उपयोग करके RI की स्व-घोषणा करनी होगी।
- RI को बिक्री केन्द्रों, ई-कॉमर्स और पैकेजिंग पर QR कोड के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा।
- प्रारंभ में स्मार्टफोन और टैबलेट को प्राथमिकता दी गई।
- RI को 6 मुख्य मापदंडों पर 5 अंक के पैमाने पर रेट किया जाता है: टुल्स, डिसेम्बलिंग डेप्थ, मरम्मत की जानकारी, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता, फास्टनर, सॉफ्टवेयर अपडेट।

#### RI का महत्व:

- मरम्मत या रिपेयर की सुविधा में सुधार
- संधारणीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: LIFE की अवधारणा को मजबूती।
- 'योजनाबद्ध तरीके से अप्रचलन' के मुद्दे का समाधान
- रोजगार सृजन: थर्ड-पार्टी द्वारा मरम्मत की अनुमति से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे।

**राइट टू रिपेयर:** स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत संबंधी जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करता है; DoCA ने 2022 में पोर्टल लॉन्च किया।

### 3.6.11. वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट (वेव्स/ WAVES), 2025 {World Audio Visual and Entertainment Summit (WAVES), 2025}

प्रधान मंत्री ने वेव्स शिखर सम्मेलन 2025 में भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी को रेखांकित किया।

- क्रिएटिव इकोनॉमी को सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि, नवाचार और समावेशिता की कुंजी माना जाता है।
- वेव्स का लक्ष्य 2029 तक 50 बिलियन डॉलर का बाजार खोलना है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा FICCI और CII के साथ मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT) को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में शुरू किया गया।

### क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में:

- इसे 'ऑरेंज इकोनॉमी' भी कहा जाता है। यह आर्थिक संवृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए रचनात्मक परिसंपत्तियों के योगदान एवं क्षमता पर आधारित एक उभरती हुई अवधारणा है।
- इसमें एनीमेशन, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी (AVGC-XR) आदि शामिल हैं।

### भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी

- योगदान: GDP में 30 बिलियन डॉलर का योगदान एवं 8% कार्यबल को रोजगार।
- चुनौतियाँ: गलत सूचना, गोपनीयता, सीमित ग्रामीण डिजिटल पहुंच और औपचारिक वित्तपोषण की कमी आदि।
- पहल: क्रिएटिव इकोनॉमी निधि, क्रिएटिव इकोनॉमी में अखिल भारतीय पहल, नेशनल क्रिएटर पुरस्कार, आदि।

### 3.6.12. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (Indian Institute of Creative Technology)

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने FICCI एवं CII के सहयोग से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी (IICT) की स्थापना की घोषणा की है।

#### IICT के बारे में:

- एनीमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स आदि (AVGC-XR) के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NcoE)।
  - ➔ एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) भौतिक और डिजिटल दुनिया का मिश्रण है, जैसे वर्चुअल रियलिटी (VR), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) और मिक्स्ड रियलिटी (MR)।
- IITs/IIMs की तर्ज पर वैश्विक शिक्षा केंद्र बनना।

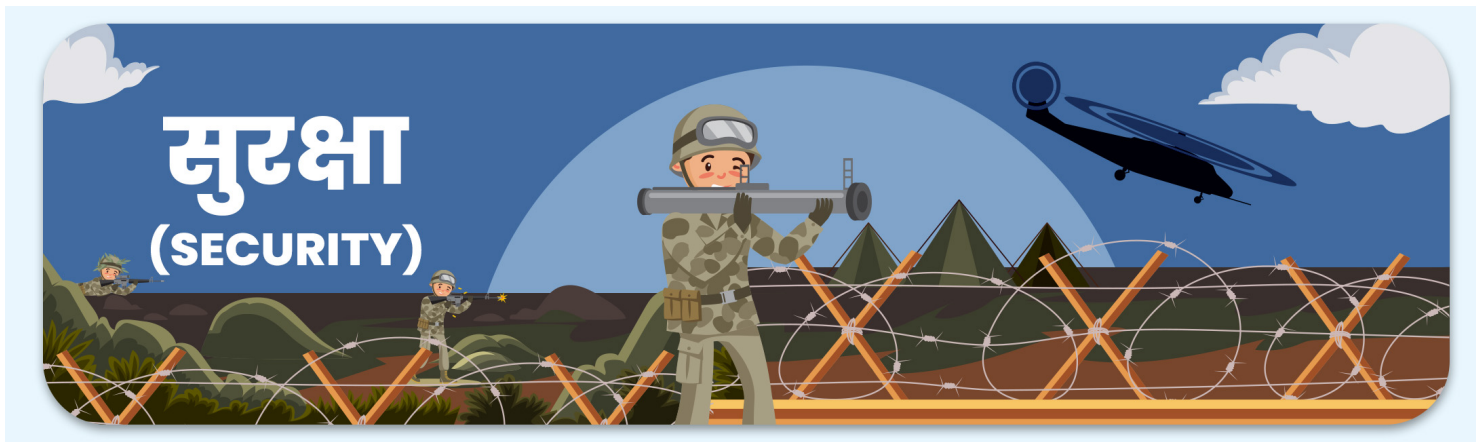
### AVGC-XR सेक्टर की स्थिति

- 2021 में वैश्विक स्तर पर इस बाजार का मूल्य 366 बिलियन डॉलर से अधिक है।
- भारत: वैश्विक बाजार का 1% से भी कम। 2030 तक 26 बिलियन डॉलर तक पहुंचना (कनटिक अग्रणी)।

### AVGC-XR सेक्टर के विकास के प्रमुख कारण

- OTT यूजर्स की संख्या में वृद्धि: पेनेट्रेशन दर 38.4%।
- स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की वृद्धि
- एप्लिकेशंस का व्यापक दायरा: गेमिंग, एडटेक, आर्किटेक्चर आदि में।
- नई प्रौद्योगिकियों का आगमन: निवेश में वृद्धि।
- 5G





## 4.1. भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत (INDIA'S NEW SECURITY DOCTRINE)

### मुख्तियों में क्यों?

ऑपरेशन सिद्ध की सफलता के बाद भारत के प्रधान मंत्री ने भारत के नए सुरक्षा सिद्धांत की रूपरेखा प्रस्तुत की। यह सिद्धांत आतंकवाद के खिलाफ भारत के नजरिये में एक व्यापक बदलाव को दर्शाता है।

### भारत के सुरक्षा सिद्धांत में प्रमुख बदलाव

ऑपरेशन सिद्ध भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत में निणायक बदलाव का सूचक है। नया सुरक्षा सिद्धांत निम्नलिखित तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है:

### भारत का सुरक्षा सिद्धांत: राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए तीन रणनीतिक स्तंभ

#### निणायक प्रतिशोध

##### विवरण

भारत पर हुए किसी भी आतंकवादी हमले का मजबूती से और निणायक जवाब दिया जाएगा। भारत आतंकवाद के मूल ढांचे को निशाना बनाकर हमला करेगा।

##### बदलाव और महत्व

भारत ने बड़े आतंकवादी हमले को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की अपनी सहन-सीमा के स्तर को कम कर दिया है। इससे आतंकवाद का समर्थन करने वाले पक्ष को भी व्यापक आर्थिक व सैन्य क्षति का सामना करना पड़ेगा।

#### परमाणु हमले की धमकी के प्रति 'जीरो टॉलरेंस'

##### विवरण

भारत परमाणु हमले की धमकियों से डरने वाला नहीं है। इस बहाने आश्रय लेने वाले आतंकी ठिकानों पर सटीक और निणायक हमले किए जाएंगे।

##### बदलाव और महत्व

यह सिद्धांत स्पष्ट करता है कि भारत की आत्मरक्षा की नीति को परमाणु हमले की धमकियों से नहीं रोका जा सकता। यह भारत की पहले की संयमपूर्ण नीति से पूर्णतया भिन्न है।

#### आतंकवाद के समर्थकों और आतंकवादियों के बीच कोई भेद नहीं किया जाएगा

##### विवरण

भारत आतंकवादियों और उन्हें आश्रय देने वाली सरकारों को एक ही नजरिए से देखेगा।

##### बदलाव और महत्व

राज्य-प्रायोजित आतंकवाद को प्रॉक्सी (छद्म) अभिकर्ताओं के माध्यम से युद्ध के राज्य-अनुमोदित कृत्य के रूप में स्थापित करता है।

### ऑपरेशन सिद्ध के दौरान भारत के सुरक्षा सिद्धांत के अन्य प्रमुख आयाम

- दंडात्मक प्रतिरोध: 'डिटरेंस बाय डिनायल' से दंडात्मक रणनीति की ओर बदलाव।
- आर्थिक उपाय: भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया।
- भू-राजनीतिक संदेश: भारत के आतंकवाद विरोधी रुख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए सात उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों को भेजा गया।
- सामरिक अक्षमता: ग्यारह पाकिस्तानी वायुसेना अड्डों पर हमले किए।
- समन्वित और तकनीक-आधारित प्रतिक्रिया: ड्रोन वारफेयर सहित स्वदेशी उच्च-तकनीकी प्रणालियों का निबन्ध एकीकरण।
- तनाव कम करने की रणनीति: इसका उद्देश्य पारंपरिक संघर्ष को सीमित करते हुए दंडात्मक नुकसान पहुंचाना और इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालना था।



## निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य विकास में एक **युगांतकारी क्षण** दर्शाता है। सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई उसके रुख में एक स्पष्ट बदलाव को चिह्नित करती है, जिसने **प्रतिरोध को कार्यान्वित करके और आतंकी ठिकानों को निष्क्रिय करके एक परिष्कृत अभियान** चलाया है। यह अभियान दक्षिण एशियाई संघर्ष की गतिशीलता को फिर से परिभाषित करता है।

## 4.2. रक्षा प्रौद्योगिकी और ऑपरेशन सिंदूर (Defense Technology and Operation Sindoor)

### सुखियों में क्यों?

ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने अपनी हवाई क्षेत्र क्षमताओं के माध्यम से सैन्य अभियानों में तकनीकी श्रेष्ठता को प्रदर्शित किया।

### ऑपरेशन सिंदूर को सक्षम बनाने वाली प्रमुख रक्षा प्रौद्योगिकियां

भारत की हवाई क्षेत्र निगरानी प्रणालियां

## भारत की रक्षा प्रणालियों में

उन्नत एकीकृत कमान एवं नियंत्रण नेटवर्क



### भारतीय वायुसेना की {एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (IACCS)}

- यह एक **स्वचालित प्रणाली** है, जो सभी वायु रक्षा परिसंपत्तियों जैसे **भूमि आधारित रडार, हवाई सेंसर, सिविल रडार** आदि से प्राप्त डेटा को एकीकृत करती है।
- यह **युद्ध क्षेत्र की पूरी तस्वीर के बारे में सटीक जानकारी** प्रदान करती है।
- इसे **BEL** ने विकसित किया है।



### बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD) नेटवर्क का मिशन कंट्रोल सेंटर (MCC)

- यह **स्वोर्डफ़िश रडार** सहित 500 कि.मी. से अधिक की रेंज वाले **लॉन्ग-रेंज ट्रैकिंग रडार (LRTR)** नेटवर्क के माध्यम से भारतीय हवाई क्षेत्र की निगरानी करता है।
- यह **ELM-2090 टेरा सिस्टम्स, Netra AEW&C** (200 कि.मी. तक की रेंज), तथा **फाल्कन AWACS** (400 कि.मी. तक की रेंज) से डेटा प्राप्त करता है।



### भारतीय थल सेना की 'आकाशतीर' प्रणाली

- यह **स्वचालित प्रणाली** है। इसे **शत्रु देश के ड्रोन्स, मिसाइलों, हवाई वाहनों आदि को रोकने एवं निष्क्रिय** करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह **कम ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्र की स्वायत्त निगरानी** को सक्षम बनाती है।
- इसे **BEL** ने विकसित किया है।



### भारतीय नौसेना की 'त्रिगुण/ TRIGUN' प्रणाली

- यह **समुद्री डोमेन जागरूकता मंच** है। यह **समुद्र-आधारित रडार, सोनार और संचार नोड्स** को एकीकृत करता है। इससे **रियल टाइम में खतरों का पता** लगाया जा सकता है।



### NavIC के माध्यम से उपग्रह निगरानी (नेविगेशन विड इंडियन कॉन्स्टेलेशन)

- इसरो द्वारा विकसित यह प्रणाली **अवस्थिति, वेग और समय संबंधी सेवाएं** प्रदान करती है। इसमें 7 सैटेलाइट्स शामिल हैं।
- ये सैटेलाइट्स **ड्यूबल बैंड सिग्नल (L5 और S-बैंड)** से लैस हैं। L5 सिग्नल सैन्य उपयोग के लिए एन्क्रिप्टेड है।

## भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली

भारत की वायु रक्षा प्रणाली चार परतों से बनी है।

## भारत की बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली

### पहला स्तर:

काउंटर-ड्रोन और मैन-पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम (MANPADS)

### दूसरा स्तर:

पॉइंट एयर डिफेंस और कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें

### तीसरा स्तर:

मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें

### चौथा स्तर:

लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें

## प्रत्येक परत के प्रमुख घटक

### पहली परत (अत्यंत कम दूरी)

- डी4 एंटी-ड्रोन सिस्टम: DRDO द्वारा विकसित, दोहरी मारक क्षमता से युक्त (हार्ड किल: लेजर; सॉफ्ट किल: RF डिटेक्शन और जैमिंग)।
- MANPADS: व्यक्तियों द्वारा संचालित रूसी इग्ला-M और इग्ला-S सतह-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलें।
- शिल्का सिस्टम: 360-डिग्री कवरेज के साथ स्व-चालित रडार-निर्देशित विमान भेदी हथियार।
- Zu-23 mm प्रणाली: हवाई लक्ष्यों के लिए 2.5 किमी की मारक क्षमता वाली द्विज बैरल एंटी-एयरक्राफ्ट गन।
- L/70 एंटी-एयरक्राफ्ट गन: भारत में निर्मित 40 mm बोफोर्स गन, 240-330 राउंड प्रति मिनट, 4 किमी की मारक क्षमता आदि।

### दूसरी परत (कम दूरी)

- आकाश: DRDO द्वारा विकसित SRSAM, जिसकी 30-35 किमी की मारक क्षमता है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है।
- स्पाइडर: पाइथन-5 और डर्बी मिसाइलों के साथ इंजरायल निम्न-स्तरीय SAM प्रणाली, जिसकी मारक क्षमता 35 किमी है।
- लिंगेसी सोवियत सिस्टम: S-125 पेचोरा, 9K33 Osa-AK, और 2K12 क्यूब/क्वड्रट।

### तीसरी परत (मध्यम दूरी)

- बराक-8: भारत-इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित प्रणाली, जो नौसैनिक LRSAM (100 किमी रेंज) और MRSAM (70 किमी रेंज) संस्करणों में उपलब्ध है।

### चौथी परत (लंबी दूरी)

- S-400 सुदर्शन चक्र: चार प्रकार की मिसाइलों (40-400 किमी मारक क्षमता) वाली रूसी प्रणाली, जो 30 किमी की ऊंचाई तक के सभी हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है।
- BMD कार्यक्रम: बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए दो-स्तरीय प्रणाली, जिसमें PAD (80 किमी की ऊंचाई) और AAD (30 किमी की ऊंचाई) शामिल हैं, जिनकी मारक क्षमता 2,000 किमी तक है।

अन्य हथियार प्रणालियां जिनका संभावित रूप से उपयोग किया गया

| हथियार                  | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रह्मोस मिसाइल         | भारत-रूस की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल (2-3 मैक गति), 290 किमी मारक क्षमता, जो अचूक सटीकता के साथ 'दागो और भूल जाओ' के सिद्धांत पर काम करती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| राफेल हथियार प्रणालियां | फ्रांसीसी लड़ाकू जेट विमान, SCALP क्रूज मिसाइलों (450 किमी रेंज), AASM HAMMER बमों (70 किमी रेंज), और मीटियोर हवा-से-हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ड्रोन्स                 | <div> <h3>भारत द्वारा उपयोग किए जाने वाले ड्रोन के प्रकार</h3> <div> <div> <h4>निगरानी और टोही ड्रोन (ISR Drones):</h4> <p>इन ड्रोन्स का उपयोग मुख्य रूप से खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी और टोही उद्देश्यों के लिए किया जाता है।</p> <p><b>भारत के पास:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TAPAS-BH-201 (टैक्टिकल एडवांस्ड प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस)</li> <li>रुस्तम (DRDO द्वारा विकसित)</li> <li>हेरोन (इजरायल से)</li> </ul> </div> <div> <h4>सशस्त्र/लड़ाकू ड्रोन (UCAVs):</h4> <p>मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (UCAVs) मिसाइलें लॉन्च करने या बम गिराने में सक्षम हैं।</p> <p><b>भारत के पास:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DRDO का घातक (विकास के चरण में है)</li> <li>हेरोन TP (इजरायल से)</li> </ul> </div> <div> <h4>स्वार्म ड्रोन्स:</h4> <ul style="list-style-type: none"> <li>दुश्मन की सुरक्षा को ध्वस्त करने के लिए कई ड्रोन्स समन्वय में काम करते हैं।</li> <li>DRDO और कई निजी कंपनियां स्वार्म ड्रोन तकनीक पर काम कर रही हैं।</li> </ul> </div> <div> <h4>लैंडिंग एरियल म्यूनिशन (LAM) या कामिकेज़ ड्रोन या आत्मघाती ड्रोन (लक्ष्य पर जाकर क्रैश)</h4> <p>इन ड्रोन को लक्ष्य क्षेत्र पर मंडराते रहने और लक्ष्य की पहचान होने पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।</p> <p><b>भारत के पास:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>नागास्त्र (सोलर इंडस्ट्रीज और ZMotion द्वारा निर्मित)</li> <li>वार्मेट (पोलिश मूल)</li> <li>स्काईस्ट्राइकर (इजरायल के सहयोग से विकसित)</li> </ul> </div> </div> </div> |

## निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत की स्वदेशी वायु रक्षा तकनीक ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी, नवाचार प्रोत्साहन, सार्वजनिक क्षेत्र के सशक्त कार्यान्वयन और दीर्घकालिक रक्षा दृष्टिकोण के संयोजन के माध्यम से अपनी दक्षता एवं विश्वसनीयता का प्रदर्शन किया था।

## 4.3. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव (Social Media Influencers' Impact On National Security)

### मुख्तियारों में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा की एक यूट्यूब ब्लॉगर/ इन्फ्लुएंसर को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

### अन्य संबंधित तथ्य

- इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की धारा 3 और 5 तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
  - ➔ BNS की धारा 152 'भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों' से संबंधित है।

### ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 (OSA) के बारे में

- उद्देश्य: राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सरकार की निजता और गोपनीयता की रक्षा करना।
- लागू होना: यह कानून संपूर्ण भारत में लागू है। किसी भी विभाग के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों, संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों या सरकार की ओर से नियुक्त कर्मचारियों और विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों पर भी यह लागू है।

### OSA, 1923 की महत्वपूर्ण विशेषताएं

- यह कानून जासूसी, राजद्रोह और राष्ट्रीय अखंडता के समक्ष खतरों से संबंधित है।
- RTI अधिनियम, 2005 की धारा 22 RTI अधिनियम को OSA और अन्य कानूनों पर वरीयता देती है।
- RTI अधिनियम की धारा 8(2) खुलासा करने की अनुमति देती है, यदि लोक हित नुकसान से अधिक महत्वपूर्ण हो।
- धारा 8(1) अनिवार्य सूचना के प्रकटीकरण से छूटों को सूचीबद्ध करती है।

### महत्वपूर्ण धाराएं:

- धारा 3: जासूसी गतिविधियों, जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों तक पहुँचना या गुप्त कोड साझा करने के लिए दंड।
- धारा 5: गुप्त आधिकारिक जानकारी का गलत तरीके से संचार।

## राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का खतरा

- मनोवैज्ञानिक युद्ध: जनमत को प्रभावित करने के लिए विदेशी-नेतृत्व वाली गलत सूचना फैलाना।
  - ➔ उदाहरण: चीन वैश्विक आलोचना का जवाब देने के लिए इन्फ्लुएंसर्स का उपयोग करता है।
- जासूसी: कुछ इन्फ्लुएंसर्स संवेदनशील डेटा लीक करते हैं; जैसे, ज्योति मल्होत्रा कथित तौर पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ी है।
- सामाजिक ध्रुवीकरण: सरकार ने पश्चिम बंगाल में फर्जी खबरों और नफरत भरे भाषण के लिए 1,093 खातों को ब्लॉक कर दिया।
- विदेशी प्रभाव: खालिस्तान-समर्थक एकाउंट्स अलगाववादी प्रचार फैलाते हैं; भारत ने SFJ से संबंधों के कारण "पंजाब पॉलिटिक्स टीवी" पर प्रतिबंध लगा दिया है।
- आतंकी प्रचार: कट्टरता फैलाने के लिए चरमपंथी यूट्यूब (जैसे- अनवर अल-अल्लकी) जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं।

### प्रमुख शब्दावलि

- मनोवैज्ञानिक युद्ध: दुश्मनों को गुमराह करने और उनका मनोबल गिराने के लिए प्रचार एवं गैर-लड़ाकू तकनीकों का नियोजित उपयोग।
- दुष्प्रचार (Disinformation): प्राप्त कर्ताओं को धोखा देने के इरादे से जानबूझकर फैलाई गई झूठी जानकारी।
- गलत जानकारी (Misinformation): धोखा देने के इरादे के बिना फैलाई गई झूठी जानकारी।

## राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष इन्फ्लुएंसर्स के खतरे से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

कानूनी ढांचा और नीतियां

- आईटी अधिनियम, 2000: धारा 69A सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने की शक्ति प्रदान करती है।
- आईटी नियम, 2021: प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के भीतर गैर-कानूनी कंटेंट को हटाने और संदेश के मूल स्रोत का पता लगाना आवश्यक है।
- फेक्ट चेक यूनिट (FCU): फर्जी खबरों से निपटने के लिए PIB के तहत एक आधिकारिक निकाय है।



- **नियमित जागरूकता:** सूचना की अनधिकृत लीक को रोकने के लिए सरकारी अधिकारियों नियमित रूप से ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट और केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम की जानकारी दी जाती है।

### ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रचार युद्ध से निपटना

- गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती राज्यों को सोशल मीडिया पर राष्ट्र-विरोधी प्रचार पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया।
- राज्यों को धारा 69A के तहत झूठे नेगेटिव फैलाने वाले सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया गया।
- सरकार ने जनता से PIB फैक्ट चेक को फर्जी खबरों की रिपोर्ट करने का आग्रह किया।

### निष्कर्ष

भारत का बहु-स्तरीय दृष्टिकोण OSA को आधुनिक आईटी नियमों के साथ जोड़ता है। इससे एक ऐसा व्यापक ढांचा तैयार होता है, जो पारंपरिक जामूसी और इन्फ्लुएंसर नेटवर्क के माध्यम से उभरने वाले समकालीन डिजिटल खतरों दोनों से निपटता है।

## 4.4. राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयास (India's Diplomatic Outreach Against State Sponsored Terrorism)

### सुर्खियों में क्यों?

भारत ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान-प्रायोजित सीमा-पार आतंकवाद को लक्षित करते हुए एक वैश्विक राजनयिक अभियान शुरू किया।

### अन्य संबंधित तथ्य

- भारत ने 30 से अधिक देशों में उच्च स्तरीय बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजे। इनमें अलग-अलग राजनीतिक दलों के संसद सदस्य, वरिष्ठ राजनेता और अनुभवी राजनयिक शामिल थे।
- इन प्रतिनिधिमंडलों का कार्य पाकिस्तान द्वारा प्रस्तुत किए गए 'दो-राष्ट्र सिद्धांत' पर आधारित विचारधारा का खंडन करना था। कोलंबिया ने अपने पिछले बयान को वापस लेते हुए भारत के आतंकवाद विरोधी रुख का समर्थन किया।

### कूटनीतिक प्रयास के प्रमुख उद्देश्य

- **कश्मीर मुद्दे को फिर से परिभाषित करना:** कश्मीर को भारत का आंतरिक संवैधानिक विषय बताते हुए इसे द्विपक्षीय मुद्दा मानने से इनकार करना।
- **आतंकवाद को राज्य की नीति के रूप में उजागर करना:** यह बताना कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद-विरोधी मानदंडों के समक्ष एक वैश्विक खतरा भी है।

### राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच की प्रभावशीलता

- **आत्मरक्षा को वैध बनाना:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का आह्वान किया। इसने सशस्त्र आक्रामकता के खिलाफ एक कानूनी प्रतिक्रिया के रूप में ऑपरेशन सिंदूर को उचित ठहराया।
- **आतंक पर शून्य-सहिष्णुता नीति के लिए समर्थन:** भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) को अपनाने की अपनी मांगों को नवीनीकृत किया।
- **वैश्विक समर्थन का निर्माण:** संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, इजरायल और जापान जैसी प्रमुख शक्तियों ने पहलगाम हमले की निंदा की।
- **मुस्लिम-बहुल राष्ट्रों से समर्थन हासिल करना:** इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन ने इस्लामी सहयोग संगठन में पाकिस्तान के भारत-विरोधी प्रयासों को विफल कर दिया।
  - ➔ OIC में 57 सदस्य देश हैं और यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है।

### वैश्विक कूटनीतिक पहुंच से दीर्घकालिक प्रभाव की उम्मीद

- **भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूती:** इसमें भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के भीतर आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से कार्य कर रहा है।
- **पाकिस्तान को अलग-थलग करना:** यह कदम आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान को एक सख्त चेतावनी संकेत देता है। इससे उसका कूटनीतिक अलगाव होगा और उसकी वैश्विक छवि को भी गंभीर आघात पहुंचेगा।
- **आतंकवाद-रोधी अभियान में नेतृत्व:** यह आतंकवाद-रोधी अभियान और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर एजेंडा तय करने में भारत की भूमिका को बढ़ावा देता है।

### राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयासों में मुख्य बाधाएं

- **भारत और पाकिस्तान का री-हाइफनेशन:** वैश्विक मंच पर विशेष रूप से कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान को एक बार फिर एक ही संदर्भ में देखा जाने लगा है। उदाहरण के लिए- ट्रम्प द्वारा संघर्ष विराम की मध्यस्थता करने का दावा।
- **समन्वित वैश्विक कार्रवाई का अभाव:** राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर साक्ष्यों के बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ कोई संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई (जैसे प्रतिबंध या प्रस्ताव) नहीं की गई है।
- **पाकिस्तान को कूटनीतिक लाभ:** चीन के समर्थन से पाकिस्तान को UNSC की तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष और आतंकवाद-रोधी समिति

का उपाध्यक्ष बनाया गया है।

- वैश्विक वित्तीय निकायों में भारत का सीमित प्रभाव: भारत की आपत्तियों के बावजूद, पाकिस्तान को बड़े ऋण प्राप्त हुए।
- द्विपक्षीय समर्थन: चीन और तुर्किये समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के कूटनीतिक प्रयासों को विफल करने के लिए विदेशों में राजनयिक प्रतिनिधिमंडल भी भेजे थे।
- वैश्विक मीडिया द्वारा अधिक ध्यान न देना: मौजूदा वैश्विक संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विवाद पर कम ध्यान दिया। इससे पाकिस्तान को अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिला।

## निष्कर्ष

भारत द्वारा संप्रभु विशेषाधिकार का प्रतिपादन सामरिक परिपक्वता को दर्शाता है। वैश्विक व्यवस्था समझौते से अधिक स्पष्टता का सम्मान करती है। यह विवाद नुक्तों में नहीं, बल्कि मस्तिष्कों में होगा, और बातों में स्पष्टता यह तय करेगी कि भविष्य किसके हाथ में जाएगा। भारत के सामने चुनौती केवल लड़ाइयाँ जीतने की नहीं, बल्कि अपनी कहानी का स्वामी बनने की है, क्योंकि जो पक्ष प्रश्न गढ़ता है, वही अवसर उत्तर को नियंत्रित करता है।

## 4.5. ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का शुभारंभ (Brahmos Aerospace Testing Facility launched)

### सुखियों में क्यों?

हाल ही में, रक्षा मंत्री ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया।

### अन्य संबंधित तथ्य

- इस परीक्षण सुविधा के साथ, एक ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन इकाई का भी उद्घाटन किया गया।
- ये इकाइयाँ उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा हैं।

### रक्षा औद्योगिक गलियारों के बारे में

रक्षा सामग्री के विनिर्माण को मजबूत करने और रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, दो रक्षा औद्योगिक गलियारे स्थापित किए जा रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश में और दूसरा तमिलनाडु में।

- उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा
  - ➔ इसमें 6 नोडल बिंदु शामिल हैं: आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ।
- तमिलनाडु रक्षा गलियारा: इसमें 5 नोडल बिंदु शामिल हैं: चेन्नई, कोयंबटूर, होसूर, सेलम और तिरुचिरापल्ली।
- रक्षा औद्योगिक गलियारों का महत्व: मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता; घरेलू विनिर्माण; रोजगार सृजन; तथा निर्यात सुविधा।

### ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में

- यह लंबी दूरी की एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली है। इसे जमीन, समुद्र और हवा से दागा जा सकता है।
- इसे भारत के DRDO और रूस के NPOM के बीच एक संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने विकसित किया है।
- ब्रह्मोस का नाम ब्रह्मपुत्र और मोस्कवा नदियों के नाम पर रखा गया है।
  - ➔ सामान्य गति 2 से 3 मैक है (1 मैक = ध्वनि की गति)।
- मुख्य विशेषताएं:
  - ➔ दो चरणों वाली मिसाइल: ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन (सुपरसोनिक गति तक ले जाता है) तथा लिक्विड रैमजेट इंजन (3 मैक गति पर क्रूज)।
  - ➔ रेंज- 290 कि.मी. तक।
  - ➔ दागो और भूल जाओ सिद्धांत: स्वायत्त निर्देशन के साथ अलग-अलग प्रकार के प्रक्षेप-पथों को अपनाती है।
  - ➔ संस्करण: ब्रह्मोस-एनजी: हल्का, छोटा और फिर भी स्मार्ट संस्करण। ब्रह्मोस-II: हाइपरसोनिक (5 मैक से अधिक की गति)।

### ब्रह्मोस मिसाइल का महत्व

- उच्च गति और सटीकता: उच्च सुपरसोनिक गति (मैक- 2.8 से 3.0) और अचूक सटीकता।
- स्टील्थ विशेषता: कम रडार सिग्नेचर और यह 10 मीटर जितनी कम ऊँचाई पर उड़ान भर सकती है।
- रक्षा आत्मनिर्भरता: 200 से अधिक सार्वजनिक और निजी भारतीय उद्योग इसकी उप-प्रणालियों में योगदान करते हैं।
- रक्षा निर्यात: ब्रह्मोस की खरीद करने वाला फिलीपींस पहला देश बना।
- अन्य मिसाइलों से तुलना:

| विशेषताएं        | ब्रह्मोस (भारत-रूस)                      | टॉमहॉक (अमेरिका)          | कैलिबर (रूस)                             | किंगजल (रूस)           | स्कैल्प (फ्रांस)       |
|------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| गति              | सुपरसोनिक (2-3 मैक)                      | सबसोनिक (मैक 0.7-0.9)     | सबसोनिक (लक्ष्य के पास मैक 2.5 तक बूस्ट) | हाइपरसोनिक (10 मैक तक) | सबसोनिक (लगभग मैक 0.8) |
| रेंज             | 290 कि.मी. (800 कि.मी. तक विस्तार योग्य) | 1,250-2,500 कि.मी.        | 220-2,500 कि.मी.                         | 1,500-2,000 कि.मी.     | 140 -550 कि.मी.        |
| लॉन्च प्लेटफॉर्म | जमीन, समुद्र, हवा                        | जमीन, समुद्र, पनडुब्बियां | समुद्र, पनडुब्बी, हवा                    | हवा                    | हवा, जहाज, पनडुब्बी    |

## निष्कर्ष

ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का उद्घाटन भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने और देश को वैश्विक रक्षा निर्यात परिदृश्य में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

## 4.6. गोल्डन डोम (Golden Dome)

हाल ही में, अमेरिकी राष्ट्रपति ने गोल्डन डोम नामक एक महत्वाकांक्षी मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अनावरण किया।

### गोल्डन डोम के बारे में

- गोल्डन डोम एक भू-आधारित और अंतरिक्ष-आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसे पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइल खतरों के खिलाफ एक बहु-स्तरीय रक्षा प्रणाली होगी। यह अंतरिक्ष-आधारित इंटरसेप्टर और उन्नत ट्रैकिंग तकनीकों को एकीकृत करेगी।
- यह प्रणाली मिसाइलों को उनकी उड़ान के कई चरणों में पहचान सकेगी, ट्रैक और नष्ट कर सकेगी, और यहां तक कि उड़ान भरने से पहले भी नष्ट कर सकती है।
- इसके घटकों में मौजूदा अमेरिकी मिसाइल रक्षा परिसंपत्तियां शामिल हैं: पैट्रियट मिसाइल बैटरियां, THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस), एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, ग्राउंड-बेस्ड मिडकोर्स डिफेंस (GMD) आदि।

### गोल्डन डोम को लेकर चिंताएं

- अंतरिक्ष का शस्त्रीकरण: चीन ने यह कहते हुए चिंता व्यक्त की है कि यह 'अंतरिक्ष के युद्ध का मैदान बनने के जोखिम को बढ़ाता है' और 'हथियारों की होड़ को बढ़ावा देता है'।
- बाह्य अंतरिक्ष संधि की भावना के खिलाफ: संधि के अनुसार, राष्ट्र कक्षा में या खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियार या अन्य सामूहिक विनाश के हथियार नहीं रखेंगे।

दुनिया की विभिन्न वायु रक्षा प्रणालियों के बीच तुलना

| देश                   | वायु रक्षा प्रणालियां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रूस                   | ➤ S-400 ट्रायफ (SA-21 ग़ोल्डन): एडवांस्ड फेज़्ड-अरे रडार से युक्त तथा 40 से 400 किलोमीटर तक रेंज।                                                                                                                                                                                                                                            |
| संयुक्त राज्य अमेरिका | ➤ THAAD (टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस): "हिट-टू-किल" तकनीक, 1,000 किलोमीटर तक की दूरी पर लक्ष्य की पहचान, निगरानी और ट्रैकिंग करने में सक्षम; मैक-8 इंटरसेप्टर मिसाइल का उपयोग।                                                                                                                                                       |
| इजरायल                | ➤ आयरन डोम: तामीर इंटरसेप्टर मिसाइल से युक्त; लॉन्चर, युद्ध प्रबंधन और हथियार नियंत्रण प्रणाली (BMC) शामिल और डेविड्स स्लिंग के लिए फायर कंट्रोल रडार के रूप में कार्य करना।<br>➤ आयरन बीम: हाई एनर्जी लेज़र प्रणाली (100-150 किलोवाट)। आयरन डोम की पूरक प्रणाली।                                                                            |
| चीन                   | ➤ HQ-9: S-300 और पैट्रियट प्रणाली से प्रेरित, S-400 के रडार की तुलना में कम एडवांस्ड।                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भारत                  | ➤ बराक-8: भारत और इजरायल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली; 360 डिग्री कवरेज तथा नौसेना और थल सेना, दोनों के लिए उपलब्ध।<br>➤ आकाश: राजेन्द्र रडार प्रणाली से लैस, मोबाइल, 100% स्वदेशी, सतह से हवा में मार करने में सक्षम, सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकती है, रैमजेट-रॉकेट प्रणाली का उपयोग करती है। |

## निष्कर्ष

अंतरिक्ष से संचालित इंटरसेप्टर्स की तैनाती, भले ही रक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम हो, लेकिन इससे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का उल्लंघन और नई हथियारों की दौड़ शुरू होने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। असली चुनौती राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़रूरतों और मानवता के लिए अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के बीच संतुलन बनाए रखने की है।



## 4.7. नक्सलवाद (NAXALISM)

### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर स्थित करेगुट्टालु हिल पर नक्सलवादियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया।

### अन्य संबंधित तथ्य

➤ यह अभियान 31 मार्च, 2026 तक भारत को नक्सल-मुक्त बनाने के लक्ष्य के अनुरूप संचालित किया गया था।

### भारत में नक्सलवाद

- पृष्ठभूमि: नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद (LWE) की उत्पत्ति 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी आंदोलन से हुई थी।
- विचारधारा: नक्सलवाद की जड़ें सामाजिक-आर्थिक असमानताओं में निहित हैं और यह माओवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। इसने देश के कुछ सबसे दुर्गम, पिछड़े और जनजातीय बहुल क्षेत्रों को प्रभावित किया है।
- उद्देश्य: इस आंदोलन का उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह और समानांतर शासन व्यवस्थाओं के माध्यम से भारतीय राज्य को कमजोर करना है।
- भारत का 'लाल गलियारा': इसमें नक्सलवाद से प्रभावित राज्य शामिल हैं- छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश व तेलंगाना के कुछ हिस्से।
- नक्सलियों की कार्यप्रणाली: सशस्त्र हिंसा, फिरोती वसूली और सरकारी अवसंरचना को नष्ट करते हैं तथा बच्चों व नागरिकों की भर्ती करते हैं।

### नक्सलवादी गतिविधियों में गिरावट के कारण

- भारत की LWE रणनीति में सुरक्षा, विकास और प्रभावित समुदायों तक पहुंच जैसे कदम शामिल हैं। इसने नक्सलवादी गतिविधियों को काफी हद तक कम कर दिया है।

### सुदृढ़ सुरक्षा संरचना

- समाधान (SAMADHAN) सिद्धांत: सुरक्षा अभियानों के लिए एक व्यापक रणनीति।
- सुरक्षा संबंधी व्यय योजना: राज्यों की सुरक्षा लागतों की प्रतिपूर्ति करती है।
- विशेष अवसंरचना योजना: राज्य आसूचना एजेंसियों और विशेष बलों को वित्त-पोषित करती है।
- इंटेलेजेंस एवं ऑपरेशन: वास्तविक समय में बहु-एजेंसी समन्वय।
- वित्तीय कार्रवाई: PMLA के प्रवर्तन के माध्यम से फंडिंग को लक्षित किया जाता है।

### विकास अभियान

- विशेष केंद्रीय सहायता: सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना कमियों को पूरा करने हेतु।
- वित्तीय समावेशन के प्रयास: इसमें बैंकिंग सेवाएं और कौशल विकास पहले शामिल हैं।
- रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल कनेक्टिविटी और फाइनेंशियल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया जाता है।

### सामुदायिक सहभागिता

- सिविल एक्शन प्रोग्राम: सुरक्षा बलों को मानवीय बनाता है और स्थानीय लोगों के साथ तालमेल स्थापित करता है।

### नक्सलवाद को खत्म करने में लगातार चुनौतियां

- हिंसक विचारधारा: माओवादी सिद्धांत राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह को बढ़ावा देता है।
- फ्रंट संगठन: कानूनी मोर्चे भर्ती, फंडिंग और प्रचार में सहायता करते हैं।
- कठिन भूभाग: घने जंगल और पहाड़ियां सुरक्षा अभियानों में बाधा डालती हैं।
- विश्वास की कमी: जनजातीय अलगाव अधिकारियों के साथ सहयोग को सीमित करता है।

### आगे की राह

- विश्वास की कमी को दूर करना: प्रशासन में स्थानीय भागीदारी बढ़ाना और जनजाति-अनुकूल नीतियों को सुनिश्चित करना।
- वैचारिक अपील का मुकाबला करना: हिंसक माओवादी विचारधारा के प्रतिवाद के रूप में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना।
- सुरक्षा और क्षमता निर्माण: स्थानीय पुलिस बलों के आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देना और खुफिया-आधारित इकाइयों का उपयोग करना।
- केंद्र-राज्य समन्वय: कट्टरता से लड़ने और विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए समन्वित प्रयासों को मजबूत करना।



## 4.8. क्रिप्टोकॉरेसी और हवाला गठजोड़ (Cryptocurrency Hawala Nexus)

### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि बिटकॉइन ट्रेडिंग वास्तव में हवाला लेन-देन का एक आधुनिक रूप है।

### अन्य संबंधित तथ्य

- सुप्रीम कोर्ट ने भारत में **वर्चुअल करेंसी** की निगरानी के लिए स्पष्ट **विनियामक व्यवस्था नहीं होने पर चिंता व्यक्त की।**
- 2020 की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने **RBI के 2018** के उस सर्कुलर को रद्द कर दिया था, जिसमें बैंकों को वर्चुअल करेंसी से संबंधित सेवाएं प्रदान करने से प्रतिबंधित किया गया था।

### क्रिप्टोकॉरेसी और हवाला प्रणाली के बारे में

**क्रिप्टोकॉरेसी:** यह एक प्रकार की डिजिटल या वर्चुअल मुद्रा है, जिसमें लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए **क्रिप्टोग्राफी** का उपयोग होता है।

**हवाला प्रणाली:** यह मुद्रा लेन-देन की एक **अनौपचारिक प्रणाली** है। इसमें पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए "हवाला दलालों" (हवालादारों) की मदद ली जाती है। हवाला लेन-देन पर **अवैध मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्त-पोषण में भूमिका** के आरोप लगाए जाते रहे हैं।

### क्रिप्टोकॉरेसी-हवाला गठजोड़

- क्रिप्टोकॉरेसी-हवाला गठजोड़ से तात्पर्य पारंपरिक हवाला और आधुनिक क्रिप्टोकॉरेसी तकनीकों के संगम से है, जो अवैध धन-शोधन के लिए एक चैनल बनाता है।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने खुलासा किया कि ऐसे **हाइब्रिड चैनलों** के माध्यम से 1,300 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया था।

### क्रिप्टोकॉरेसी और हवाला गठजोड़ के कारण

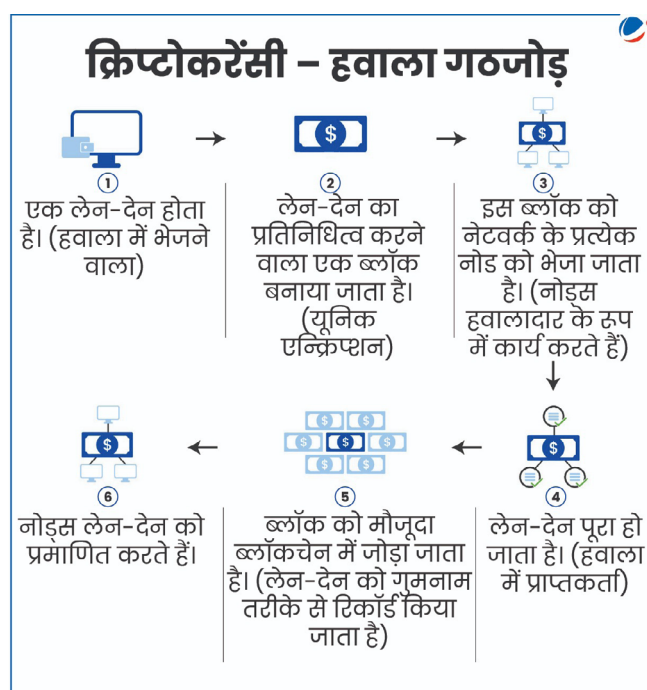
- गुमनामी और जटिलता:** यह संयोजन वित्तीय प्रवाह पर नज़र रखना मुश्किल बना देता है।
- पारंपरिक वित्त को दरकिनार करना:** दोनों प्रणालियां औपचारिक और विनियमित वित्तीय संस्थानों को दरकिनार करती हैं।
- अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाना:** दोनों धन शोधन और आतंकवाद के वित्त-पोषण के लिए आकर्षक हैं।
- ब्लॉकचेन हवाला को मजबूत करता है:** पारदर्शिता और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक हवाला के विश्वास-आधारित लेनदेन मॉडल को और मजबूत बनाती है।

### क्रिप्टोकॉरेसी-हवाला गठजोड़ से संबंधित चिंताएं

- ट्रेडिंग में चुनौतियां:** क्रिप्टोकॉरेसी की छद्म-गुमनामी बड़े पैमाने पर अवैध हस्तांतरण को संभव बनाती है।
- अवैध वित्त में उपयोग:** इसका उपयोग धन शोधन और आतंकवाद के वित्त-पोषण के लिए किया जाता है, जिसमें आतंकवादी समूहों द्वारा लाखों रुपये जुटाना भी शामिल है।
- विनियामक चुनौतियां:** क्रिप्टोकॉरेसी लेन-देन के लिए मौजूदा नियमों को अनुकूलन की आवश्यकता है।
- कर से बचाव:** इसका उपयोग विप्रेषण और काले धन को टैक्स हैवन में हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है।
- सुरक्षा जोखिम:** डिजिटल वॉलेट हैकरों का निशाना होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान होता है।

### आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:** वैश्विक सहयोग और विकसित होते नियम लेन-देन को ट्रैक करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- बेहतर अनुपालन:** लेन-देन के उपयोग को ट्रैक करने और उचित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।
- नियमों को मजबूत करना:** FATF के दिशा-निर्देशों को संदर्भ के रूप में लेते हुए वर्चुअल करेंसी पर स्पष्ट कानून बनाना चाहिए।
- व्यापक दृष्टिकोण:** इस रणनीति में सख्त नियम और निगरानी; मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद के वित्त-पोषण से निपटने के प्रयास, तथा AI और मशीन लर्निंग जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल हो सकते हैं।



## 4.9. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

### 4.9.1. वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (Financial Fraud Risk Indicator)

दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल आधारित साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) शुरू किया है।

- यह संकेतक दूरसंचार और वित्तीय दोनों क्षेत्रों में संदिग्ध धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित, लक्षित एवं सहयोगात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाता है।

### वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) क्या है?

- यह मोबाइल नंबरों के लिए एक जोखिम-आधारित वर्गीकरण प्रणाली है (मध्यम/ उच्च/ बहुत उच्च धोखाधड़ी जोखिम)।
- डेटा स्रोत:
  - नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP);
  - दूरसंचार विभाग (DoT) की चक्षु सुविधा;
  - डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP);
  - बैंकों/ वित्तीय संस्थानों की खुफिया जानकारी आदि।
- यह बैंकों, NBFCs और UPI प्रदाताओं को सुरक्षात्मक कार्रवाई करने में सक्षम बनाएगा।

### भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति पर एक नजर

- ₹3,207 करोड़ का नुकसान (2020-2024 के बीच 5.82 लाख मामलों में)।
- धोखाधड़ी के सामान्य प्रकार:
  - केवाईसी, यूपीआई, कार्ड से जुड़ी धोखाधड़ी;
  - ग्राहक सेवा और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़े घोटाले;
  - निवेश संबंधी धोखाधड़ी आदि।

### भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के उपाय

- डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP): कानून प्रवर्तन एजेंसियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं आदि बीच समन्वय की सुविधा प्रदान कर वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करना।
- संचार साथी पोर्टल पर चक्षु सुविधा: यह नागरिकों को कॉल, SMS या व्हाट्सएप पर प्राप्त धोखाधड़ी के संदेहास्पद संचार को रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है।
- म्यूलहंटर्: यह RBI द्वारा मनी म्यूलर्स की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया AI-आधारित एक टूल है, जिसका बैंकों में उपयोग करने के लिए सलाह दी गई है।
- नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली: इसे 2021 में I4C के तहत वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और रोकथाम हेतु शुरू किया गया था।
- ई-जीरो FIR: यह 10 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी वाली वित्तीय साइबर अपराध शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में परिवर्तित कर देती है।

### 4.9.2. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (National Security Advisory Board: NSAB)

भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) में एक नए अध्यक्ष के साथ-साथ 7 नए सदस्यों की नियुक्ति की है।

#### NSAB के बारे में

- इसे 1998 में उद्योग, मीडिया और नागरिक समाज के विशेषज्ञों के एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित किया गया था।
- यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) द्वारा समर्थित है।
- कार्य
  - यह राष्ट्रीय सुरक्षा पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) को दीर्घकालिक विश्लेषण प्रदान करता है।
  - यह NSC द्वारा संदर्भित मुद्दों पर नीतिगत उपायों की सिफारिश करता है।

### 4.9.3. आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क (Victims of Terrorism Associations Network: VoTAN)

संयुक्त राष्ट्र-आतंकवाद-रोधी कार्यालय (UNOCT) ने आतंकवाद पीड़ित संघों का नेटवर्क (VoTAN) शुरू किया है। यह आतंकवाद के पीड़ितों और बचे लोगों को सहायता देने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है।

#### VoTAN के बारे में

- पृष्ठभूमि: स्पेन और इराक की अध्यक्षता में "द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म" की स्थापना लगभग छह साल पहले आतंकवाद पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए की गई थी।
- स्थापना: यह नेटवर्क "आतंकवाद के पीड़ितों पर संयुक्त राष्ट्र वैश्विक कांग्रेस 2022" का एक प्रमुख आउटकम है।
- लक्ष्य:
  - आतंकवाद से पीड़ितों और बचे लोगों को एक-दूसरे का समर्थन करना,
  - उन्हें चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना;
  - उन्हें अधिवक्ताओं, और शांति-स्थापकों के रूप में संलग्न होने के लिए अवसर प्रदान करना।
- वित्तीय सहायता: स्पेन से प्राप्त होती है।

### 4.9.4. भार्गवास्त्र (Bhargavastra)

भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी-ड्रोन सिस्टम, भार्गवास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

#### भार्गवास्त्र के बारे में

- यह एक कम लागत वाली, 'हार्ड किल' एंटी-ड्रोन प्रणाली है। इसे स्वार्म ड्रॉन्स को निष्क्रिय करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- इसे सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (SDAL) ने विकसित किया है।
- मुख्य विशेषताएं



- दो-परत (लेयर) सुरक्षा प्रणाली:
  - ◊ लेयर 1: गैर-निर्देशित माइक्रो-रॉकेट्स- 20 मीटर के भीतर स्वार्म ड्रोन्स को निष्क्रिय करने की क्षमता।
  - ◊ लेयर 2: सटीक निशाने के लिए निर्देशित माइक्रो-मिसाइल्स।
- रेंज: ड्रोन को 2.5 कि.मी. की रेंज तक पहचान सकता है। रडार से 6 से 10 कि.मी. तक हवाई खतरे का पता लगा सकता है।
- क्षेत्र की अनुकूलता: 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई।
- मॉड्यूलर डिजाइन: इसमें जैमिंग और स्पूफिंग जैसे "सॉफ्ट किल" विकल्प भी जोड़े जा सकते हैं।
- C4I-सक्षम कमांड सेंटर: यह नेटवर्क आधारित वारफेयर को और बेहतर बनाता है।

#### 4.9.5. मल्टी-इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन (Multi-Influence Ground Mine: MIGM)

भारतीय नौसेना तथा DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित MIGM का सफल परीक्षण किया।

#### MIGM के बारे में

- यह एक अत्याधुनिक अंडरवाटर नौसैनिक माइन है। इसे शत्रुओं के आधुनिक स्टील्थ पोतों और पनडुब्बियों की पहचान करने की भारतीय नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है।
- इसे DRDO के तहत नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL) ने डिजाइन और विकसित किया है।
- मुख्य विशेषताएं:
  - यह कई प्रकार के सेंसर का उपयोग करके दुश्मन के समुद्री जहाजों से निकलने वाले ध्वनिक, चुम्बकीय, और दबाव संकेतों का पता लगाती है।
  - इसमें प्रोसेसर युक्त इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हैं, जो डेटा को प्रोसेस करके उचित करवाई करते हैं।
  - इसे जहाजों और पनडुब्बियों से तैनात किया जा सकता है।

#### 4.9.6. हॉकआई 360 प्रौद्योगिकी (Hawk-eye 360 Technology)

हाल ही में, अमेरिका ने भारत को हॉकआई 360 तकनीकी उपकरण की बिक्री को मंजूरी दी है, ताकि भारत अपनी निगरानी क्षमता को बढ़ा सके।

#### हॉकआई 360 तकनीक के बारे में

- इसके तहत रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) सिग्नल्स का पता लगाने, जिओलोकेट करने और उनका विश्लेषण करने के लिए निम्न भू-कक्षा में मौजूद तीन उपग्रहों के समूहों का उपयोग किया जाता है।

#### भारत के लिए महत्व

- यह उन जहाजों का पता लगा सकता है जो विवादित या संवेदनशील क्षेत्रों में ट्रेकिंग से बचने के लिए अपने ऑटोमेटिक आईडेंटिफिकेशन सिस्टम (AIS) को बंद कर देते हैं।
- इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की समुद्री क्षेत्र संबंधी जागरूकता बढ़ेगी।
- यह अवैध मत्स्यन, तस्करी और शत्रुतापूर्ण निगरानी पर नजर रखने में सक्षम बनाती है।

#### 4.9.7. इग्ला-एस (Iglas-S)

भारतीय थल सेना को शत्रुओं के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और जेट विमानों से निपटने के लिए नए रूसी इग्ला-एस मिसाइल सिस्टम प्राप्त हुए हैं।

#### इग्ला-एस (Iglas-S) के बारे में

- इग्ला-एस मैन-पोर्टेबल है यानी इसे एक आदमी भी ढो सकता है। यह कंधे से दागी जाने वाली व सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसे अधिक खतरे वाले क्षेत्रों में तैनात जमीनी सुरक्षा बलों द्वारा उपयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है।
- यह वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम (VSHORADS) का एक अत्याधुनिक संस्करण है।
- प्रमुख विशेषताएं:
  - यह इन्फ्रारेड (IR) होमिंग तकनीक का उपयोग करती है। यह हवाई लक्ष्यों की हीट सिग्नचर को पहचान करके उन्हें निशाना बनाती है।
  - मिसाइल दागे जाने के बाद, यह स्वतः टारगेट के इंजन से निकलने वाली हीट का पीछा करती है।
    - ◊ यह विशेषता इसे ड्रोन, हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने में कुशल बनाती है।
  - रेंज: 6 किलोमीटर दूर तक तथा यह 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक के लक्ष्य को भेद सकती है।

#### 4.9.8. ऑपरेशन हॉक (Operation Hawk)

CBI ने 'ऑपरेशन हॉक' शुरू किया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण से जुड़े वैश्विक साइबर अपराध नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करना है।

- यह कार्रवाई ऑपरेशन कार्बन (2021) और ऑपरेशन मेघ चक्र (2022) की अगली कड़ी है। इनका उद्देश्य बच्चों के ऑनलाइन यौन शोषण के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क जुड़े संदिग्धों की पहचान करना और उनके नेटवर्क को समाप्त करना है।

#### 4.9.9. सुर्खियों में रहे युद्धाभ्यास (Exercises in News)

| युद्धाभ्यास                       | विवरण                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I M D E X एशिया 2025              | यह एशिया का अग्रणी नौसेना और समुद्री रक्षा कार्यक्रम है।<br>उत्पत्ति: 1997 में।<br>आयोजक: सिंगापुर गणराज्य की नौसेना।  |
| नो मै डि क ए ली फें ट युद्धाभ्यास | भारत-मंगोलिया के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास नोमैडिक एलीफेंट का 17वां संस्करण मंगोलिया के उलानबटोर में आयोजित किया जाएगा। |



लक्ष्य प्रीलिम्स और मेन्स इंटीग्रेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम 2026

प्रारंभ: 31 जुलाई

- जीएस प्रीलिम्स और मेन्स के लिए रिवीजन और प्रैक्टिस हेतु 13 महीने की रणनीतिक योजना।
- यूपीएससी प्रीलिम्स और मेन्स के सिलेबस का संपूर्ण कवरेज।
- सीनियर मेंटर्स की अत्यधिक अनुभवी और योग्य टीम द्वारा मार्गदर्शन।
- प्रीलिम्स और मेन्स के लिए अधिक स्कोरिंग क्षमता वाले विषयों पर बल।
- टोप प्रैक्टिस के माध्यम से करेंट अफेयर्स और सीसैट की तैयारी पर ध्यान।
- लक्ष्य प्रीलिम्स प्रैक्टिस टेस्ट (LPPT) और लक्ष्य मेन्स प्रैक्टिस टेस्ट (LMPT) की उपलब्धता।
- 25,000+ प्रश्नों के व्यापक संग्रह के साथ संधान पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज।

UPSC प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा 2026 के लिए  
रणनीतिक रिवीजन, प्रैक्टिस और परामर्श हेतु  
13 माह का कार्यक्रम)



- बेहतर उत्तर लेखन कौशल का विकास।
- प्रीलिम्स और मेन्स दोनों के लिए विषय-वार रणनीतिक डॉक्यूमेंट और स्मार्ट कंटेंट।
- निबंध और नीतिशास्त्र के प्रश्नपत्र पर विशेष बल।
- ग्रुप और व्यक्तिगत परामर्श सत्र।
- लाइव प्रैक्टिस, साथी अभ्यर्थियों के साथ डिस्कशन और स्ट्रेटजी पर चर्चा।
- नियमित मूल्यांकन, निगरानी और प्रदर्शन में सुधार।
- आत्मविश्वास निर्माण और मनोवैज्ञानिक रूप से तैयारी पर बल।
- टॉपर्स, नौकरशाहों और शिक्षाविदों के साथ इंटरैक्टिव सत्र।

WWW.VISIONIAS.IN 8468022022

ENQUIRY@VISIONIAS.IN /VISION\_IAS WWW.VISIONIAS.IN /C/VISIONIASDELHI VISION\_IAS /VISIONIAS\_UPSC

VISIONIAS  
DAKSHA MAINS  
MENTORING PROGRAM 2026

## दक्ष : मुख्य परीक्षा 2026 के लिए मेंटरिंग प्रोग्राम

(मुख्य परीक्षा 2026 के लिए स्ट्रेटेजिक रिवीजन / प्रैक्टिस और आवश्यक सुधार हेतु मेंटरिंग कार्यक्रम)



दिनांक  
1 अगस्त

अवधि  
5 महीने

हिन्दी/English माध्यम

### कार्यक्रम की विशेषताएं



अत्यधिक अनुभवी और योग्य मेंटर्स की टीम



अधिकतम अंक दिलाने और प्रदर्शन में सुधार पर विशेष बल



'दक्ष' मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस टेस्ट की सुविधा



मेंटर के साथ वन-टू-वन सेशन



मुख्य परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन, निबंध और नीतिशास्त्र विषयों के लिए रिवीजन एवं प्रैक्टिस की बेहतर व्यवस्था



शोध आधारित और विषय के अनुसार रणनीतिक डॉक्यूमेंट्स



रणनीति पर चर्चा, लाइव प्रैक्टिस और अन्य प्रतिस्पर्धियों से चर्चा के लिए पूर्व निर्धारित ग्रुप-सेशन



अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन, निगरानी और आवश्यक सुधार के लिए सुझाव



For any assistance call us at:  
+91 8468022022, +91 9019066066  
enquiry@visionias.in

# पर्यावरण (ENVIRONMENT)



## 5.1. बेसल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन 2025 (2025 CONFERENCES OF THE PARTIES TO THE BASEL, ROTTERDAM, AND STOCKHOLM CONVENTION)

### सुझियों में क्यों?

हाल ही में, बेसल कन्वेंशन के पक्षकारों की 17वीं, रॉटरडैम कन्वेंशन के पक्षकारों की 12वीं और स्टॉकहोम कन्वेंशन के पक्षकारों की 12वीं बैठक जिनेवा में आयोजित की गई।

### (COP)' के प्रमुख आउटकम्स:

- संयुक्त प्रतिबद्धता: तीनों COP में अन्य पर्यावरणीय समझौतों और पहलों के साथ सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।
- बेसल कन्वेंशन (BC COP-17): परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स (POPs) अपशिष्टों के प्रबंधन के लिए तकनीकी दिशा-निर्देशों को अपडेट किया गया और नया रणनीतिक फ्रेमवर्क (2025 से 2031 तक के लिए) अपनाया गया।
- रॉटरडैम कन्वेंशन (RC COP-12): कार्बोसल्फान (कीटनाशक) और फेन्थियन नामक दो रसायनों को एनेक्स-III में जोड़ा गया।
- स्टॉकहोम कन्वेंशन (SC COP-12): एनेक्स A में जोड़े गए रसायन: क्लोरपाइरीफॉस (कीटनाशक), लॉन्ग-चैन परफ्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड (LC-PFCAs), और मीडियम-चैन क्लोरीन युक्त पैराफिन (MCCPs)।

### बेसल कन्वेंशन

- परिचय: इसे 22 मार्च 1989 को स्विट्जरलैंड के बेसल में अपनाया गया था। भारत इस संधि का एक पक्षकार है।
- उद्देश्य: खतरनाक अपशिष्टों और विशेष ध्यान देने योग्य अन्य अपशिष्टों के हानिकारक प्रभावों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना।
- दायरा: यह खतरनाक अपशिष्टों की उनके स्रोत, संघटन (संरचना) या विशेषताओं के आधार पर पहचान करता है। इसमें "अन्य अपशिष्टों" जैसे- घरेलू अपशिष्ट, कुछ विशेष प्रकार के प्लास्टिक अपशिष्ट, आदि।
- पूर्व सहमति नियम: खतरनाक अपशिष्ट के शिपमेंट से पहले संबंधित देशों की मंजूरी अनिवार्य करता है।
- नए फोकस क्षेत्र
  - टेक्सटाइल अपशिष्ट: दान या पुनर्चक्रण के रूप में गलत तरीके से लेबल करने से ग्लोबल साउथ में इनका विनियमन जटिल हो रहा है।
  - जहाजों को तोड़ना (शिप ब्रेकिंग): 15,000 जहाजों को स्क्रेप किया जाना है, जिनमें POPs और भारी धातुएं मौजूद होंगी।

### रॉटरडैम कन्वेंशन

- उत्पत्ति: रॉटरडैम कन्वेंशन ऑन प्री इनफॉर्मिड कंसेंट प्रोसीजर (PIC) 2004 में लागू हुआ। भारत ने 2006 में इस कन्वेंशन को स्वीकार किया।
- उद्देश्य: कुछ खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पक्षकारों के बीच साझा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना
- इसमें शामिल हैं: कीटनाशक और औद्योगिक रसायन जिन पर प्रतिबंध या गंभीर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।
- कानूनी रूप से बाध्यकारी PIC: निर्यातकों को सूचित सहमति के लिए प्रतिबंधित या निषिद्ध पदार्थों का खुलासा करना होगा।
- मुद्दे
  - असूचीबद्ध रसायन: रॉटरडैम कन्वेंशन ने मिथाइल ब्रोमाइड, पारा आदि की सूची में देरी की। रॉटरडैम कन्वेंशन ने मिथाइल ब्रोमाइड, पारा आदि को सूची में शामिल करने का निर्णय टाल दिया है।
  - विज्ञान पर व्यापार: उत्पादक देशों ने आर्थिक आशंकाओं के कारण सूची में शामिल किए जाने से रोक दिया।
  - एक-दूसरे से मिलते-जुलते समझौते: सख्त समझौतों के सहित टकराव के कारण देरी हुई। उदाहरण के लिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मिनामाटा और स्टॉकहोम कन्वेंशन।



## दीर्घ-स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (PoPs) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन

- उत्पत्ति: 2001 में स्टॉकहोम, स्वीडन में अपनाया गया; यह 2004 में लागू हुआ। भारत ने 2006 में इसका अनुसमर्थन किया।
- उद्देश्य: मनुष्यों और वन्यजीवों में संचित होने वाले दीर्घकालिक, व्यापक रसायनों से सुरक्षा प्रदान करना।
- मुद्दे: MCCPs जैसे जटिल रसायनों को विनियमित करने में कठिनाई, अत्यधिक छूट अनुरोध, और UV-328 मामले में उजागर हुई उद्योग जगत की गलत जानकारी।

## BRS कन्वेंशन का महत्व

- प्रमुख ग्लोबल फ्रेमवर्क: ये खतरनाक रसायनों और अपशिष्टों से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण ग्लोबल फ्रेमवर्क हैं।
- जीवनचक्र विनियमन: ये संपूर्ण रासायनिक जीवनचक्र—उत्पादन, उपयोग और निपटान—को विनियमित करते हैं।
- सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भूमिका: ये लक्ष्य 2 (जीरो हंगर), 3 (बेहतर स्वास्थ्य और सेहतमंदी), 6 (स्वच्छ जल और स्वच्छता), 11 (संधारणीय शहर), और 12 (जिम्मेदारी से उपभोग और उत्पादन) में योगदान देकर, रसायनों और अपशिष्टों के सुरक्षित प्रबंधन को बढ़ावा देकर 2030 के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## निष्कर्ष

“अदृश्य को दृश्य बनाना” थीम हमें यह याद दिलाती है कि छोटे-छोटे बदलाव भी रॉटरडैम कन्वेंशन जैसी संधियों को प्रासंगिक बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। लोगों और पर्यावरण की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पक्षकारों को अनुकूलन और कार्य करना चाहिए।

## 5.2. जैव-विविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियमन 2025 {BIOLOGICAL DIVERSITY (ACCESS AND BENEFIT SHARING) REGULATION 2025}

### सुखियों में क्यों?

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने ‘जैव विविधता (पहुँच और लाभ साझाकरण) विनियम, 2025’ नाम से नए नियम जारी किए हैं।

### अन्य संबंधित तथ्य

- नए नियम यह विनियमित करते हैं कि जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान से प्राप्त लाभों को कैसे निष्पक्ष रूप से साझा किया जाए।
- NBA द्वारा जैव विविधता अधिनियम (BDA) 2002 के अनुसार नियम अधिसूचित किए गए हैं, जो 2014 के नियमों का स्थान लेते हैं।
- प्रसिद्ध NBS मामला केरल के कानी आदिवासी समुदाय और जीवनी औषधि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आरोग्यपत्रा पौधे (ट्राइकोपस जैलेनिकस) से जुड़ा है।

### पहुँच और लाभ साझाकरण (ABS) पर भारत का कानूनी फ्रेमवर्क

- उद्देश्य: इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण को सुनिश्चित करना है, जो जैव विविधता पर कन्वेंशन (CBD) के अनुरूप है।
- दायरा: यह अधिनियम सभी जैविक संसाधनों को शामिल करता है, जिससे इसका दायरा नागोया प्रोटोकॉल से भी व्यापक हो जाता है।
- कार्यान्वयन: इसके लिए त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित की गई है, जिसमें NBA, SBB और BMC शामिल हैं।

### नियमों की मुख्य विशेषताएं

- DSI समावेशन: डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन सहित जैविक संसाधनों के लिए लाभ-साझाकरण को शामिल करता है।
- पूर्व सूचित सहमति: NBA की अनुमति आवश्यक होगी। हालांकि, कुछ उगाए जाने वाले औषधीय पौधों को इससे छूट दी गई है।
- स्लेब-आधारित साझाकरण: लाभ-साझाकरण का स्तर वार्षिक कारोबार के आधार पर होगा।
- उच्च-मूल्य संसाधन: व्यावसायिक उपयोग के लिए, 5-20% लाभ-साझाकरण अनिवार्य होगा।
- अनुसंधान हस्तांतरण: अनुसंधान परिणामों के लिए मौद्रिक/गैर-मौद्रिक साझाकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
- बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का व्यावसायीकरण: IPR-आधारित उत्पादों की वार्षिक एक्स-फैक्ट्री बिक्री का 1% तक लाभ साझा किया जाएगा।
- NBS का महत्व: संप्रभुता, जैव विविधता संरक्षण सुनिश्चित करता है और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाता है।

### कार्यान्वयन की चुनौतियां

- सीमा पार संबंधी मुद्दे: आनुवंशिक संसाधन अक्सर देशों की सीमाओं को पार करते हैं, जिससे सहमति प्राप्त करना और लाभ साझा करना जटिल हो जाता है।
- कमजोर क्षमता: सीमित संसाधन CBD और राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने में बाधा डालते हैं।
- प्रथागत कानून का अंतर: पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों में औपचारिक कानूनी एकीकरण का अभाव है।
- दस्तावेजीकरण बाधाएं: जन जैव विविधता रजिस्टर के रखरखाव की प्रक्रिया धीमी और जटिल है।
- अनुसंधान अस्पष्टता: शैक्षणिक और व्यावसायिक अनुसंधान के बीच अंतराल जैविक संसाधनों और संबंधित ज्ञान के दुरुपयोग का जोखिम पैदा करता है।

- ❶ **खराब निगरानी:** कई सरकारी एजेंसियों की भागीदारी और उनके अधिकार क्षेत्रों में टकराव के कारण ABS नियमों का पालन और समन्वय ठीक से नहीं हो पाता।
- ❷ **जागरूकता की कमी:** विभिन्न हितधारकों में ABS कानूनों की पर्याप्त समझ का अभाव है।

### आगे की राह

- ❶ **वैश्विक तंत्र:** सीमा-पार जैविक संसाधनों के लिए **बहुपक्षीय लाभ-साझाकरण** तंत्र को अपनाना आवश्यक है।
- ❷ **स्वदेशी अधिकार:** प्रथागत कानूनों को ABS ढाँचों में कानूनी रूप से शामिल करना महत्वपूर्ण है।
- ❸ **डिजिटल PBR:** दक्षता और पारदर्शिता के लिए तकनीक-संचालित दस्तावेजीकरण जरूरी है।
- ❹ **अनुसंधान स्पष्टता:** सख्त शैक्षणिक और व्यावसायिक अनुसंधान मानदंड निर्धारित करना आवश्यक है।
- ❺ **केंद्रीकृत निगरानी:** **NBA-SBB-BMC** के बीच बेहतर समन्वय के लिए एक **एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म** विकसित करना चाहिए।

## 5.3. हिमालय पर्वतमाला की पारिस्थितिकी (THE HIMALAYAN MOUNTAIN SYSTEM ECOLOGY)

### सुर्खियों में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने **काठमांडू (नेपाल)** में आयोजित **सागरमाथा संवाद** के उद्घाटन सत्र में **भारत का प्रतिनिधित्व** किया।

### अन्य संबंधित तथ्य

- ❶ **सागरमाथा संवाद:** यह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर एक बहु-हितधारक संवाद मंच है।
- ❷ **शिखर सम्मेलन की थीम:** 'जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य'।
- ❸ भारत ने पर्वतीय क्षेत्रों में पारिस्थितिक चुनौतियों के समाधान हेतु **वैश्विक कार्टवाई के लिए पांच-सूत्रीय मुझाव** पेश किए हैं।

### वैश्विक कार्टवाई हेतु पांच-सूत्रीय मुझाव

- ❶ वैज्ञानिक सहयोग में वृद्धि,
- ❷ जलवायु लचीलापन निर्माण,
- ❸ पर्वतीय समुदायों का सशक्तिकरण,
- ❹ हरित वित्त प्रदान करना,
- ❺ पर्वतीय दृष्टिकोण को मान्यता देना।

### हिमालय पर्वतमाला की भू-आकृति विशेषताएं

- ❶ यह दुनिया की **सबसे युवा और सबसे ऊँची वलित पर्वत श्रेणी** है। यह **पांच देशों** भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान में विस्तृत है।
- ❷ यह पर्वतमाला लगभग **5 करोड़ वर्ष** पहले **भारतीय प्लेट** और **यूरेशियन प्लेट** के टकराव के परिणामस्वरूप बनी थी।
- ❸ **प्रमुख हिमनद:** गंगोत्री, यमुनोत्री, अलकनंदा।
- ❹ **13 भारतीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (2,500 किमी)** में फैला हुआ।
- ❺ **विविध वनस्पति:** उष्णकटिबंधीय (गिरिपाद क्षेत्रों) से लेकर अल्पाइन (शिखर) तक।

### पारिस्थितिक महत्व

- ❶ **जैव विविधता:** भारत के दो हॉटस्पॉट (हिमालय और इंडो-बर्मा); 32% स्थानिक पौधे, दुर्लभ जीव (हिम तेंदुआ, लाल पांडा) यहां पाए जाते हैं।
- ❷ **वाटर-टावर:** तीसरा सबसे बड़ा हिमनद; 10 नदियों (लगभग 1.3 अरब लोग आश्रित) का उद्गम स्थल है।
- ❸ **जलवायु भूमिका:** मानसून को प्रभावित करता है; 5.4 बिलियन टन कार्बन संग्रहीत करता है, और **पृथ्वी की एल्बीडो प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाता है।
- ❹ **अर्थव्यवस्था:** रेशा/लकड़ी का स्रोत; 2025 तक हर साल **24 करोड़ पर्यटक** हिमालयी राज्यों में आने का अनुमान।

### हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे

- ❶ **वनों की कटाई:** 2019 से 2021 के बीच 1,072 वर्ग किमी वन क्षेत्र नष्ट हुआ। इस वजह से कई प्रजातियां खतरे में हैं।
- ❷ **तेजी से ग्लेशियरों का पिघलना:** 1935-2022 के बीच गंगोत्री ग्लेशियर 1,700 मीटर सिकुड़ गया है, जिससे GLOF जोखिम बढ़ गया।
- ❸ **जलवायु परिवर्तन:** 90% क्षेत्र +3°C पर सूखे के जोखिम का सामना कर रहा है; वैश्विक औसत से 2-5 गुना तेजी से हिमालयी क्षेत्र का तापमान बढ़ रहा है।
- ❹ **अनियंत्रित पर्यटन:** अनियंत्रित पर्यटन से **भूस्खलन और भू-धंसाव की समस्याएं** बढ़ रही हैं।
- ❺ **अनियंत्रित जलविद्युत विकास:** 115 से अधिक बड़ी जलविद्युत परियोजनाएं नदी पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण के लिए खतरा बन रही हैं।

## हिमालय पर्वतमाला के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहलें

### ❶ भारत की पहलें

- नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम (NMSHE): हिमनद निगरानी, जैव विविधता संरक्षण और आपदा प्रतिरोधक क्षमता पर केंद्रित है।
- हिम तेंदुआ परियोजना: भारत में 718 हिम तेंदुए पाए गए (वैश्विक जनसंख्या का लगभग 10-15%)।
- हिमस्खलन और जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र: हिमालयी हिमनदों की निगरानी करता है।
- आपदा तैयारी: इसमें GLOF जोखिम मानचित्रण शामिल है।
- सतत पर्यटन और अपशिष्ट प्रबंधन: स्वदेश दर्शन योजना और सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध।

### ❷ वैश्विक पहलें

- अंतर्राष्ट्रीय हिमनद संरक्षण वर्ष (2025) और हिमस्खलन दशक (2025-2034): यह यूनेस्को और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा संचालित है।
- ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम (GSLEP): 12 देश संरक्षण के लिए सहयोग कर रहे हैं।
- इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD): हिंदू कुश-हिमालय क्षेत्र का संरक्षण करता है।
- सिक्योर (SECURE) हिमालय परियोजना: GEF द्वारा वित्त पोषित वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम का एक भाग है।
- इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस (IBCA): संधि-आधारित संगठन जो सात बड़ी बिल्लियों की प्रजातियों का संरक्षण करता है।

## निष्कर्ष

भारतीय हिमालय का भू-राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व है। हालांकि इस क्षेत्र में **भूमि उपयोग में बदलाव, वन्यजीव का अवैध व्यापार, जंगल की आग, और इंसानी गतिविधियों का बढ़ता दबाव** इस **नाजुक जैव विविधता हॉटस्पॉट** के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। इससे यह साफ होता है कि इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए और अधिक प्रयासों की जरूरत है।

## 5.4. शहरी बाढ़ (Urban Floods)

### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, बेंगलुरु में थोड़े समय की भारी प्री-मानसून वर्षा के कारण भीषण बाढ़ आ गई।

### अन्य संबंधित तथ्य

- ❶ इस तरह की शहरी बाढ़ की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जैसे- हैदराबाद (2020-21), चेन्नई (2021), बेंगलुरु और अहमदाबाद (2022), दिल्ली (2023)। ये सभी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि शहरी बाढ़ अब नियमित समस्या बन गई है।

### शहरी बाढ़ क्या है?

- ❶ यह एक प्रकार की बाढ़ है, जिसमें **जल निकासी व्यवस्था अचानक, अत्यधिक वर्षा को संभालने में असमर्थ होने के कारण शहर या शहरी क्षेत्र जलमग्न हो जाता है।**
- ❶ शहरी बाढ़ और ग्रामीण बाढ़ में अंतर होता है, क्योंकि शहरों में जमीन पर अधिक निर्माण होता है। इस वजह से **बाढ़ की तीव्रता 1.8 से 8 गुना तक बढ़ सकती है।**

### शहरी बाढ़ के कारण

#### प्राकृतिक कारक

- ❶ **मौसम संबंधी कारक:** अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के कारण अचानक जल का जमाव हो जाता है, जैसा कि 2005 की मुंबई बाढ़ और 2015 की चेन्नई बाढ़ में देखा गया था।
  - जलवायु परिवर्तन ने इन पैटर्न को और तीव्र कर दिया है।
- ❶ **जलविज्ञान संबंधी कारक:** बाढ़ का खतरा तब उत्पन्न होता है जब **सतही अपवाह वर्षा के दौरान अंतःस्यंदन दर से अधिक होता है।**
  - यमुना जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण दिल्ली में बाढ़ आती है।

#### मानवजनित कारक: अनियोजित शहरीकरण:

- ❶ **बेंगलुरु की नालियां केवल वर्षा जल के निकास के लिए बनाई गई थी, लेकिन उनसे प्रतिदिन लगभग 2000 MLD सीवेज प्रवाहित होता है। बिल्डर्स अतिक्रमण कर उन्हें समाप्त कर देते हैं।**
- ❶ **झीलों पर अतिक्रमण:** उदाहरण के लिए- पुडुचेरी में ओस्टेरी झील, महाराष्ट्र में चारकोप झील।
- ❶ **बांधों से पानी की अनियोजित निकासी:** उदाहरण के लिए- चेम्बरमपक्कम झील के कारण 2015 में चेन्नई में आई बाढ़।
- ❶ **अवैध खनन गतिविधियां:** उदाहरण- कावेरी नदी (तमिलनाडु) में नदी तल की गहराई कम होने से बाढ़ की तीव्रता बढ़ी है।

### शहरी बाढ़ प्रबंधन में चुनौतियां

- ❶ **संवैधानिक जिम्मेदारियों का विभाजन:** जल राज्य सूची का विषय है, जबकि जल निकास प्रणालियों के प्रबंधन की जिम्मेदारी शहर की नगरपालिकाओं की होती है।



- अवसंरचना की चुनौतियाँ: पुरानी और अपर्याप्त अवसंरचना वर्तमान वर्षा की तीव्रता को संभाल नहीं सकती।
- सामाजिक असमानता: निम्न-आय वाले समुदाय अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे वाले बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं।
- तीव्र शहरीकरण: यह प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न को बाधित कर रहा है।
- जल निकासी डिजाइन के लिए आवश्यक आंकड़ों का अभाव: भारत के प्रमुख शहरों के लिए इंटेन्सिटी ड्रूरेजेशन फ्रीक्वेंसी (IDF) कर्व IMD से आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है।

## शहरी बाढ़ से निपटने के उपाय

- NDMA दिशा-निर्देश: आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने के लिए मार्गदर्शन देने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
- बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र: केंद्रीय जल आयोग ने बाढ़ पूर्वानुमान केंद्रों का एक नेटवर्क विकसित किया है।
- तकनीकी उपाय: IFLWS-मुंबई, CFWWS-चेन्नई वेब GIS आधारित निर्णय समर्थन प्रणालियाँ हैं। मिशन मौसम के तहत 39 डॉक्टर मौसम रडार स्थापित किए गए हैं।
- भूजल पुनर्भरण कार्यक्रम: मास्टर प्लान में 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन संरचनाओं की परिकल्पना की गई है।
- जल निकाय विकास योजनाएं: वर्षा जल संचयन के लिए अमृत सरोवर मिशन।
- शहरी अवसंरचना उपाय: अमृत 2.0 योजना जल निकासी प्रणालियों को सुदृढ़ करने का प्रावधान करती है।

## वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ आगे की राह

- सिंगापुर का ABC कार्यक्रम: इसमें जल को "सक्रिय, सुंदर और स्वच्छ" बनाने के लिए "ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर" का उपयोग किया जाता है।
- वियना का न्यू डेन्यूब सिस्टम: यह डेन्यूब नदी के किनारे बनाया गया चैनल है जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर है।
- चीन की स्पॉन्ज सिटीज: इसमें प्रकृति-आधारित समाधानों जैसे कि छिद्रदार सतहों, पुनर्बहाल आर्द्रभूमि और जल चैनलों का उपयोग किया जाता है।
- डेनमार्क की ग्रीन क्लाइमेट स्क्रीन: यह वर्षा जल प्रबंधन प्रणाली है जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके इमारतों से उत्सर्जित जल को प्रोसेस करती है।
- अन्य संभावित उपाय: समोच्च मानचित्र तैयार करना, वर्षा जल निकासी नेटवर्क का विस्तार, क्रॉस-ड्रेनेज कार्य, और पंपिंग क्षमता में वृद्धि।
- अन्य संभावित समाधान: कंटूर मैपिंग तैयार करना, भारी वर्षा जल की निकासी प्रणाली को बेहतर बनाना, पंपिंग क्षमता को बढ़ाना शामिल हैं।



## 5.5. FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS)" में छह नवीन साइटें शामिल की गई (Six New Sites Join FAO's GIAHS)

### सुर्खियों में क्यों?

FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS)" में छह नवीन पारंपरिक कृषि प्रणालियों को शामिल किया गया।

### अन्य संबंधित तथ्य

कृषि प्रणालियाँ जिन्हें शामिल किया गया: ब्राजील में एरवा-माटे पादप के लिए पारंपरिक कृषि वानिकी प्रणाली; चीन में पर्ल मसेल्स, सफेद चाय और नाशपाती के लिए विशेष खेती प्रणालियाँ; मेक्सिको में महत्वपूर्ण खाद्य फसलों और जैव विविधता को संरक्षित करने वाली पारंपरिक प्रणाली; तथा स्पेन के लैंजारोटे द्वीप के ज्वालामुखीय क्षेत्र में एक विशिष्ट कृषि प्रणाली।

### विश्वव्यापी GIAHS प्रोग्राम के बारे में

- उत्पत्ति: 2002 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में फैमिली फार्मर्स और पारंपरिक कृषि प्रणालियों को गंभीर वैश्विक प्रवृत्तियों से बचाने के लिए शुरू किया गया है।
- उद्देश्य: पारंपरिक कृषि प्रणालियों को जलवायु परिवर्तन, समुदायों के विस्थापन और जैव विविधता की हानि जैसे खतरों से बचाना।
- दृष्टिकोण: इसमें बहु-हितधारक दृष्टिकोण को अपनाते हुए कृषि समुदायों को तकनीकी सहायता देता है और पारंपरिक कृषि संबंधी ज्ञान के महत्व को बढ़ावा देता है।
- वर्तमान स्थिति: 28 देशों में 95 GIAHS प्रणालियाँ हैं। भारत के संदर्भ में कश्मीर की केसर विरासत; ओडिशा की कोरापुट पारंपरिक कृषि; तथा केरल की कुट्टनाड वेटलैंड कृषि प्रणाली (धान की खेती समुद्र तल से नीचे लवणीय जल में डेल्टाई दलदलों को सूखाकर प्राप्त की गई भूमि पर की जाती है।) इसमें शामिल है।

## GHAS क्या है?

- ये कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिनमें ऐसे समुदाय निवास करते हैं जो अपने क्षेत्र के साथ एक जटिल संबंध में रहते हैं।
- विशेषताएं: उल्लेखनीय कृषि-जैव विविधता, पारंपरिक ज्ञान, अमूल्य संस्कृतियां, सुंदर परिदृश्य।

## फैमिली फार्मिंग और पारंपरिक कृषि को क्यों संरक्षित किया जाए?

- खाद्य सुरक्षा:** फसल की किस्मों को संरक्षित और संसाधनों का संधारणीय उपयोग करते हुए विविधतापूर्ण व पौष्टिक तत्वों से संपन्न भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु।
  - आय सुरक्षा:** देशज लोगों सहित कृषि पर निर्भर 2.5 बिलियन लोगों के जीवन एवं आजीविका की सुरक्षा को बढ़ाने हेतु।
  - सांस्कृतिक विरासत:** वैश्विक समुदायों, संस्कृतियों, इतिहास और परंपराओं में व्यापक विविधता का संरक्षण करने हेतु।
  - नवाचार का आधार:** समकालीन और भविष्य के कृषि संबंधी नवाचार एवं प्रौद्योगिकियों के लिए आधार प्रदान करने हेतु।
- मौजूदा समय में युवा पीढ़ी तेजी से शहरों की ओर पलायन कर रही है। इसलिए फैमिली फार्मिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, संयुक्त राष्ट्र ने 2019-2028 को "संयुक्त राष्ट्र फैमिली फार्मिंग दशक" घोषित किया है।

## 5.6. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

### 5.6.1. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने वाली पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया (SUPREME COURT STRIKES DOWN RETROSPECTIVE ENVIRONMENTAL CLEARANCES)

वनशक्ति बनाम भारत संघ (2025) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को खनन परियोजनाओं को पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी (EC) देने या EIA अधिसूचना, 2006 का उल्लंघन करने वाली कार्टवाइजों को नियमित करने से रोक दिया है।

- EIA अधिसूचना, 2006 के तहत किसी परियोजना को शुरू करने से पहले 'पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी' प्राप्त करना अनिवार्य है।
- न्यायालय ने यह भी माना कि ऐसी अधिसूचना अवैध, मनमानी और संविधान के अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
- इससे पहले, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य (2017) में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि पूर्वव्यापी पर्यावरणीय मंजूरी की अवधारणा पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के लिए पूरी तरह से अलग है।

### पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के बारे में

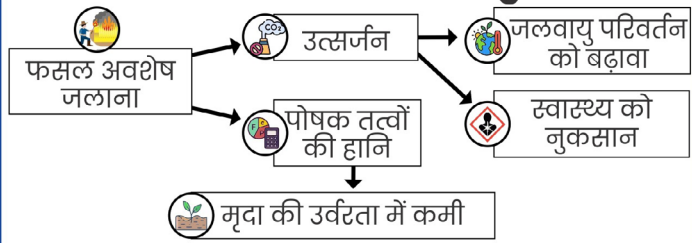
- EIA अधिसूचना 2006, विकास संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक विनियामकीय ढांचा है।
- इसने परियोजनाओं को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:
  - श्रेणी A: राष्ट्रीय स्तर का मूल्यांकन**
    - केंद्र सरकार यानी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    - विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) की सिफारिशों के आधार पर निर्णय किया जाता है।
  - श्रेणी B: राज्य स्तरीय मूल्यांकन**
    - राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरणीय प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
    - राज्य या संघ राज्य क्षेत्र स्तर की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की सिफारिशों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

### 5.6.2. CAQM ने धान की पराली जलाने की रोकथाम हेतु निर्देश जारी किए (CAQM ISSUES DIRECTION FOR PADDY STUBBLE BURNING)

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को खेतों में धान की पराली जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट के एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्णय के अनुसरण में जारी किए गए हैं।

- CAQM की स्थापना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में समन्वय और समाधान के लिए की गई है।

### फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभाव



### CAQM के मुख्य निर्देशों पर एक नजर

- विशेष 'पराळी सुरक्षा बल':** इसमें पुलिस अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
- धान पराली को-फायरिंग अनिवार्य:** ईट भट्टों में धान के भूसे की पेलेट्स/ ब्रिकेट्स की को-फायरिंग अनिवार्य किया है।
- कृषि मानचित्रण:** पराली निपटान के लिए ग्राम-वार योजनाएं तैयार की गई हैं।
- पराळी खरीद दर:** पंजाब और उत्तर प्रदेश हरियाणा के मूल्य निर्धारण मॉडल अपनाए जाएंगे।
- बाह्य समाधान:** इसके लिए बेलर, रेकर और अन्य मशीनों का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए।
- डिजिटल निगरानी:** CRM मशीन ट्रेकिंग और डेटा रिपोर्टिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल।

### 5.6.3. राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र (NCPOR) की स्थापना के 25 वर्ष पूरे हुए {NATIONAL CENTRE OF POLAR AND OCEAN RESEARCH (NCPOR) CELEBRATES 25 YEARS}

#### NCPOR के बारे में

- NCPOR का मुख्यालय गोवा में स्थित है।
- स्थापना: वर्ष 1998 में स्थापित NCPOR पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है।
- शासी निकाय: इसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अध्यक्षता में देश के अग्रणी 13 प्रतिनिधि शामिल हैं।

#### NCPOR की मुख्य भूमिकाएं:

- ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर अनुसंधान: यह अंटार्कटिका में मैत्री और भारती, आर्कटिक में हिमाद्रि तथा हिमालय में हिमांश अनुसंधान स्टेशन के रखरखाव में योगदान देता है।
- डीप ओशन मिशन: यह हिंद महासागर में खनिज संसाधनों की खोज एवं संभावनाएं तलाशता है।
- यह भारत की आर्कटिक नीति (2022) और भारतीय अंटार्कटिका अधिनियम (2022) का क्रियान्वयन करता है।
  - ➔ अंटार्कटिका अधिनियम: यह कानूनी दर्जा, CAG-EP के गठन का प्रावधान करता है।
  - ➔ आर्कटिक नीति: इस नीति के छह स्तंभ हैं: विज्ञान, जलवायु, अर्थव्यवस्था, संपर्क, गवर्नेंस, क्षमता।
- महत्व: बर्फ निगरानी, महासागर भू-राजनीति, अनुसंधान सुविधा।

#### NCPOR में दो महत्वपूर्ण केंद्रों का उद्घाटन:

- पोलर भवन: इसमें भारत का पहला ध्रुवीय और महासागरीय संग्रहालय स्थित होगा।
- सागर भवन: जैविक/ महासागर नमूनों के लिए प्रयोगशालाएं और अभिलेखागार।

### 5.6.4. ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 (GLOBAL METHANE TRACKER 2025)

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) ने 'ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025' जारी किया।

#### ग्लोबल मीथेन ट्रैकर के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- मीथेन ग्रीनहाउस गैस है। औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।
- मीथेन उत्सर्जन के तीन प्रमुख स्रोत हैं: कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्र।
- ऊर्जा क्षेत्र मानवीय गतिविधियों से होने वाले मीथेन उत्सर्जन का 35% से अधिक के लिए जिम्मेदार है।
- यदि खनिजों को निकालने में मीथेन का प्रभावी उपयोग किया जाए या गैस फ्लेयरिंग और ऑक्सीकरण जैसी तकनीकों को अपनाया जाए, तो मीथेन उत्सर्जन को 50% तक कम किया जा सकता है।
  - ➔ गैस फ्लेयरिंग वास्तव में तेल उत्पादन के दौरान उपोत्पाद के रूप में प्राप्त प्राकृतिक गैस के दहन की प्रक्रिया है।

### 5.6.5. गुजरात में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ी (ASIATIC LION POPULATION INCREASES IN GUJARAT)

शेरों की 16वीं गणना 2025 के अनुसार एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई।

- एशियाई शेरों की संख्या और वितरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो 'प्रोजेक्ट लायन' की सफलता को दर्शाता है।
- यह गणना गुजरात वन विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है।
- प्रोजेक्ट लायन (2020) का लक्ष्य उन्नत तकनीकों की निगरानी और रोग प्रबंधन के माध्यम से शेरों का दीर्घकालिक संरक्षण है।

#### एशियाई शेर (पेंथेरा लियो पर्सिका) के बारे में

- पर्यावास: घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियाँ और खुले वन।
- मुख्यतः गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात) में पाए जाते हैं।
- बर्दा वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए "दूसरे पर्यावास" के रूप में उभरा है।
- IUCN स्थिति: वल्नरेबल।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I और अनुसूची-IV में सूचीबद्ध है तथा CITES के परिशिष्ट-I में शामिल है।
- एशियाई शेर की विशेषताएँ:
  - ➔ एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में आकर में थोड़े छोटे होते हैं।
  - ➔ एशियाई शेरों में देखी जाने वाली एक विशिष्ट विशेषता उनके पेट के नीचे गर्दन से पूँछ तक त्वचा की एक तह है।
  - ➔ एशियाई नर शेर का अयाल कम घना होता है, जिससे उसके कान हमेशा दिखाई देते हैं।
  - ➔ शेरों का कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता है।
- संरक्षण के लिए पहल: अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट गठबंधन, ग्रेटर गिर कॉन्सेप्ट, एशियाई शेर पुनर्स्थापन परियोजना, शेरों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकियाँ।

### 5.6.6. लद्दाख में हिम तेंदुओं की आबादी (LADAKH'S SNOW LEOPARD POPULATION)

लद्दाख के वन्यजीव संरक्षण विभाग द्वारा किए गए अध्ययन में लद्दाख में 477 हिम तेंदुए होने का अनुमान लगाया गया। दुनिया में हिम तेंदुओं का सर्वाधिक घनत्व लद्दाख में है, जो भारत की कुल हिम तेंदुआ आबादी का 68% हिस्सा है।

#### अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- क्षेत्र: हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है।
- कारक: संसाधन-समृद्ध घास के मैदान, समशीतोष्ण जलवायु, उच्च शिकार उपलब्धता, कम मानवीय व्यवधान (61% मनुष्यों के निकट सह-अस्तित्व में रहते हैं), सांस्कृतिक सम्मान, पर्यटन लाभ और संघर्ष प्रबंधन।

#### संरक्षण पहलें

- प्रोजेक्ट हिम तेंदुआ (भारत)
- इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस
- वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम



- बिश्केक घोषणा 2017
- समरकंद संकल्प 2024

## हिम तेंदुए (पेंथेरा अन्जिया) के बारे में

- भौगोलिक विस्तार: यह 12 देशों में पाया जाता है। भारत में, पश्चिमी हिमालय में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम तथा पूर्वी हिमालय में अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।
- संरक्षण स्थिति:
  - ➔ IUCN रेड लिस्ट: वल्नरेबल; CITES परिशिष्ट-I और CMS परिशिष्ट-I में सूचीबद्ध।
  - ➔ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध।
- पर्यावास: 3,000-5,000 मीटर की ऊँचाई पर चट्टानी व पथरीली तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि।
- विशेषताएं: शरीर पर स्मोकी धूसर (ग्रे) रंग के फर होते हैं, जिस पर काले-गहरे धूसर रोसेट (गोलाकार धब्बे) होते हैं। वे अकेले रहते हैं तथा सुबह और शाम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।

## 5.6.7. ऑपरेशन ओलिविया (OPERATION OLIVIA)

ऑपरेशन ओलिविया ने ओडिशा के गहिरमाथा तट पर 8 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं को बचाया।

## ऑपरेशन ओलिविया के बारे में

- इसे 1980 के दशक में, भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू किया था। यह हर साल नवंबर से मई तक आयोजित किया जाता है।
- यह अभियान गहिरमाथा समुद्र तट, रुशिकुल्या नदी के मुहाने और देवी नदी के मुहाने पर केंद्रित है।
- इन तटीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 800,000 से अधिक ओलिव रिडले कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने आते हैं, इस परिघटना को अटिबादा कहा जाता है।

## ओलिव रिडले कछुओं के बारे में

- इसका वितरण लगभग संपूर्ण उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मेक्सिको की खाड़ी को छोड़कर लगभग सभी उष्णकटिबंधीय समुद्री तटीय क्षेत्रों में आकर अंडे देते हैं।
- IUCN स्थिति: वल्नरेबल; CITES: परिशिष्ट-I में शामिल।

## 5.6.8. त्सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व (TSARAP CHU CONSERVATION RESERVE)

हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पीति घाटी में "त्सराप चू कंजर्वेशन रिजर्व" अधिसूचित किया। यह भारत का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र है।

## त्सराप चू के बारे में:

- यह उनाम नदी और चरप नाला के संगम का क्षेत्र है।
- सीमाएं: इसके उत्तर में लद्दाख, पूर्व में किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, दक्षिण में कबजीमा नाला और पश्चिम में चंद्रताल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है।
- वन्यजीव: हिम तेंदुआ (जिसे 'पहाड़ों का भूत' / Ghost of the mountains भी कहा जाता है)।
- अन्य प्रजातियां: तिब्बती भेड़िया, भड़ल (नीली भेड़ / Blue Sheep), हिमालयन आइबेक्स, क्यांग (जंगली गधा), तिब्बती अर्गली आदि। यहां रोज फिंच, तिब्बती रैवेन जैसी दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी पाई जाती हैं।

## 5.6.9. याला ग्लेशियर विलुप्त हुआ (YALA GLACIER DECLARED DEAD)

ग्लेशियोलॉजिस्ट और स्थानीय समुदायों ने नेपाल के लांगटांग क्षेत्र में स्थित याला ग्लेशियर के "मृत" यानी विलुप्त होने पर शोक व्यक्त किया है। 1970 के दशक से अब तक यह ग्लेशियर 66% तक सिकुड़ चुका है।

## ग्लेशियर फ्यूनरल

- यह जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के तेजी से विलुप्त होने पर आयोजित प्रतीकात्मक शोक समारोह है।
- मृत (विलुप्त) घोषित अन्य प्रमुख ग्लेशियर: पिज़ोल ग्लेशियर, स्विट्ज़रलैंड (2019); क्लार्क ग्लेशियर, संयुक्त राज्य अमेरिका (2020); अयोलीको ग्लेशियर, मैक्सिको (2021) आदि।
  - ➔ दुनिया का पहला ग्लेशियर फ्यूनरल आइसलैंड के ओकजोकुल्ल के लिए 2019 में आयोजित किया गया था।

## ग्लेशियरों के विलुप्त होने के दुष्परिणाम

- ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि: एल्बीडो प्रभाव कम होता है, जिससे पृथ्वी अधिक गर्मी अवशोषित करती है।
- समुद्री जल स्तर में वृद्धि: ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री जल स्तर में लगभग 2 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है।
- जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होना: पृथ्वी का लगभग तीन-चौथाई ताजा जल ग्लेशियरों में संग्रहित है। इनके तेजी से पिघलने से नियमित जल आपूर्ति और जैव विविधता को खतरा पहुंच सकता है।
- प्राकृतिक आपदाएं: हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ (GLOF) और हिमस्खलन जैसी आपदाओं को खतरा बढ़ जाता है।

## ग्लेशियर के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयास

वैश्विक स्तर पर प्रयास

- संयुक्त राष्ट्र (UN) के प्रयास: 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष घोषित; हर साल 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस।
- UNESCO-अंतर-सरकारी जल कार्यक्रम (IHP); IUCN ने हिमालय एडेप्टेशन नेटवर्क; WWF ने लिविंग हिमालयान इनिशिएटिव शुरू किया है।

भारत के प्रयास

- नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम; नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर शुरू किया गया है।
- भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) ग्लेशियर में बदलावों पर निगरानी; और GLOF पर चेतावनी जारी करता है।
- हिमांश अनुसंधान केंद्र हिमालयी ग्लेशियरों की गतिविधियों और उनमें परिवर्तन का अध्ययन करता है।
- आर्कटिक और अंटार्कटिका में कई मिशन शुरू किए गए हैं; जैसे कि 2014 का IndARC.



### 5.6.10. सौर पैनल दक्षता मानदंड (SOLAR PANEL EFFICIENCY NORMS)

MINRE ने ऑफ-ग्रिड ग्रामीण परियोजनाओं के लिए सौर पैनल दक्षता मानदंडों को आसान बनाया। इसका अर्थ है कि **कम दक्षता वाले सौर मॉड्यूल भी अब सरकार की अनुमोदित मॉडल और विनिर्माताओं की सूची (ALMM) में शामिल किए जा सकते हैं।**

### सौर दक्षता मानदंडों में मुख्य परिवर्तन (मई 2025 संशोधन)

- **दक्षता मानकों में कमी:**
  - ➔ पहले: क्रिस्टलीय सिलिकॉन- 19%, CdTe - 18%
  - ➔ अब: दोनों प्रौद्योगिकियाँ- 18%
- **परिवर्तन का दायरा:** यह केवल ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोगों पर लागू होता है, बड़े सिस्टम्स पर नहीं।
- **ऑफ-ग्रिड सिस्टम:** बैटरी स्टोरेज का उपयोग करके पावर ग्रिड से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं।

### एक नई श्रेणी की शुरुआत:

- **वितरित नवीकरणीय ऊर्जा (DRE):** नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित ऐसी विद्युत जिसका उपयोग उत्पादन स्थल के नजदीक किया जाता है।
- लघु विनिर्माताओं का समर्थन करना तथा व्यापक ग्रामीण विद्युतीकरण का समर्थन।

### चिंताएं:

- प्रति इकाई क्षेत्र में कम ऊर्जा उत्पादन।
- सोलर पैनल्स के जल्दी खराब होने का खतरा।
- घटिया गुणवत्ता के मॉड्यूल से बाजार प्रभावित हो सकता है।

### महत्व

- किफायती और पहुंच में सुधार;
- स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा;
- बिना किसी बड़े तकनीकी समझौते के ग्रामीण ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा देता है।

### 5.6.11. दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथनॉल संयंत्र डेनमार्क में शुरू हुआ (WORLD'S FIRST COMMERCIAL-SCALE E-METHANOL PLANT OPERATIONALISED IN DENMARK)

ई-मेथनॉल शिपिंग और रासायनिक विनिर्माण जैसे हार्ड-टू-अबैट क्षेत्रों में **उत्सर्जन को कम** करने के लिए एक व्यवहार्य समाधान प्रदान करता है।

### ई-मेथेनॉल क्या है?

- यह एक **निम्न-कार्बन ऊर्जा ईंधन** है। इसे **ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर** बनाया जाता है।
- ई-मेथनॉल के उत्पादन में **आमतौर पर तीन प्रमुख चरण शामिल होते हैं:**
  - ➔ **ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन:** नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा जल के विद्युत-अपघटन से हाइड्रोजन फीडस्टॉक का निर्माण किया जाता है।

- ➔ **CO<sub>2</sub> को कैप्चर करना:** CO<sub>2</sub> को औद्योगिक इकाइयों से या सीधे हवा से कैप्चर किया जाता है।
- ➔ **मेथनॉल संश्लेषण:** हाइड्रोजन और CO<sub>2</sub> को कैटेलिटिक रिएक्टर में दबाव के तहत संयोजित किया जाता है। इससे **मेथनॉल** प्राप्त होता है।

### लाभ:

- ➔ इसे अवसंरचना में बदलाव के बिना इस्तेमाल; कमरे के तापमान पर स्थिर भंडारण; बहुमुखी ईंधन अनुप्रयोग।
- **उपयोग:** शिपिंग उद्योग के अलावा, व्युत्पन्न **ई-गैसोलीन और ई-केरोसिन सड़क एवं हवाई परिवहन** के लिए बेहतर समाधान प्रदान करते हैं।
- **चुनौतियां:** नवीकरणीय विद्युत की उच्च लागत और उत्पादन संबंधी अदक्षता के कारण ई-मेथनॉल जीवाश्म-आधारित मेथेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम (नीति आयोग)
- **मेथनॉल अर्थव्यवस्था कार्यक्रम (नीति आयोग)**
  - ➔ **उद्देश्य:** कोयला, अपशिष्ट और CO<sub>2</sub> को मेथनॉल, जो एक कम कार्बन हाइड्रोजन वाहक ईंधन है, में परिवर्तित करके तेल आयात और GHG उत्सर्जन में कटौती करना।
  - ➔ **लाभ:** लगभग **50 लाख नौकरियों** का सृजन होगा। LPG में 20% **मेथनॉल डेरिवेटिव** मिलाने से सालाना **6000 करोड़ रुपये** की बचत होगी।

### 5.6.12. क्षेत्रीय एकीकृत बहु-आपदा पूर्व-चेतावनी प्रणाली (Regional Integrated Multi-hazard Early Warning System: RIMES)

कोलंबो में आयोजित **RIMES की चौथी मंत्रिस्तरीय बैठक** में **"आपदा से निपटने की तैयारी पर घोषणा-पत्र"** को अपनाया गया।

### RIMES, 2009 के बारे में:

- यह एक **अंतर-सरकारी संस्था** है। यह अपने सदस्य देशों को **पूर्व-चेतावनी सेवाएं, आपदा जोखिम न्यूनीकरण रणनीतियां, और क्षमता निर्माण सेवाएं** प्रदान करता है।
- यह प्रणाली **2004** की हिंद महासागर सूनामी के बाद **अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र** के देशों के प्रयासों से विकसित हुई है।
- **सदस्य:** RIMES में **22 सदस्य राष्ट्र और 26 सहयोगी राष्ट्र** शामिल हैं।
- **कार्यालय:** इसका क्षेत्रीय पूर्व-चेतावनी केंद्र **थाईलैंड के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी** में स्थित है।

### 5.6.13. मूसा इंडोनेसिया केला (BANANA MUSA INDANDAMANENSIS)

जंगली केले की प्रजाति मूसा इंडोनेसिया में **लगभग 4.2 मीटर लंबा फल-गुच्छ/पुष्प-क्रम दर्ज** किया गया। यह किसी केले के पौधे में दर्ज किया गया **अब तक का सबसे लंबा फल-गुच्छ** है।

- **फल-गुच्छ:** यह फलों का एक समूह या गुच्छ होता है, जो एक धुरी/तने पर उग आया होता है। इसमें एक मुख्य डंठल होता है।

### मूसा इंडोनेसिया के बारे में:

- **खोज:** इसे पहली बार **2012 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कृष्णा नाला रिजर्व फॉरेस्ट** के पास एक दुर्गम उष्णकटिबंधीय वन में दर्ज किया गया था।
- **विशेषताएं:**
  - ➔ इसमें **हरे रंग के विशिष्ट फूल** खिलते हैं और इसका **फल-गुच्छ (लक्स/धुरी)** सामान्य केले की प्रजातियों की तुलना में



तीन गुना बढ़ा होता है।

- यह लगभग 11 मीटर लंबा पौधा होता है, जबकि सामान्य केले के पौधे की ऊँचाई तीन से चार मीटर होती है।
- लाभ: प्लॉट ब्रीडर्स इस प्रजाति का उपयोग उच्च उपज देने वाली और रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए एक प्राकृतिक आनुवंशिक संसाधन के रूप में कर सकते हैं।

#### 5.6.14. एटमोस्फियरिक मेमोरी (ATMOSPHERIC MEMORY)

एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि मानसून का आगमन और वापसी केवल सूर्य के प्रकाश पर नहीं, बल्कि एटमोस्फियरिक मेमोरी पर भी निर्भर करती है।

#### अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वायुमंडल जलवाष्प के रूप में भौतिक जानकारी को संचित करता है। इसके आधार पर यह मानसून के आगमन और वापसी को नियंत्रित करता है।
- पहले यह माना जाता था कि मानसून मौसम के आगमन या वापसी की प्रक्रिया मुख्यतः सौर विकिरण में परिवर्तन की तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है।
- नया सिद्धांत: वायुमंडल की स्थिति उसके मौसम के इतिहास पर निर्भर करती है। यदि पहले से वर्षा हो रही है, तो वह जारी रहती है, लेकिन यदि वातावरण पहले से शुष्क है, तो वर्षा की शुरुआत कठिन हो जाती है। यह व्यवहार "द्विस्थिरता" (Bistability) कहलाता है।
- समान सौर विकिरण स्तर पर भी वायुमंडल या तो शुष्क या गहन वर्षा वाला हो सकता है।



#### Vision IAS की ओर से पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज

(UPSC प्रीलिम्स के लिए स्मार्ट रिवीजन, प्रैक्टिस और समग्र तैयारी हेतु  
ऑल इंडिया GS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज के तहत एक पर्सनलाइज्ड टेस्ट सीरीज)

- » UPSC द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के साथ-साथ VisionIAS द्वारा तैयार किए गए 25,000 से अधिक उच्च गुणवत्ता वाले प्रश्नों का विशाल संग्रह
- » अपनी जरूरत के अनुसार विषयों और टॉपिक्स का चयन करके पर्सनलाइज्ड टेस्ट तैयार करने की सुविधा
- » परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टेस्ट (PIT)
- » टेस्ट में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर, सुधार की गुंजाइश वाले क्षेत्रों पर फीडबैक



अधिक जानकारी  
के लिए दिए गए  
QR कोड को  
स्कैन कीजिए

2026

ENGLISH MEDIUM  
27 JULYहिन्दी माध्यम  
27 जुलाई



# सामाजिक मुद्दे (SOCIAL ISSUES)



## 6.1. मानव विकास रिपोर्ट 2025: बढ़ती असमानता (Human Development Report 2025: Widening Inequality)

### सुर्खियों में क्यों?

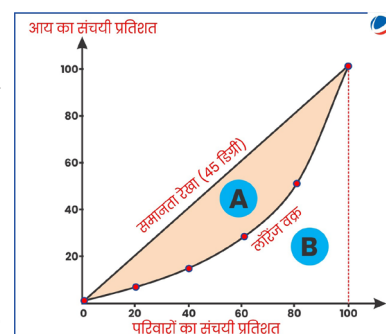
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की। इस रिपोर्ट में भारत की प्रगति की सराहना की गई है। हालांकि इसमें बढ़ती असमानता, विशेष रूप से आय और लिंग के आधार पर असमानता को लेकर चिंता भी प्रकट की गई है।

### रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ➔ मानव विकास सूचकांक (HDI)
  - ➔ लगातार चौथे वर्ष निम्न HDI स्कोर वाले देशों और अत्यधिक उच्च HDI स्कोर वाले देशों के बीच असमानता बढ़ती जा रही है।
  - ➔ शीर्ष 3 रैंक वाले देश: आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड हैं।
  - ➔ भारत: HDI 0.685 तक बढ़ने से रैंकिंग सुधरकर 193 देशों में 130वीं हो गई थी।
- ➔ असमानता-समायोजित HDI
  - ➔ भारत में व्यापक असमानता के कारण मानव विकास में 30.7% की हानि देखी गई।
  - ➔ भारत की सबसे गरीब 40% आबादी के पास कुल आय का केवल 20.2% हिस्सा है, जबकि सबसे अमीर 10% के पास 25.5% हिस्सा है।
- ➔ बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI)
  - ➔ 18.4% भारतीय बहुआयामी निर्धनता के जोखिम में हैं, 4.2% आबादी चरम बहुआयामी गरीबी में जीवनयापन कर रही है।
  - ➔ 18.7% आबादी ऐसी है, जो बहुआयामी निर्धनता के जोखिम का सामना कर रही है।
- ➔ लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)
  - ➔ भारत 193 देशों में 102वें स्थान पर है।
  - ➔ भारत में 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु की महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) 35.1% है, जबकि पुरुषों की श्रम बल भागीदारी दर 76.4% है।

### असमानता और इसका मापन

- ➔ असमानता: प्रस्थिति (Status), अधिकारों या अवसरों में समानता का अभाव।
- ➔ असमानता के प्रकार: आय असमानता, सामाजिक असमानता, अवसरों की असमानता, परिणामों की असमानता आदि।
- ➔ असमानता का मापन:
  - ➔ गिनी गुणांक: आय/ उपभोग सांद्रता को मापता है (0 = पूर्ण समानता, 1 = पूर्ण असमानता)।
    - ◊ लॉरेंज वक्र पर आधारित: यह वक्र जितना अधिक झुका हुआ होता है, असमानता उतनी ही अधिक होती है।
  - ➔ पल्मा अनुपात: इसमें आय के मामले में शीर्ष पायदान पर मौजूद 10% आबादी की प्रति घंटा कुल आय को निचले पायदान पर मौजूद 40% आबादी की प्रति घंटा कुल आय से विभाजित किया जाता है।



### असमानता बने रहने के कारण

- ➔ सामाजिक-सांस्कृतिक असमानताएं: जाति, लिंग आदि पर आधारित।
  - ➔ लैंगिक वेतन अंतर: कुल श्रम आय में महिलाएं केवल 18% कमाती हैं। (विश्व असमानता रिपोर्ट 2022)।

- शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता की कमी: यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी को बनाए रखती है। उदाहरण: स्वास्थ्य पर अत्यधिक जेब से खर्च।
- आर्थिक विकास की प्रकृति: भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगारविहीन संवृद्धि, "मिसिंग मिडिल" (लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की कम संख्या)। (कृषि 42% लोगों को रोजगार दे रहा है)।
- ग्रामीण-शहरी विभाजन: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय ग्रामीण भारत में 4,122 रुपये और शहरी भारत में 6,996 रुपये है।
- श्रम नीतियाँ: श्रमिकों की सौदेबाजी करने की शक्ति कम हो गई है।
- कर पूर्वाग्रह (Tax Bias): दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कम दरें पूंजी को श्रम पर लाभ देती हैं।
- अन्य कारक: तकनीकी विभाजन, संघर्ष, जलवायु झटके, संप्रभु ऋण संकट, COVID-19, शासन के मुद्दे (भ्रष्टाचार, सुधारों के प्रति प्रतिरोध, आदि)।

## आगे की राह

- नीति निर्माण: उदा. राष्ट्रीय असमानता न्यूनीकरण योजनाएं (NIRPs), प्रगतिशील कराधान का ध्यान विशेष रूप से गांव/ ब्लॉक स्तरों पर केंद्रित करना, आदि।
- समावेशी वेलथ अप्रोच: समावेशी वेलथ का अर्थ किसी राष्ट्र की कुल संपदा से है, जिसमें वित्तीय संपत्ति के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधन, मानव और सामाजिक पूंजी भी शामिल हैं। जाति-आधारित भेदभाव एवं लैंगिक असमानताओं आदि को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए- जेंडर बजटिंग एक अच्छा कदम है।
- अन्य: लैंगिक समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बाजार की मांग के साथ संरेखित करना, सामाजिक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना, आदि।

## निष्कर्ष

भारत में असमानता को दूर करने के लिए पूरे समाज की साझी भागीदारी जरूरी है। इसके लिए केवल सरकार की नीतियां ही नहीं, बल्कि नागरिक समाज यानी समाजसेवी संगठनों की भूमिका और निजी क्षेत्र की जवाबदेही भी महत्वपूर्ण है। किसी भी विकास योजना को बनाते समय, उसे लागू करते समय और उसके परिणामों की समीक्षा करते समय, सभी चरणों में समानता को केंद्र में रखना आवश्यक है।

## 6.2. सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 {Sample Registration System (SRS) Report 2021}

### सुझियों में क्यों?

भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021 जारी की है।

### एक SRS के बारे में

- यह एक बड़े पैमाने का जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है। यह राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन तथा मृत्यु दर संकेतकों पर एक विश्वसनीय अनुमान प्रदान करता है।
- SRS का सैंपल नवीनतम जनगणना के आधार पर हर दस साल में अपडेट किया जाता है।

### SRS रिपोर्ट 2021 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

| मापदंड और परिभाषाएँ                                                                                                                                                      | SRS रिपोर्ट 2021 द्वारा उजागर किए गए रुझान:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कूड बर्थ रेट (CBR)<br>CBR = (एक वर्ष के दौरान हुए जीवित जन्मों की संख्या ÷ वर्ष के मध्य की जनसंख्या) × 100                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 2021 में घटकर 19.3 रह गई</li> <li>→ राज्यवार स्थिति: सबसे ज्यादा बिहार (25.6), सबसे कम केरल (12.9)।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| जनसंख्या की संरचना (कुल जनसंख्या का प्रतिशत)                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या (15-59 वर्ष): इसमें बढ़ोतरी हुई है। यह 1991 में 57.7% थी, जो 2021 में 66.2% हो गई।</li> <li>→ वृद्ध आबादी: इसमें बढ़ोतरी हुई है (60+ वर्ष: 9% तथा 65+ वर्ष: 5.9%)।</li> <li>→ महिलाओं के लिए प्रभावी विवाह की औसत आयु: इसमें बढ़ोतरी हुई है। यह 1990 में 19.3 वर्ष थी, जो 2021 में 22.5 वर्ष तक हो गई।</li> </ul> |
| मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortality Ratio: MMR)<br>मातृ मृत्यु अनुपात किसी निर्धारित अवधि में प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर होने वाली माताओं की मृत्यु की संख्या है। | <ul style="list-style-type: none"> <li>→ गिरावट: 2019-21 में घटकर 93 रह गई, यानी इसमें 37 अंकों की कमी हुई है। {SDG के MMR लक्ष्य (2030 तक ≤ 70)}।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>शिशु मृत्यु दर</b><br>➤ <b>नवजात मृत्यु दर (NMR):</b> प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म से लेकर 29 दिनों तक के नवजात शिशुओं की मृत्यु की संख्या।<br>➤ <b>शिशु मृत्यु दर (IMR):</b> प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु तक के शिशुओं की मृत्यु की संख्या।<br>➤ <b>पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (U5MR):</b> प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या। | <b>नवजात मृत्यु दर (NMR)</b><br>➤ <b>गिरावट:</b> 2021 में घटकर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 19 हो गई है।<br>➤ <b>राज्यों में:</b><br>➔ <b>सबसे कम:</b> केरल, <b>सबसे ज्यादा:</b> मध्य प्रदेश<br><b>शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate: IMR)</b><br>➤ <b>गिरावट:</b> यह 2021 में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 27 हो गई है।<br>➤ <b>राज्यों में:</b><br>➔ <b>सबसे कम:</b> केरल (6), <b>सबसे ज्यादा:</b> मध्य प्रदेश (41)<br>➤ इस गिरावट के बावजूद, राष्ट्रीय स्तर पर जन्म लेने वाले प्रत्येक 37 शिशुओं में से एक शिशु की अपनी आयु के पहले साल में ही मृत्यु हो जाती है।<br><b>पांच वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर (Under-five Mortality Rate: U5MR)</b><br>➤ <b>गिरावट:</b> यह 2021 में घटकर पर 31 हो गई है। {SDG के U5MR लक्ष्य (2030 तक $\leq 25$ )।<br>➤ <b>राज्यों में:</b> <b>सबसे कम:</b> केरल, <b>सबसे ज्यादा:</b> मध्य प्रदेश |
| <b>जन्म के समय लिंगानुपात</b><br>जन्म के समय प्रति 1000 लड़कों पर जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ➤ <b>बढ़ोतरी:</b> यह 2018-20 में 907 था, जो 2019-21 में बढ़कर 913 हो गया है।<br>➤ <b>राज्यों में:</b> <b>सबसे ज्यादा:</b> केरल (962), <b>सबसे कम:</b> उत्तराखंड (852)<br>➤ <b>ग्रामीण (2019-21):</b> 912, <b>शहरी (2019-21):</b> 918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>कुल प्रजनन दर (TFR)</b><br>एक महिला द्वारा अपने प्रजनन काल के अंत तक जन्मे बच्चों की औसत संख्या।                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>कुल प्रजनन दर (TFR) = 2.0</b><br>➤ राष्ट्रीय स्तर पर 2016-2021 के दौरान TFR में कमी आई है।<br>➤ <b>राज्य:</b> सबसे अधिक: बिहार (3.0); सबसे कम: दिल्ली और पश्चिम बंगाल (1.4)।<br>➤ राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापन स्तर TFR, यानी 2.1, को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ प्राप्त किया गया है।<br>➤ <b>ग्रामीण 2.2; शहरी 1.6।</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>जन्म के समय लिंग अनुपात</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ➤ 69.8 वर्ष (अवधि 2017-21), जो 2016-2020 की 69.2 वर्षों की तुलना में गिरावट दर्ज करता है।<br>➤ पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशा 68.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 71.8 वर्ष है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>संस्थागत प्रसव</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ➤ <b>2021 में 91.1%</b> तक (सरकारी और निजी अस्पताल)।<br>➤ <b>शहरी क्षेत्र:</b> 95.8%; <b>ग्रामीण क्षेत्र:</b> 89.7%।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## निष्कर्ष

बेहतर मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को सुनिश्चित करता है, योजनाओं, जागरूकता, बुनियादी ढांचे और सेवा की गुणवत्ता को मजबूत करना स्थायी प्रभाव के लिए आवश्यक है।

## 6.3 शहरी गरीबी (Urban Poverty)

### भारत में शहरीकरण और शहरी गरीबी की वर्तमान स्थिति

- शहरी जनसंख्या 2011 में बढ़कर 31.16% हो गई; 2050 तक भारत की 50% से अधिक आबादी शहरों में निवास कर रही होगी।
- शहरों में चरम गरीबी 10.7% से घटकर 1.1% रह गई।
- शहरी गरीबी घटकर 17.2% हो गई है।
- शहरी बेरोजगारी दर गिरकर 6.6% हो गई

### शहरी और ग्रामीण गरीबी के बीच अंतर

- **मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच:** शहरी गरीब व्यक्ति **आवास की कमी** और **स्वच्छता** जैसी **मूलभूत सेवाओं की कमी** का सामना करते हैं। **ग्रामीण गरीब भू-स्वामित्व की सुरक्षा** से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित।
- **जीवन स्तर और परिस्थितियाँ:** शहरी गरीबों को अत्यधिक **भीड़-भाड़ और स्वच्छता की कमी** जैसी समस्याओं की वजह से **बीमारी एवं अपराध** का सामना करना पड़ता है। वहीं ग्रामीण गरीबों को **पक्के आवास की कमी, जातिगत भेदभाव** आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- **गरीबी का मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** शहरी क्षेत्रों में **सापेक्ष वंचन और सामाजिक अपवर्जन** की भावना प्रबल होती है। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में **गरीबी अधिक दिखाई देती है।** उदाहरण के लिए- **मुंबई में धारावी जैसे झुग्गी-बस्तियों का गगनचुंबी इमारतों के आस-पास होना।**
- **आर्थिक संरचना:** ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से **कृषि** पर निर्भर है, जबकि शहरी अर्थव्यवस्था **अधिक विविध और जटिल** होती है। इस प्रकार, शहरी क्षेत्र में **आर्थिक अवसर अधिक** होते हैं। हालांकि, इसी वजह से शहरी गरीबी अधिक **बहुआयामी व जटिल** होती है।



## शहरी गरीबी के बने रहने के लिए जिम्मेदार कारक

- ➔ योजनाबद्ध शहरी विकास का अभाव: अव्यवस्थित शहरीकरण, किफायती आवास परियोजनाओं की कमी आदि।
- ➔ क्षेत्रीय असमानता: टियर I और टियर II शहरों के बीच असमान विकास।
- ➔ सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच का अभाव: गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं का नाम न मिलना, क्योंकि उनके पास निवास का प्रमाण नहीं है।
- ➔ गरीबी का दुष्क्रम: गरीबी के कारण लोगों को शिक्षा, नौकरी आदि के सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता के अवसर नहीं मिलते।

## शहरी गरीबी को खत्म करने के लिए सरकारी पहलें

- ➔ वन नेशन वन राशन कार्ड: आधार-आधारित पोर्टेबल राशन कार्ड (आंतरिक प्रवासियों सहित)।
- ➔ स्वच्छ भारत मिशन-U 2.0: आवासीय शौचालयों का निर्माण।
- ➔ पीएम आवास योजना-U: EWS/LIG/MIG और स्लम निवासियों के लिए किफायती आवास प्रदान करती है।
- ➔ DAY-NULM: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करती है।
- ➔ पीएम स्वनिधि: स्ट्रीट वेंडर्स के लिए किफायती ऋण।
- ➔ अन्य: AMRUT 2.0 और स्मार्ट सिटी मिशन।

## आगे की राह

- ➔ समावेशी शहरीकरण: समावेशी शहरी विकास नियोजन के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ-साथ निर्णय प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत करने की भी आवश्यकता है। साथ ही, मिश्रित उपयोग विकास और समावेशी ज़ोनिंग नीतियों को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
- ➔ टियर-2/टियर-3 शहरों पर जोर: छोटे शहरों एवं कस्बों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करके संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे महानगरों पर जनसंख्या का दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
- ➔ संधारणीयता: घरेलू उत्सर्जन को कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- ➔ अन्य सुधार: शहरी गरीबों को सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक बेहतर पहुंच प्रदान करना।

## निष्कर्ष

2050 तक भारत के शहरों द्वारा GDP में 75% से अधिक योगदान देने और इनसे लगभग 60% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होने की संभावना है। इसलिए, शहरी गरीबी की समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि शहरी क्षेत्रों का संधारणीय विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रयास 'विकसित भारत' के लक्ष्य को हासिल करने में सहायक होगा और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूत कदम होगा।

## 6.4 मिजोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल की (Mizoram Achieves Full Functional Literacy)

### सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। अब मिजोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।

### अन्य संबंधित तथ्य

- ➔ लद्दाख, ULLAS कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता की घोषणा करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गया था।
  - ➔ गोवा दूसरा राज्य था।
  - ➔ शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 95% से अधिक साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता के बराबर माना जाता है।
  - ➔ ये उपलब्धियां उल्लास/ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के कारण संभव हो पाई हैं।
- नोट: केरल में 1991 में पूर्ण साक्षरता दर की घोषणा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (>90% साक्षरता दर) पर आधारित थी।

### साक्षरता बनाम कार्यात्मक साक्षरता

- ➔ साक्षरता: कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और जो किसी भी भाषा को समझने के साथ-साथ पढ़ एवं लिख भी सकता है, उसे साक्षर माना जाता है।
- ➔ कार्यात्मक साक्षरता: इसमें पढ़ने, लिखने और जानकारी को समझने की क्षमता - जैसे फॉर्म भरना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, आदि।

### आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023-24 के अनुसार भारत में साक्षरता

- ➔ कुल साक्षरता दर (7+ आयु): 80.9% है।
- ➔ शहरी 88.9%, ग्रामीण 77.5%।
- ➔ पुरुष साक्षरता दर 87.2%, महिला साक्षरता दर 74.6% है।
- ➔ शीर्ष 5 राज्य: मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, केरल, मेघालय।
- ➔ नीचे के 5 राज्य: आंध्र प्रदेश (72.6%), बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड।

## ULLAS - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में

- परिभाषित साक्षरता: ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ व लिख सकते हैं, बुनियादी गणितीय कौशल से युक्त हैं और डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता रखते हैं (सिर्फ अपने नाम का हस्ताक्षर करना या लिखना नहीं)।
- योजना का प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 के अनुरूप है।
- लक्ष्य: ULLAS योजना का उद्देश्य 5 करोड़ शिक्षार्थियों को साक्षर बनाना है। इसमें "ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)" की मदद से हर साल 1 करोड़ शिक्षार्थियों को साक्षर बनाया जाएगा।
- योजना की अवधि: वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक।
- संबंधित मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय
- लक्षित समूह: 15 वर्ष और उससे ऊपर के ऐसे सभी वयस्क, जिन्होंने किसी कारणवश औपचारिक स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की।
- योजना के घटक: इसमें मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल (जैसे वित्तीय साक्षरता व डिजिटल साक्षरता), बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल तथा सतत शिक्षा शामिल हैं।
- कार्यान्वयन: इसे समाज में कर्तव्यबोध और सामाजिक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
  - सामाजिक चेतना केंद्र: स्कूलों, स्थानीय सांस्कृतिक केंद्रों, सामुदायिक केंद्रों आदि में उपलब्ध स्थानों का उपयोग करके सामाजिक चेतना केंद्र स्थापित किए जाते हैं। यहां स्कूल कार्यान्वयन की इकाई के रूप में कार्य करते हैं।
- क्षेत्रीय भाषाएं: DIKSHA पोर्टल और ULLAS मोबाइल ऐप/पोर्टल में।
- मूल्यांकन और प्रमाणन: FLNAT (फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी असेसमेंट टेस्ट) वर्ष में दो बार या मांग पर स्थानीय स्कूलों में आयोजित किया जाता है।

## 6.5. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

### 6.5.1 देखभाल अर्थव्यवस्था और डिजिटलीकरण

कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से, केयर इकोनॉमी में तेजी से हुए डिजिटलीकरण के कारण एक बड़ा बदलाव आया है। इस बदलाव ने महिलाओं के लिए नए आर्थिक और सामाजिक अवसर पैदा किए हैं।

### देखभाल अर्थव्यवस्था के बारे में

- यू.एन. वीमेन के अनुसार, केयर इकोनॉमी में ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं उपभोग शामिल है, जो उन लोगों के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं जिन्हें देखभाल की जरूरत होती है। इन लोगों में बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग और दिव्यांग व्यक्ति, इसमें स्वस्थ एवं कामकाजी आयु के वयस्क शामिल हैं।
- इसमें सवेतन और अवैतनिक दोनों तरह के कार्य शामिल हैं।
- औसतन महिलाएं पुरुषों से तीन गुना अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं। भारत में यह अंतर और भी अधिक है। भारत में महिलाएं पुरुषों से लगभग आठ गुना ज्यादा ये काम करती हैं।
- डिजिटल केयर इकोनॉमी देखभाल के पुराने तरीकों को बदल रही है। इसने ऐप्स, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, केयर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और रिमोट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों को देखभाल में शामिल किया है।

### केयर इकोनॉमी का डिजिटलीकरण महिलाओं को कैसे लाभ पहुंचा सकता है?

- आर्थिक संवृद्धि: संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार, देखभाल अवसरचना और सेवाओं में निवेश से 2035 तक 300 मिलियन नौकरियां सृजित की जा सकती हैं। इनमें से 70-90% नौकरियां महिलाओं को मिल सकती हैं।
  - उदाहरण के लिए- अर्बन कंपनी, भारत में महिला गिग वर्कर्स के सबसे बड़े नियोजकों में से एक है।
- लैंगिक समानता: लचीलापन, स्थिर आय और महिलाओं के लिए समय बिताने के लिए अवसर प्रदान करती है।
- पहुंच और दक्षता: भारत में, प्लेटफॉर्म जैसे- क्ले और बूमस गुडफेलो बुजुर्गों की देखभाल सेवाएं प्रदान करते हैं। ख्याल तथा गुडफेलो जैसे अन्य प्लेटफॉर्म बुजुर्गों की देखभाल के लिए ऑन-डिमांड सहायता प्रदान कर रहे हैं।

### निष्कर्ष

केयर इकोनॉमी का डिजिटलीकरण महिलाओं को सशक्त बना सकता है और देखभाल के काम को औपचारिक रूप प्रदान कर सकता है। हालांकि, समावेशी संवृद्धि के लिए डिजिटल अंतराल, सामाजिक सुरक्षा और पक्षपात जैसी चुनौतियों का एक लैंगिक-संवेदनशील और अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से समाधान किया जाना चाहिए।

### 6.5.2 मातृ मृत्यु दर (MATERNAL MORTALITY RATIO: MMR)

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने भारत में मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) पर 2019-21 के लिए विशेष बुलेटिन जारी किया।

### मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- भारत का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 93 हो गया है।
- श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य: केरल (MMR-20), तेलंगाना (45), तमिलनाडु (49), आदि।
- कमजोर प्रदर्शन करने वाले एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप (EAG) राज्य: मध्य प्रदेश (175), असम (167), उत्तर प्रदेश (151)। इन राज्यों में अब भी उच्च मातृ मृत्यु अनुपात दर्ज किया गया है।

### 6.5.3. गरिमा के साथ आयुर्वृद्धि के लिए पहलें (INITIATIVES FOR AGEING WITH DIGNITY)

देश की राष्ट्रपति ने "गरिमा के साथ आयुर्वृद्धि-वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण हेतु पहलें ('Ageing with Dignity)" कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई पहलों का शुभारंभ किया।

### शुरु की गई पहलें

- वरिष्ठ नागरिक कल्याण पोर्टल: यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य-देखभाल के लाभों और कल्याणकारी सेवाओं की प्राप्ति को आसान बनाता है।

- वरिष्ठ नागरिक आवास: यह केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत समर्थित है। यह पहल 'माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम' (MWPS Act) के अनुरूप है।
- ब्रह्मकुमारी संस्था के साथ समझौता ज्ञापन (MoU): इसका उद्देश्य भावनात्मक संतुलन, आत्मचिंतन (mindfulness), और पीढ़ियों के बीच आपसी संबंध को बढ़ावा देना है।

#### 6.5.4. ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज-फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिटीज (GLOBAL NETWORK OF AGE-FRIENDLY CITIES AND COMMUNITIES: GNAFCC)

कोज़िकोड शहर को WHO के GNAFCC की सदस्यता से सम्मानित किया गया है।

#### GNAFCC के बारे में:

- स्थापना: 2010 में
- सदस्य: 51 देशों के 1300 सदस्य शहर और समुदाय।
- लक्ष्य: विश्व भर के शहरों, समुदायों और संगठनों को जोड़ना, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रहने योग्य समाज विकसित किया जा सके।

#### 6.5.5. आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट (GRID) 2025 {GLOBAL REPORT ON INTERNAL DISPLACEMENT (GRID) 2025}

आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (IDMC) ने जारी किया।

आंतरिक विस्थापन (ID) से तात्पर्य लोगों (आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों) के अपने देश के भीतर जबर्न विस्थापन से है।

#### रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर:

- 2024 के अंत में आंतरिक रूप से विस्थापित लोग (IDP): 83.4 मिलियन। इनमें से 73.5 मिलियन लोग संघर्ष और हिंसा तथा 9.8 मिलियन आपदाओं के कारण विस्थापित हुए।
  - ➔ दुनिया भर में आपदा से होने वाले विस्थापन का 25% अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में दर्ज किया गया।
- भारत: संघर्ष और हिंसा के कारण आंतरिक विस्थापन (1,700) तथा आपदाओं के कारण आंतरिक विस्थापन (5.4 मिलियन)।



# Vision Publication

## Igniting Passion for Knowledge..!



### Explore Our Latest Publications



Empower Learners



Stay Current



Foster In-Depth Understanding



Support Last-Minute Prep



Scan the QR code to explore our collection and start your journey towards success.



# विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (SCIENCE AND TECHNOLOGY)



## 7.1. सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं (Satellite Internet Services)

### मुखियों में क्यों?

भारतीय दूरसंचार कंपनियों एयरटेल और जियो ने स्टारलिनक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवाओं को भारत में लाने के लिए SpaceX के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

### सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में

- ➔ **परिभाषा:** सैटेलाइट इंटरनेट, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाली दूरसंचार सैटेलाइट्स के माध्यम से प्रदान किया जाने वाला एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है।
- ➔ **अंतर:** यह फाइबर, केबल या DSL जैसी भूमि-आधारित इंटरनेट सेवाओं से अलग होता है। यह डेटा ट्रांसमिट करने के लिए तारों के जाल पर निर्भर नहीं होता।
- ➔ **अवसंरचना:** सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम अवसंरचना में आम तौर पर तीन खंड शामिल होते हैं:
  - ➔ **स्पेस सेगमेंट:** कई संचार उपग्रहों से बना एक कॉन्स्टेलेशन सिस्टम, जो सैटेलाइट से सिग्नल को प्राप्त करने और फॉरवर्ड करने तथा उपयोगकर्ताओं को सैटेलाइट सिग्नल की कवरेज प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
  - ➔ **ग्राउंड सेगमेंट:** इसमें उपग्रह माप और नियंत्रण नेटवर्क, गेट-वे स्टेशन आदि शामिल होते हैं, जो मुख्य रूप से सैटेलाइट इंटरनेट और ग्राउंड संचार नेटवर्क को आपस में जोड़ने की भूमिका निभाता है।
  - ➔ **यूजर सेगमेंट:** इसमें उपयोगकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संचार टर्मिनल शामिल होते हैं।

## विभिन्न प्रकार की कक्षाएं और सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं

|                                                                                                                          |  भूस्थिर भू-कक्षा (GEO) |  मध्यम भू-कक्षा (MEO) |  निम्न भू-कक्षा (LEO) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  पृथ्वी से दूरी                       | लगभग 35,786 कि.मी.                                                                                         | लगभग 2,000 कि.मी. से 35,786 कि.मी.                                                                       | लगभग 160 कि.मी. से 2,000 कि.मी.                                                                            |
|  विलंब या देरी (Latency)              | मध्यम देरी                                                                                                 | कम देरी                                                                                                  | बहुत कम देरी                                                                                               |
|  स्थापना लागत                         | स्थापना में बहुत अधिक लागत                                                                                 | मध्यम लागत                                                                                               | अपेक्षाकृत कम लागत                                                                                         |
|  पृथ्वी का कवरेज                      | बहुत विस्तृत                                                                                               | विस्तृत                                                                                                  | लघु                                                                                                        |
|  एंटीना गति                           | स्थिर एंटीना (वैश्विक कवरेज के लिए तीन उपग्रह)                                                             | 1-घंटे धीमी ट्रेकिंग (कवरेज के लिए छह उपग्रह)                                                            | 10-मिनट तेज़ ट्रेकिंग (कवरेज के लिए सैकड़ों से लेकर हजारों उपग्रहों की आवश्यकता)                           |
|  उपयोग                                | मौसम डेटा, प्रसारण टीवी, इमेजिंग, कम गति के साथ डेटा संचार                                                 | संचार, रक्षा उद्योग में इस्तेमाल, GPS जैसी नेविगेशन प्रणालियाँ                                           | रिमोट सेंसिंग, मानव अंतरिक्ष उड़ान, डेटा संचार                                                             |
|  इस कक्षा का उपयोग करने वाले अभिकर्ता | जियो स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड (यह GEO और MEO उपग्रह समूह के संयोजन का उपयोग करेगा)                         |                                                                                                          | स्टारलिनक, वनवेब, प्रोजेक्ट कुइपर, टेलीसेट                                                                 |

## विश्व में विभिन्न प्रमुख सैटेलाइट इंटरनेट परियोजनाएं

- ➔ **प्रोजेक्ट कुइपर:** अमेज़ॉन द्वारा लॉन्च किया गया।
- ➔ **स्टारलैंक:** स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया गया।
- ➔ **वनवेब:** फ्रांसीसी उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसैट द्वारा स्थापित वनवेब वर्तमान में SpaceX के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह समूह बेड़ा है।
- ➔ **कियानफ़ान कॉन्स्टेलेशन:** चीन द्वारा कियानफ़ान नामक एक निम्न-भू कक्षा उपग्रह इंटरनेट मेगा-कॉन्स्टेलेशन की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य विश्वव्यापी इंटरनेट कवरेज की एक प्रणाली बनाना है।

## उपग्रह इंटरनेट सेवाओं का महत्व

- ➔ **डिजिटल समावेशन:** दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ता है; ~40% भारतीयों को इंटरनेट तक पहुंच नहीं है।
- ➔ **आपदा कनेक्टिविटी:** आपातकालीन स्थलों और विमानों तथा जहाजों जैसे गतिशील प्लेटफॉर्मों के लिए उपयोगी।
- ➔ **डिजिटल अर्थव्यवस्था:** ई-कॉमर्स, प्लेटफॉर्मों और डिजिटल बुनियादी ढांचे में मदद करता है।
- ➔ **रणनीतिक स्वायत्तता:** नेटवर्क में कटौती या भू-राजनीतिक जोखिमों से कम प्रभावित।
- ➔ **सैन्य उपयोग:** उदाहरण के लिए, रूस-यूक्रेन संघर्ष में स्टारलैंक सेवाएं।

## उपग्रह इंटरनेट सेवाओं से संबंधित मुद्दे

- ➔ **आंतरिक सुरक्षा के लिए चिंताएं:** NIA को संदेह है कि आतंकवादियों ने एक-दूसरे से तथा पाकिस्तान स्थित अपने ठिकानों से संपर्क करने के लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया होगा।
- ➔ **प्रभावी नियंत्रण का अभाव:** प्राइवेट प्लेयर्स के नेतृत्व वाले सीमाहीन वैश्विक नेटवर्क और इंफॉर्मेशन स्पेस वाले इस सिस्टम ने नियामक इकोसिस्टम के लिए चुनौतियां पेश की हैं।
- ➔ **एकाधिकारवादी प्रवृत्तियां:** अपने व्यापक उपग्रह नेटवर्क के कारण, SpaceX द्वारा एकाधिकारवादी बाजार संरचना बनाने का जोखिम उत्पन्न होता है।
- ➔ **सैटेलाइट लेटेंसी या विलंबता:** सैटेलाइट इंटरनेट में आमतौर पर पारंपरिक वायर्ड कनेक्शन की तुलना में उच्च लेटेंसी होती है, क्योंकि डेटा को उपग्रह से आने-जाने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।
- ➔ **वायुमंडलीय परिवर्तन:** एल्युमिना जलने पर ओजोन क्षरण का कारण बनता है और वायुमंडल की ऊष्मा को परावर्तित करने की क्षमता को कम कर सकता है।
- ➔ **लाइसेंसिंग और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण:** वार्ता के तहत VSAT लाइसेंस, Ku और Ka बैंड का मूल्य निर्धारण करने की आवश्यकता है।
- ➔ **अन्य मुद्दे:** मौसम का प्रभाव, उच्च लागत, अंतरिक्ष मलबा, खगोलीय हस्तक्षेप, आदि।

## आगे की राह

- ➔ **पायलट प्रोग्राम:** दूरदराज के क्षेत्रों, जैसे- ऑयल फील्ड्स या रेगिस्तानी समुदायों में इसकी उपयोगिता प्रदर्शित कर सकते हैं।
- ➔ **व्यापक नियामक फ्रेमवर्क:** भारत को लाइसेंसिंग, डेटा गवर्नेंस और स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए स्पष्ट नीतियां बनानी चाहिए।
- ➔ **निजी ऑपरेटरों के साथ सहयोग करना:** टैक्स में छूट और ग्रांट जैसी प्रोत्साहन योजनाओं से निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक उद्देश्यों से मेल खाएगा।
- ➔ **हाइब्रिड मॉडल:** सैटेलाइट और टरेस्ट्रियल नेटवर्क का मिश्रण करके हाइब्रिड मॉडल के जरिए अधिकतम दक्षता हासिल की जा सकती है।
- ➔ **अन्य:** ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों को एकीकृत करने को प्राथमिकता देना, मजबूत क्षेत्रीय और कूटनीतिक पहल आदि।

## 7.2. डीपफेक (DEEPAKES)

### सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका ने नुकसान पहुंचाने वाले ऑनलाइन डीपफेक से निपटने के लिए "टेक डट डाउन एक्ट" कानून बनाया है।

### डीपफेक क्या हैं?

- ➔ **परिभाषा:** AI एल्गोरिदम का उपयोग करके वीडियो, फोटो, या ऑडियो में हेरफेर किया गया।
- ➔ **प्रौद्योगिकी:** डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग और AI के उप-समूह का उपयोग करके बनाया गया।
  - ➔ इसमें किसी व्यक्ति की मूल इमेज या वीडियो में चेहरे बदलना, चेहरे के भावों में हेरफेर करना, कहे गए कथनों में बदलाव करना, या लोगों को ऐसे कार्य करते या कहते हुए दिखाना शामिल है जो वास्तव में नहीं किए गए हैं।

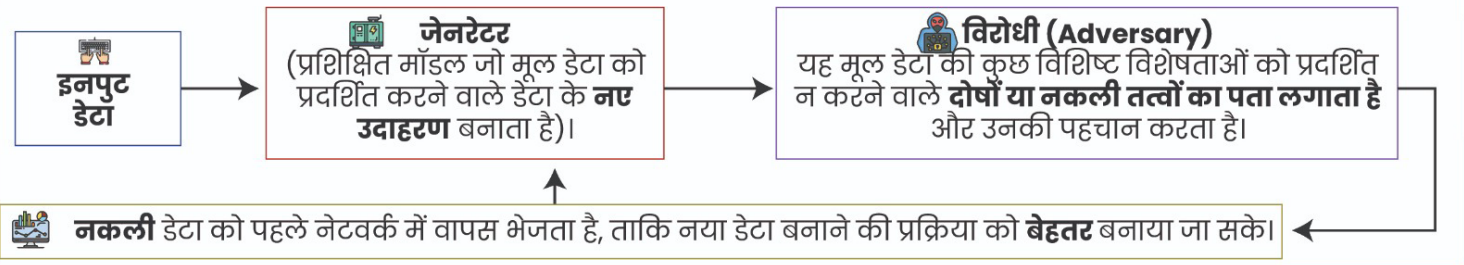
## डीपफेक में शामिल प्रौद्योगिकी



**ऑटोएन्कोडर:** सरल रिप्रजेंटेशन से इनपुट का पुनर्निर्माण करने के लिए प्रशिक्षित एक कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क।



**जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स (GANs):** ये दो मशीन लर्निंग नेटवर्क का उपयोग करते हैं, अर्थात् जनरेटर और एडवर्सरी।



### विनियमन

- ➔ **भारत में विनियमन:** इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं हैं। हालांकि कुछ मौजूदा कानूनों के तहत सिविल और आपराधिक मामले दर्ज किए जा सकते हैं।
- ➔ **विश्व में कानून और नियम :**
  - ➔ **यूरोपीय संघ:** AI Act भरोसेमंद AI सिस्टम को बढ़ावा देता है।
  - ➔ **इटली:** संविधान और सिविल कोड, दोनों ही अनाधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित करते हैं।
  - ➔ **सितंबर 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 23 राज्यों** ने डीपफेक के विनियमन से संबंधित कानून बनाए हैं।

### डीपफेक के संभावित उपयोग

- मनोरंजन:** फिल्मों में क्लिपिंग इफेक्ट लाने के लिए
- ई-कॉमर्स:** ग्राहक कपड़ों को वर्चुअली आजमाकर पसंद कर सकते हैं
- संचार:** दूसरी भाषा में बोलने के लिए स्पीच सिंथेसिस का इस्तेमाल यानी टेक्स्ट को बोले जाने वाली भाषा में बदलना

### डीपफेक से जुड़ी चिंताएं

- ➔ **राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम:** राजनीतिक हिंसा, धृष्टि जांच, झूठी अफवाहें पैदा कर सकता है।
- ➔ **सार्वजनिक विश्वास का क्षरण:** फर्जी राजनीतिक सामग्री जनता को गुमराह कर सकती है।
- ➔ **पीड़ितों का नुकसान:** 90-95% डीपफेक में गैर-सहमति वाली पोर्नोग्राफी शामिल होती है।
- ➔ **साइबरबुलिंग:** अफवाहें फैलाना, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना।
- ➔ **पहचान की चोरी:** नकली आईडी बनाना, सुरक्षित प्रणालियों तक पहुंच।
- ➔ **लागत:** वीडियो का पता लगाने के लिए उच्च निवेश की आवश्यकता होती है।

### डीपफेक से निपटने की पहल

- ➔ **कानूनी ढांचा**
  - ➔ **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act), 2000:** AI-जनरेटेड टूल का उपयोग करके उत्पन्न कंटेंट पर भी लागू होता है।
  - ➔ **आईटी नियम, 2021:** ये नियम साइबर स्पेस पर उत्पन्न होते नए मामलों का समाधान करते हैं।
- ➔ **संस्थागत पहल**
  - ➔ **CERT-In:** डीपफेक से संबंधित सलाह जारी करता है; साइबर स्वच्छता केंद्र और CIRT-Fin के लिए शिकायत समितियों का नेतृत्व करता है।
  - ➔ **भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C):** यह साइबर-अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटता है।
  - ➔ **राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल:** इसके तहत एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू किया गया है।

### डीपफेक के मुद्दों से निपटने के लिए आगे की राह

- ➔ **नियम-कानून में सुधार करना:** AI से वास्तविक दुनिया के खतरों को देखते हुए प्रभावी एवं स्पष्ट कानून और नियम बनाने की आवश्यकता है।
- ➔ **संस्थाओं को मजबूत बनाना:** इनके लिए स्पष्ट सुरक्षा मानक तय करने की भी आवश्यकता है।
- ➔ **तकनीकी उन्नति:** डीपफेक का पता लगाने के लिए एल्गोरिदम, मेटाडेटा और MIT के टूलकिट जैसे उपकरणों का उपयोग करना।
- ➔ **सभी हितधारकों का सहयोग:** सभी हितधारकों से दिशा-निर्देश और सुझावों को शामिल करना चाहिए।



## 7.3. जीन एडिटिंग (Gene Editing)

### सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका की एक शोध टीम ने एक जानलेवा व लाइलाज आनुवंशिक बीमारी से पीड़ित एक शिशु के इलाज के लिए एक व्यक्तिपरक जीन एडिटिंग थेरेपी विकसित की है और इसे सफलतापूर्वक लागू किया है।

### अन्य संबंधित तथ्य

- शिशु को **काबामोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 1 (CPS-1) की कमी** नामक आनुवंशिक उपापचय संबंधी विकार (metabolic disorder) से पीड़ित पाया गया था।
- **CPS1 की कमी** से जहरीले **अमोनिया का जमाव** होता है, जो **मस्तिष्क और यकृत** को नुकसान पहुंचाता है।
- शोधकर्ताओं ने **जीन उत्परिवर्तन** को ठीक करने के लिए **CRISPR** का उपयोग किया।

### जीन एडिटिंग के बारे में

- जीन एडिटिंग DNA अनुक्रमों को **सम्मिलित करके, हटाकर, या बदलकर, या आवश्यकता के अनुरूप नए जीनों को जोड़कर** संशोधित करता है।
- कदम: प्रविष्टि, विलोपन और जीन के संशोधन।
- जीन एडिटिंग के प्रकार:
  - **सोमैटिक जीन एडिटिंग:** गैर-जनन कोशिकाओं जैसे- त्वचा, यकृत, गुर्दा की मांसपेशियों को बदलता है और ये बदलाव वंशानुगत नहीं होते हैं।
  - **जर्मलाइन जीन एडिटिंग:** जनन कोशिकाओं (जैसे- जर्मलाइन, युग्मक कोशिकाएं, भ्रूण) में बदलाव करता है और इसके प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं।

### जीन एडिटिंग के लिए प्रयुक्त तकनीकें

| विशेषता       | ZFNs (ज़िंक फिंगर न्यूक्लियेसिस)                                             | TALENs (ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर-लाइक इफेक्टर न्यूक्लियेसिस)           | CRISPR-Cas9                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| घटक           | ज़िंक फिंगर प्रोटीन (लक्ष्यीकरण) + FokI एंजाइम (कटिंग)                       | TALE प्रोटीन (लक्ष्यीकरण) + FokI एंजाइम (कटिंग)                        | गाइडिंग RNA अणु + Cas9 एंजाइम (कटिंग)                            |
| कार्य         | ज़िंक फिंगर प्रोटीन विशिष्ट DNA अनुक्रमों को बांधता है; FokI DNA को काटता है | TALE प्रोटीन विशिष्ट DNA अनुक्रमों को बांधते हैं; FokI DNA को काटता है | विशिष्ट DNA के अंशों को काटने के लिए RNA Cas9 का गाइड करता है    |
| उद्देश्य      | DNA के सटीक अंशों को काटता है                                                | DNA के सटीक अंशों को काटता है                                          | उच्च परिशुद्धता के साथ जीन में सम्मिलन, विलोपन या संशोधन करता है |
| मूल स्रोत     | ज़िंक फिंगर प्रोटीन                                                          | पौधों के जीवाणुओं से प्राप्त TALE प्रोटीन                              | वायरस के विरुद्ध जीवाणु प्रतिरक्षा प्रणाली                       |
| मुख्य विशेषता | "जीनोम एडिटिंग" न्यूक्लियेसिस में से पहला                                    | ZFN की तुलना में डिजाइन और प्रोग्राम करना आसान                         | तेज़, किफायती, अधिक सटीक तथा उपयोग में आसान                      |

### जीन एडिटिंग से जुड़ी चुनौतियां

- **नैतिक चिंताएँ**
  - **भ्रूण अनुसंधान में नैतिकता:** इसमें भ्रूणों में **बदलाव करना** आदि शामिल है, जिसे नैतिक रूप से गलत माना जाता है।
  - **सहमति का अभाव:** जर्मलाइन थेरेपी से भ्रूण और भावी पीढ़ियां प्रभावित होती हैं, जो स्वयं सहमति नहीं दे सकती हैं।
  - **न्याय और समानता:** इस बात की भी चिंता है कि जीनोम एडिटिंग केवल धनी व्यक्तियों के लिए ही **मुलभ** होगा। इससे स्वास्थ्य देखभाल संबंधी असमानताएं बढ़ सकती हैं।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ**
  - **सुरक्षा संबंधी मुद्दे:** ऑफ-टारगेट इफेक्ट्स और मोजेसिज्म (एक ही जीव में अलग-अलग आनुवंशिक रूप से अलग कोशिकाएं) शामिल हैं। इसलिए, नैदानिक प्रजनन उपयोग के लिए जर्मलाइन एडिटिंग अभी तक सुरक्षित नहीं है।
  - **विनियामक असंगतता:** जीन एडिटिंग पर अलग-अलग वैश्विक विनियमनों के कारण डिजाइनर बेबी जैसे विवादास्पद उपयोगों को बढ़ावा मिल सकता है।

## जीन एडिटिंग क्रांति



## चिकित्सा

## HIV उपचार

HIV प्रतिरोध के लिए ZFN तकनीक का इस्तेमाल करके शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं बदलाव

## कैंसर थेरेपी

बदली हुई प्रतिरक्षा कोशिकाएं 3 प्रकार के कैंसर पर हमला करती हैं

## सिकल सेल

ऑक्सीजन परिवहन उत्पत्ति को ठीक करता है

## दवा खोज

विकास की प्रक्रिया को गति देता है



## कृषि

## सूखा प्रतिरोधी धान

सूखा सहन करने वाली पूसा DST1 किस्म

## विटामिन A से युक्त केले

पोषक तत्वों से भरपूर केले

## सींग रहित मवेशी

डी-हॉर्निंग की पीड़ा को दूर करता है

## फलू-प्रतिरोधी कुक्कुट

डिकॉय अणु बर्ड फलू को रोकते हैं

## हाई-ओलेइक मूंगफली

उन्नत तेल गुणवत्ता वाली मूंगफली की किस्म



## सामग्री

## मकड़ी से रेशम

उत्पादन संशोधित रेशमकीट मजबूत रेशम बनाते हैं

## संधारणीय जैव ईंधन

अनुवांशिक रूप से संशोधित शैवाल प्रचुर लिपिड का उत्पादन करते हैं

## ड्रग डिलीवरी

लक्षित दवा के लिए शैवाल-जनित कण



## पर्यावरण

## बेहतर जैव ईंधन उत्पादन

सस्ते ईंधन के लिए सूक्ष्मजीवों को कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में सक्षम बनाता है

## कार्बन प्रदूषण में कमी

स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा विकल्प तैयार किए जा रहे हैं

## पर्यावरणीय परिवर्तनों पर

निगरानी बेहतर प्रदूषण निगरानी उपकरण बनाता है

## निष्कर्ष

जीन एडिटिंग तकनीकें लाइलाज आनुवंशिक बीमारियों के इलाज, कृषि में सुधार और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने की क्रांतिकारी क्षमता प्रदान करती हैं। हालांकि, इस लक्ष्य को साकार करने के लिए सुरक्षा, समानता और सहमति के इर्द-गिर्द नैतिक चिंताओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। विशेषकर जर्मलाइन एडिटिंग के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है, जो भविष्य की पीढ़ियों को प्रभावित करता है।

## 7.4. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

### 7.4.1. PSLV रॉकेट में तकनीकी खराबी के कारण इसरो का 101वां मिशन विफल हुआ (ISRO'S 101ST MISSION FAILS AS PSLV ROCKET SUFFERS MALFUNCTION)

“PSLV-C61/EOS-09” मिशन, PSLV रॉकेट के तीसरे चरण में तकनीकी खराबी के कारण विफल हो गया।

- ➔ यह इसरो का 63वां PSLV मिशन था; PSLV 1993 और 2017 के बाद केवल दो बार विफल हुआ है।

### PSLV-C61/EOS-09 मिशन के बारे में

- ➔ PSLV-C61 का उद्देश्य EOS-09 को सूर्य-तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा (SSPO) में स्थापित करना था।
  - ➔ इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था।
- ➔ लॉन्च: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया।
- ➔ EOS-09 पृथ्वी का पर्यवेक्षण करने वाला अत्याधुनिक सैटेलाइट है। यह C-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) तकनीक से युक्त है।
- ➔ उद्देश्य: इसका उद्देश्य अलग-अलग क्षेत्रों में उपयोग के लिए निरंतर और विश्वसनीय रिमोट सेंसिंग डेटा प्रदान करना है।
  - ➔ यह सैटेलाइट किसी भी मौसम में और दिन या रात में, पृथ्वी

की सतह की हाई-रिज़ॉल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है।

### PSLV के बारे में

- ➔ यह ISRO द्वारा विकसित भारत का थर्ड जनरेशन प्रक्षेपण यान है।
- ➔ यह चार चरणों वाला रॉकेट है, जिसमें तरल ईंधन चरण शामिल हैं।
- ➔ प्रदर्शन: इसकी लगातार सफलता के कारण इसे “ISRO का वर्कहॉर्स” कहा जाने लगा।
- ➔ यह LEO, भू-तुल्यकालिक कक्षा और भू-स्थिर कक्षा में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है।
- ➔ इसने चंद्रयान-1 (2008) और मंगलयान (2013) जैसे प्रमुख मिशनों को भी सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है।

### 7.4.2. विश्व स्वास्थ्य सभा (WHA) ने औपचारिक रूप से दुनिया का पहला ‘महामारी समझौता’ अपनाया {WORLD HEALTH ASSEMBLY (WHA) ADOPTED WORLD'S FIRST PANDEMIC AGREEMENT}

यह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत किया गया दूसरा अंतराष्ट्रीय कानूनी समझौता है। गौरतलब है कि पहला अंतराष्ट्रीय कानूनी समझौता WHO तम्बाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, 2003 है।

- ➔ अनुच्छेद 19 के अनुसार, WHA के पास दो-तिहाई मत के साथ अपनी क्षमता के भीतर किसी भी मामले पर अभिसमय/ समझौते को अपनाने का अधिकार है।

### इस समझौते के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ➔ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR), 2005 के अनुसार इसका उद्देश्य वैश्विक महामारी की रोकथाम और निगरानी को मजबूत करना।
- ➔ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क: अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान महामारी से निपटने से संबंधित स्वास्थ्य उत्पादों की सुलभता सुनिश्चित करना।
- ➔ संधारणीय वित्त-पोषण: IHR के अंतर्गत समन्वयकारी वित्तीय तंत्र का उपयोग इसके कार्यान्वयन के लिए किया जाएगा।
- ➔ पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग (PABS):
  - ➔ अंतर-सरकारी कार्य समूह (IGWG) का माध्यम मसौदा तैयार करना।
  - ➔ पैथोजन डेटा के त्वरित साझाकरण को कवर करता है
  - ➔ PABS में भाग लेने वाले दवा विनिर्माता WHO को अपने टीकों, उपचार और डायग्नोस्टिक किट के उत्पादन के 20% तक तुरंत पहुँच उपलब्ध कराएंगे।
- ➔ यह समझौता हस्ताक्षर और 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन के बाद लागू किया जाएगा।

### समझौते का महत्व

- ➔ वैश्विक एकजुटता: महामारी प्रतिक्रिया में अंतराल और असमानताओं को पाटता है।
- ➔ वन हेल्थ अप्रोच: मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को जोड़ता है।
- ➔ समग्र-सरकार और समाज: इसमें देशज और स्थानीय समुदायों के साथ समन्वय करना शामिल है।

### 7.4.3. विश्व की पहली 'पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट' जारी की गई (THE 1ST STATE OF THE WORLD'S ANIMAL HEALTH REPORT)

विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा जारी, इसका मुख्यालय पेरिस में है, इसकी स्थापना 1924 में हुई थी।

- ➔ यह रिपोर्ट बदलती हुई दुनिया में पशु स्वास्थ्य का पहला वैश्विक अवलोकन प्रदान करती है।

### रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ➔ रोग पैटर्न में बदलाव: अब संक्रामक पशु रोग नए भौगोलिक क्षेत्रों में फैल रहे हैं। इनमें से लगभग 47% रोग ऐसे हैं, जो पशुओं से इंसानों में फैल सकते हैं। इन्हें जूनोटिक यानी पशुजन्य रोग कहा जाता है।
- ➔ रोग की बढ़ती तीव्रता: अफ्रीकी स्वाइन फीवर, एवियन इन्फ्लूएंजा और खुरपका-मुंहपका जैसी बीमारियों की आवृत्ति एवं तीव्रता बढ़ रही है।

- ➔ रोगों के वाहक: जलवायु परिवर्तन और वैश्विक व्यापार।
- ➔ एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोध (AMR): 2050 तक, 2 बिलियन लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा को खतरा हो सकता है, जिससे \$100 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है।

### सिफारिशें

- ➔ बेहतर स्वच्छता और जैव सुरक्षा उपायों जैसे अन्य नियंत्रण उपायों के साथ-साथ सुरक्षित व प्रभावी टीकों की सामान उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।
- ➔ राष्ट्रीय पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने, वैश्विक एवं क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय बढ़ाने, रोग निगरानी प्रणाली में सुधार आदि के लिए निवेश को बढ़ावा देना चाहिए।

### 7.4.4. ट्रेकोमा (TRACHOMA)

WHO ने भारत को ट्रेकोमा को लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त करने के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

- ➔ दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में भारत तीसरा देश बन गया है, जिसने ट्रेकोमा का उन्मूलन किया है। अन्य दो देश नेपाल और म्यांमार हैं।

### ट्रेकोमा के बारे में

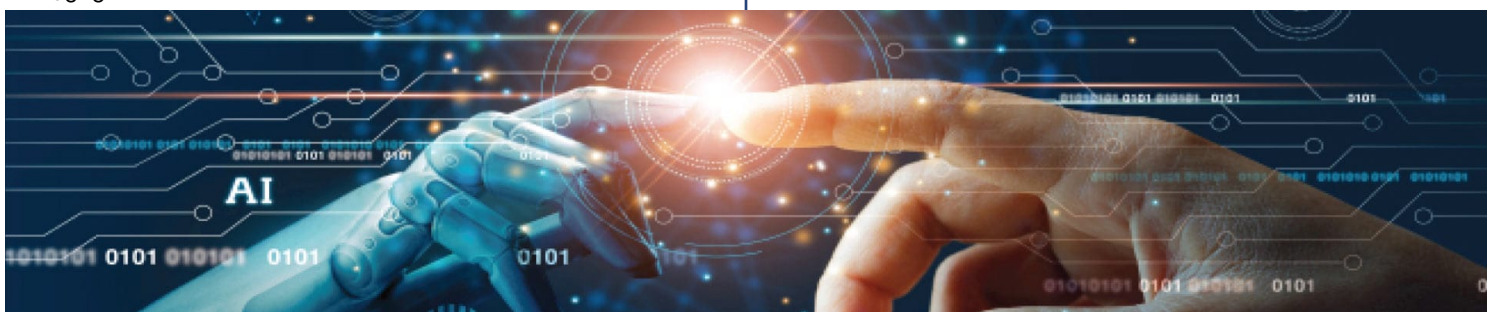
- ➔ कारण: यह क्लैमाइडिया ट्रेकोमेटिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला नेत्र रोग है।
- ➔ प्रभाव: कॉर्नियल क्षति के कारण आजीवन दृष्टिहीनता हो सकता है।
- ➔ संक्रमण का माध्यम: यह रोग संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या मक्खियों के माध्यम से फैलता है।

### 7.4.5. तरल कार्बन (LIQUID CARBON)

वैज्ञानिकों ने पहली बार इन-सीट एक्स-रे विवर्तन का उपयोग करके तरल कार्बन की संरचना का अध्ययन किया।

### तरल कार्बन के बारे में

- ➔ अब तक तरल अवस्था में कार्बन के बारे में बहुत कम जानकारी थी, क्योंकि इस रूप में इसका प्रयोगशाला में अध्ययन करना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव था।
  - ➔ सामान्य दबाव में कार्बन द्रवित नहीं होता है, बल्कि तुरंत गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
  - ➔ यह 4,500°C के आसपास और बहुत उच्च दबाव की स्थिति में तरल अवस्था में तब्दील होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी कंटेनर टिक नहीं सकता है।
- ➔ उदाहरण के लिए- इसे ग्रहों के आंतरिक भाग में पाया जा सकता है।
- ➔ यह परमाणु संलयन जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।





# Lakshya

MAINS MENTORING PROGRAM 2025

## 30 Days Expert Intervention

A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program  
for UPSC Prelims Examination

**15 JULY 2025**



Highly experienced and qualified team of Mentors for continuous support and guidance



A structured plan of revision for GS Prelims, CSAT, and Current Affairs



Effective Utilization of learning resources, including PYQs, Quick Revision Modules (QRMs), and PT-365

# Lakshya

PRELIMS & MAINS INTEGRATED MENTORING PROGRAM

## Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Program 2026

(A Strategic Revision, Practice, and Mentoring Program  
for UPSC Prelims and Mains Examination 2026)

VisionIAS introduces the Lakshya Prelims & Mains Integrated Mentoring Programme 2026, offering unified guidance for UPSC aspirants across both stages, ensuring comprehensive support and strategic preparation for success

**2026**

**13 MONTHS**

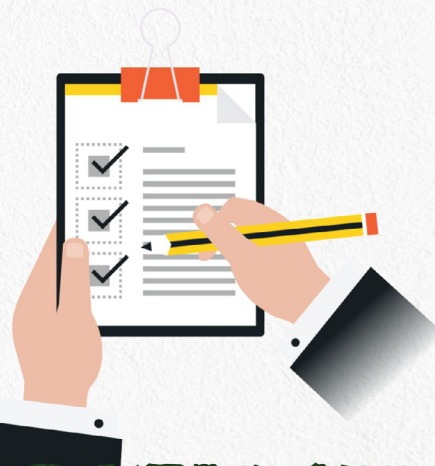
**31 JULY**

### Highlights of the Program

- Coverage of the entire UPSC Prelims and Mains Syllabus
- Development of Advanced answer writing skills
- Highly experienced and qualified team of senior mentors
- Special emphasis to Essay & Ethics

## ऑप्शनल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज

- ✓ भूगोल
- ✓ समाजशास्त्र
- ✓ दर्शनशास्त्र
- ✓ हिंदी साहित्य
- ✓ राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध



**2025**

ENGLISH MEDIUM  
**27 JULY**

हिन्दी माध्यम  
**27 जुलाई**

**2026**

ENGLISH MEDIUM  
**27 JULY**

हिन्दी माध्यम  
**27 जुलाई**



## 8.1. सुश्रुत और चरक (Sushruta and Charaka)

### सुश्रुतियों में क्यों

हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने महान चिकित्सकों चरक और सुश्रुत की प्रतिमाओं का अनावरण किया। तथा इनके जीवन और योगदान का भी उल्लेख किया।

### सुश्रुत के बारे में

- उनका जन्म प्राचीन नगरी काशी में लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ।
- धन्वंतरि के गुरुकुल में दिवोदास के शिष्य रहे।

### महत्वपूर्ण योगदान:

- सुश्रुत संहिता की रचना: इसे दो खण्डों- मूल भाग (तंत्र) पूर्वाह्न और उत्तरतंत्र में विभाजित किया जाता है। यह आयुर्वेदिक चिकित्सा की महान त्रयी यानी तीन महान ग्रंथों में से एक है।
- सुश्रुत "शल्य चिकित्सा के जनक" माने जाते हैं: सुश्रुत संहिता में आठ प्रकार की शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है।
- मृत शरीर (शव) का इस्तेमाल कर मानव शरीर रचना विज्ञान (ह्यूमन एनाटोमी) का अध्ययन करने वाले प्रथम अध्ययनकर्ताओं में से एक थे।
- "प्लास्टिक सर्जरी के जनक": प्रारंभिक पुनर्निर्माण तकनीकों का आविष्कार किया।
- चिकित्सकीय नैतिकता: बनारस विश्वविद्यालय में मूल नियम स्थापित किए।

### चरक के बारे में:

- वे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और दूसरी शताब्दी ईसवी के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में रहते थे।
- वे कुषाण साम्राज्य के राजवैद्य थे। उन्हें "भारतीय चिकित्सा का जनक" माना जाता है।

### महत्वपूर्ण योगदान:

- चरक संहिता की रचना:
  - अग्निवेश तंत्र पर आधारित स्रोत।
  - आठ भागों में विभाजित ग्रंथ।
  - औषधीय पादपों तथा चिकित्सीय गुणों का वर्णन करने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सा के मूल ग्रंथों में से एक।
- आधुनिक चिकित्सा विज्ञान पर प्रभाव
  - त्रिदोष सिद्धांत का परिचय दिया।
  - आयुर्वेदिक औषधियों का उल्लेख किया, जो आज भी रोगों के इलाज में उपयोगी है।
  - शरीर और आत्मा दोनों के लिए योग की उपयोगिता पर बल दिया।





## 8.2. संक्षिप्त सुर्खियां (NEWS IN SHORTS)

### 8.2.1. करणी माता मंदिर (KARNI MATA TEMPLE)

प्रधान मंत्री ने राजस्थान स्थित करणी माता मंदिर की यात्रा की।

#### करणी माता मंदिर के बारे में

- यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है।
- यह करणी माता को समर्पित है, जिन्हें मां दुर्गा का अवतार माना जाता है।
- इस मंदिर का निर्माण राव जैतसी ने बीकानेर के राजा की मुगल शासक कामरान पर विजय की याद में करवाया था।
- यह मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है।
- यह दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां हज़ारों चूहे खुलेआम घूमते हैं; इसके बावजूद यहां कभी प्लेग नहीं फैला।

### 8.2.2. वीरता पुरस्कार (Gallantry Awards)

राष्ट्रपति ने सशस्त्र बल, CAPF और राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र पुलिस बल के कार्मिकों को कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र प्रदान किए।

#### वीरता पुरस्कारों के बारे में

- युद्धकालीन पुरस्कार: इसमें परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र शामिल हैं, जिनकी शुरुआत 1950 से हुई थी।
- शांतिकालीन पुरस्कार: इसमें अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र शामिल हैं।
- ये पुरस्कार वर्ष में दो बार घोषित किए जाते हैं।
- पुरस्कार मरणोपरांत भी दिए जा सकते हैं।

### 8.2.3. मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार (MAJOR DHYAN CHAND KHEL RATNA AWARD)

सात्विकसाईंराज रंकीरेड्डी और चिराग शेटी को 2023 में रैंकिंग में नंबर 1 रैंक और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया।

### पुरस्कार के बारे में

- नोडल मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय
- यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान माना है।
- उत्पत्ति: यह पुरस्कार 1991-92 में स्थापित हुआ था; 2021 में इसका नाम बदल दिया गया।
- पिछले 4 वर्षों में किए गए सर्वश्रेष्ठ अंतराष्ट्रीय प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए दिया जाता है।
- पुरस्कार में शामिल: 25 लाख रुपये नकद पुरस्कार, पदक और सम्मान प्रमाण पत्र।

### 8.2.4. पुलित्जर पुरस्कार (PULITZER PRIZE)

2024 में पत्रकारिता के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स ने चार पुलित्जर पुरस्कार और द न्यू यॉर्कर ने तीन पुरस्कार जीते।

#### पुलित्जर पुरस्कार के बारे में

- यह पुरस्कारों का एक प्रतिष्ठित समूह है, जिसे 1917 से हर साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है।
- इसकी शुरुआत जोसेफ पुलित्जर द्वारा की गई थी।
- यह पत्रकारिता, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है।

### 8.2.5. मीटर कन्वेंशन (METRE CONVENTION)

उपभोक्ता कार्य विभाग ने मीटर कन्वेंशन की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विश्व मेट्रोलाजी दिवस 2025 का आयोजन किया।

#### मीटर कन्वेंशन के बारे में

- उद्भव: 1875 में हस्ताक्षरित; 1921 में संशोधित किया गया।
- उद्देश्य: मीट्रिक प्रणाली का अंतराष्ट्रीय एकीकरण सुनिश्चित करना।
- स्थापना: पूरे विश्व की मानक मापन प्रणाली के विकास के लिए BIPM को बढ़ावा देता है।
- सदस्य देश: 64 सदस्य देश और 37 एसोसिएट राष्ट्र अंतराष्ट्रीय मेट्रोलाजी सहयोग से जुड़े हैं। (भारत सहित)





# नीतिशास्त्र (ETHICS)



## 9.1. गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार (Right to Die with Dignity)

### परिचय

हाल ही में, जैन समुदाय की एक 3 वर्षीय बच्ची की संथारा (मृत्यु तक उपवास) की प्रथा के जरिए मृत्यु हो गई। वह बच्ची टर्मिनल ब्रेन ट्यूमर की समस्या से जूझ रही थी। इस घटना को लेकर विवेक से निर्णय (Informed decision) पर चर्चा शुरू हो गई है।

इसके अतिरिक्त, फ्रांस ने एक विधेयक पारित किया है, जो असहनीय रोगों से पीड़ित वयस्कों को चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु (Assisted dying) चुनने की अनुमति देता है। ये घटनाक्रम गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के सिद्धांतों को उजागर करते हैं।

### गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार के बारे में

- ➔ अर्थ: गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति लंबे समय तक दर्द और पीड़ा से बचने के लिए जीवन के अंतिम क्षणों के बारे में निर्णय ले सकते हैं।
  - ➔ इच्छामृत्यु या यूथेनेशिया (अर्थात, "सम्मानजनक मृत्यु") गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान करने का एक अनिवार्य साधन है। यह दो प्रकार की होती है:
    - ♦ सक्रिय यूथेनेशिया (Active): जानलेवा दवा देना - भारत में गैर-कानूनी है।
    - ♦ निष्क्रिय यूथेनेशिया (Passive): जीवन रक्षक प्रणाली से हटाना - भारत में वैध है।
- ➔ भारत में स्थिति:
  - ➔ 2011 - अरुणा शानबाग मामला: निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति है।
  - ➔ 2018 - कॉमन कॉज केस: अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार, वैध निष्क्रिय इच्छामृत्यु और लिविंग विल शामिल हैं।

### प्रमुख हितधारक और संबंधित नैतिक मुद्दे

|                                                              |                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गंभीर रोग से ग्रसित मरीज और उनका परिवार                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ मरीज: असहनीय शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक और वित्तीय संकट सहते हैं।</li> <li>➔ परिवार: दुःख से संघर्ष और पीड़ा को कम करने की इच्छा।</li> </ul> |
| स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (डॉक्टर, नर्स, प्रशामक देखभाल पेशेवर) | ➔ दुखों को कम करने के लिए हिप्पोक्रेटिक शपथ से बंधे हुए हैं, लेकिन स्वायत्तता और जीवन को संरक्षित करने के बीच नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं।                                     |
| विधि और नीति निर्माता                                        | ➔ अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए और सम्मान के साथ मृत्यु के अधिकार के दुरुपयोग को रोकना चाहिए।                                                                                        |
| समाज                                                         | ➔ व्यक्तिगत स्वायत्तता और गरिमा पर बढ़ते जोर के साथ जीवन की पवित्रता को संतुलित करता है।                                                                                            |

### गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार में शामिल नैतिक दुविधाएं

- ➔ जीवन की गुणवत्ता बनाम जीवन की पवित्रता: यदि असहनीय पीड़ा या गरिमा की हानि जीवन पर हावी हो जाए, तो क्या केवल जीवित रहना अर्थपूर्ण है?
- ➔ संवैधानिक नैतिकता बनाम स्वायत्तता का सम्मान: क्या किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत इच्छा कानूनी और नैतिक सीमाओं से ऊपर होनी चाहिए?
- ➔ उपशामक देखभाल (Palliative Care) बनाम न्याय: क्या जब देखभाल प्रणाली विफल हो जाती है, तब गरिमापूर्ण इच्छामृत्यु की अनुमति दी जानी चाहिए?
- ➔ गैर-हानिकारक सिद्धांत बनाम दोहरे प्रभाव का सिद्धांत: क्या डॉक्टरों द्वारा दर्द से राहत प्रदान की जानी चाहिए, भले ही इससे जीवन काल छोटा हो जाए?

| पक्ष में तर्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | विपक्ष में तर्क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>जीवन की गुणवत्ता: जीवित रहने से कहीं बढ़कर है- इसमें कल्याण और संबंध भी शामिल हैं।</li> <li>स्वायत्तता का सम्मान: व्यक्तियों को अपने जीवन के अंतिम निर्णय स्वयं लेने चाहिए।             <ul style="list-style-type: none"> <li>उदाहरणार्थ, भीष्म की इक्षा मृत्यु, सुकरात की मृत्यु का विकल्प।</li> </ul> </li> <li>दोहरे प्रभाव का सिद्धांत: डॉक्टर कई बार दर्द से राहत देने के इरादे से दवाएं लिखते हैं, यह जानते हुए भी कि दवाएं रोगी के जीवन को छोटा कर देंगी।</li> <li>न्याय: जब देखभाल विफल हो जाती है, तो निरंतर उपचार हानिकारक और बोझिल हो सकता है।</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>जीवन की पवित्रता: जीवन का आंतरिक मूल्य है।             <ul style="list-style-type: none"> <li>उदाहरणार्थ, बौद्ध धर्म में अहिंसा।</li> </ul> </li> <li>संवैधानिक नैतिकता: धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 द्वारा सीमित है।</li> <li>उपशामक देखभाल: विकसित हो रही चिकित्सा, इच्छामृत्यु के बिना भी पीड़ा का प्रबंधन कर सकती है।</li> <li>अहिंसा: डॉक्टरों को "कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए" (हिप्पोक्रेटिक शपथ)।</li> <li>काण्टीय दृष्टिकोण: जीवन समाप्त करना नैतिक कर्तव्य का उल्लंघन है।</li> <li>संभावित दुरुपयोग: नाबालिगों या दबाव के कारण स्वायत्तता का दुरुपयोग हो सकता है।</li> </ul> |

## गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह

- विस्तृत संवाद स्थापित करना: निरंतर रोगी-केंद्रित संवाद।
- प्रभावी विनियमन: इच्छामृत्यु की प्रक्रिया केवल अस्पताल सेटिंग्स में कम-से-कम 2 चिकित्सकों के प्रमाणन के बाद ही पूरी की जा सके।
- दुरुपयोग को रोकना: एक पूर्ण मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, परामर्श, प्रतीक्षा अवधि होनी चाहिए।
- देखभाल एक नैतिक दृष्टिकोण: विशेष रूप से नाबालिगों और मानसिक रूप से कमजोर रोगियों के मामलों में सहानुभूति और करुणा पर आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

## निष्कर्ष

आधुनिक चिकित्सा लोगों के जीवन को लंबा बना सकती है, लेकिन यह पीड़ा को हमेशा समाप्त नहीं कर सकती है। जब दर्द असहनीय हो जाता है, तो गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार विचारणीय हो जाता है।

## 9.2. व्यावसायिक छंटनी की नैतिकता (Ethics of Business Downsizing)

### परिचय

माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न और IBM जैसी कंपनियों ने AI-संचालित पुनर्गठन, स्वचालन और प्रबंधन पुनर्गठन के कारण लगभग 60,000 कर्मचारियों की छंटनी की है। उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से, इस तरह की छंटनी कर्मचारियों और समाज के लिए गंभीर नैतिक चिंताएँ पैदा करती है।

### व्यावसायिक नैतिकता के बारे में

- अर्थ: आधुनिक कॉर्पोरेट संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आयाम, जो व्यक्तियों, कंपनियों और व्यावसायिक उद्यमों का मार्गदर्शन करता है।
- विशेषताएँ: विश्वास निर्माण, न्यायसंगत प्रतिस्पर्धा, सत्यनिष्ठा, वैधता, कॉर्पोरेट प्रशासन पर आधारित।
- प्रकृति: कानूनी अनुपालन से कहीं अधिक; नैतिक मूल्यों और सामाजिक कल्याण में निहित।
  - यह सद्गुण नीतिशास्त्र (Virtue Ethics) के तत्वों द्वारा निर्देशित होती है। सद्गुण नीतिशास्त्र के तत्व ऐसे सकारात्मक लक्षण हैं, जो व्यक्तियों के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, इन्फोसिस ने नैतिक मार्गदर्शन हेतु आचार संहिता और नैतिकता को लागू किया है।

| विभिन्न हितधारकों के प्रति व्यवसाय की जिम्मेदारी |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कर्मचारी                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>नैतिक मूल्यों और एक मजबूत नैतिक संस्कृति का निर्माण करता है।                     <ul style="list-style-type: none"> <li>उदाहरण के लिए, हिल्टन को नैतिक प्रथाओं के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क (2024) में शीर्ष स्थान दिया गया।</li> </ul> </li> </ul>                                                |
| उपभोक्ताओं                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>अनुचित या भ्रामक प्रथाओं में शामिल होने से रोकता है।                     <ul style="list-style-type: none"> <li>उदाहरण के लिए, एप्पल का एडवांस्ड डेटा प्रोटेक्शन (ADP) एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सुनिश्चित करता है।</li> </ul> </li> </ul>                                                          |
| समाज                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>न्यायसंगत और ईमानदार प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।                     <ul style="list-style-type: none"> <li>उदाहरण के लिए, रतन टाटा: "व्यवसायों को केवल अपनी कंपनियों के हितों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन समुदायों की सेवा भी करनी चाहिए जिनसे वे जुड़े हैं।"</li> </ul> </li> </ul> |

## व्यावसायिक छंटनी में शामिल नैतिक दुविधाएं

- **उपयोगितावाद बनाम कांटीय पूंजीवाद:** कर्मचारियों की संख्या में कटौती से बहुसंख्यकों (उपयोगितावादी) को लाभ होता है, लेकिन कांट कर्मचारियों को एक साधन के रूप में उपयोग करने को अस्वीकार करते हैं।
- **व्यक्तिवाद बनाम CSR:** लाभ को अधिकतम करना छंटनी को उचित (व्यक्तिवादी दृष्टिकोण) ठहराता है, लेकिन CSR के सिद्धांत से टकराता है, जो कर्मचारी कल्याण को महत्व देता है।
- **कर्तव्यनिष्ठ बनाम परिणामवादी दृष्टिकोण:** कर्तव्यनिष्ठ नैतिकता नैतिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता देती है, जबकि परिणामवाद केवल परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **नैतिक सापेक्षवाद बनाम न्याय:** सापेक्षवाद विभिन्न मानदंडों की अनुमति देता है, लेकिन न्याय हेतु सभी के लिए निष्पक्षता की आवश्यकता होती है।

## व्यावसायिक छंटनी से निपटने के लिए आगे की राह

- **अंतिम उपाय:** छंटनी से पहले विकल्पों पर विचार करें - लागत में कटौती करें, भर्ती पर रोक लगाएं, व्यापक प्रभावों का आकलन करें।
- **स्वैच्छिक छंटनी:** आकर्षक सेवा निवृत्ति पैकेज या नई करियर का विकल्प देकर स्वैच्छिक रूप से छंटनी।
- **व्यावसायिक नैतिकता:** सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, पारदर्शिता, करुणा आदि जैसे नैतिक मूल्यों को आत्मसात करना। उदाहरण के लिए, स्टारबक्स ने अंशकालिक कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा की पेशकश की (1988)।
- **त्वरित प्रतिभा रणनीति:** करियर विकास और निरंतर सीखने की संस्कृति में निवेश करना। उदाहरण के लिए, एजुकेशन ऐज़ ए बेनिफिट प्रोग्राम।
- **छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों की सहायता करना:** नेटवर्क आदि का लाभ उठाकर छंटनी किए गए कर्मचारियों को नया सार्थक रोजगार खोजने में सक्रिय रूप से मदद करना। नोकिया के ब्रिज कार्यक्रम ने 2014 में छंटनी किए गए अपने 60% कर्मचारियों की मदद की।

## निष्कर्ष

कर्मचारियों की संख्या में कटौती अंतिम विकल्प होना चाहिए, उसके बाद कौशल उन्नयन और नैतिक कार्यबल प्रबंधन होना चाहिए। निरंतर जुड़ाव और सामाजिककरण के माध्यम से अच्छे व्यावसायिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए।

**एथिक्स से संबंधित फाउंडेशन से लेकर एडवांस स्तर तक की केस स्टडी को डल करने की समग्र विकसित करने में अभ्यर्थियों को सक्षम बनाने हेतु वैचारिक स्पष्टता पर जोर दिया जाएगा।**

**केस स्टडीज में समकालीन और वर्तमान मुद्दों के साथ-साथ विगत वर्षों में UPSC पेपर IV में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को शामिल किया गया है।**

**अधिक अंक दिलाने वाली उत्तर लिखने की विभिन्न तकनीकों पर चर्चा की जाएगी।**

**वन-टू-वन मेंटoring सेशन**

Available in English & हिन्दी

# एथिक्स

## केस स्टडीज मॉड्यूल

### प्रवेश प्रारंभ

**समसामयिक मुद्दों पर फोकस किया जाएगा तथा केस स्टडीज को वर्तमान में सुर्खियों में रहे टॉपिक्स के साथ जोड़कर पढ़ाया जाएगा।**

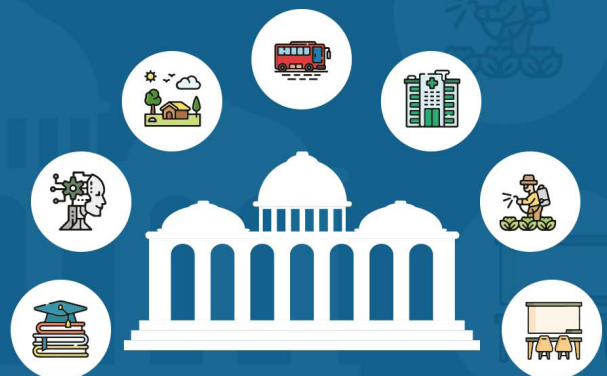
**आपकी तैयारी के दौरान एथिक्स के पेपर के लिए नियमित तौर पर शंका समाधान सत्र और व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।**

**डेली ब्लास असाइनमेंट**

**अपडेटेड स्टडी मटेरियल**



# सुखियों में रही योजनाएं



## 10.1. अटल पेंशन योजना (ATAL PENSION YOJANA)

### सुखियों में क्यों?

अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत के 10 वर्ष पूरे हुए।

### विशेषताएँ

- ➔ मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय
- ➔ शुरुआत: वर्ष 2015 में
- ➔ कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA)
- ➔ योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- ➔ पात्रता: 18-40 वर्ष की आयु के बैंक खाताधारक, आयकर दाता नहीं; परिवार के सभी पात्र सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं।
- ➔ उद्देश्य: सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक बचत को प्रोत्साहित करना तथा विशेष रूप से गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
- ➔ लाभ: 60 वर्ष की आयु से मृत्यु होने तक ₹1,000 से ₹5,000 के बीच आजीवन पेंशन का प्रावधान; मृत्यु की स्थिति में जीवनसाथी/ नामित व्यक्ति को पारिवारिक पेंशन
- ➔ भुगतान: आयु और पेंशन राशि के आधार पर मासिक/ तिमाही/ अर्धवार्षिक अंशदान
- ➔ निकासी: 60 वर्ष की आयु में (पूर्ण पेंशन); 60 वर्ष से पहले (केवल मृत्यु/ बीमारी की स्थिति में); सीमित लाभों के साथ स्वैच्छिक निकासी।
- ➔ सह-अंशदान: सरकार ने शुरुआती सदस्यों के लिए सह-सह-अंशदान दिया (2015-2016)
- ➔ उपलब्धियाँ: अप्रैल 2025 तक 7.66+ करोड़ सब्सक्राइबर; लगभग 47% महिलाएं

## 10.2. प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA)

### सुखियों में क्यों?

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत के 10 साल पूरे हुए।

### विशेषताएँ

- ➔ मंत्रालय: केंद्रीय वित्त मंत्रालय
- ➔ योजना का प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- ➔ प्रकृति: जीवन बीमा योजना (55 वर्ष की आयु तक जीवन बीमा कवर)
- ➔ उद्देश्य: किसी भी कारण से मृत्यु होने पर जीवन बीमा कवरेज प्रदान करती है।
- ➔ प्रीमियम: ₹436/वर्ष; एक किस्त में स्वतः डेबिट
- ➔ शर्तें: बैंक/ डाकघर खाता, ऑटो-डेबिट के लिए सहमति; प्रति व्यक्ति केवल एक खाता
- ➔ पात्रता: सभी 18-50 वर्ष आयु वर्ग के लिए, जिसमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं।
- ➔ किसी मेडिकल परीक्षा की आवश्यकता नहीं।
- ➔ मृत्यु के सभी प्रकार के कारणों को कवर (दुर्घटनाओं को पहले दिन से कवर किया जाता है) करती है।

- ➔ मध्य-वर्ष नामांकन के लिए आनुपातिक प्रीमियम (प्रो-राटा प्रीमियम)
- ➔ कवरेज: ₹2 लाख, प्रतिवर्ष नवीकरणीय
- ➔ कार्यान्वयन एजेंसी: LIC और साझेदार बीमा कंपनियां
- ➔ प्रभाव: 23 करोड़ से अधिक नामांकित; 9 लाख दावे; 53% महिलाएं, 74% ग्रामीण लाभार्थी

### 10.3. प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana)

#### मुख्तियों में क्यों?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना को 10 वर्ष पूरे हुए।

#### विशेषताएँ

- ➔ मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
- ➔ प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- ➔ उद्देश्य: दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु और दिव्यांगता के लिए कवरेज प्रदान करने वाली दुर्घटना बीमा योजना।
- ➔ पात्रता: 18-70 वर्ष की आयु के नागरिक (NRI सहित)
- ➔ प्रीमियम: ₹20/वर्ष, स्वचालित रूप से डेबिट किया जाएगा
- ➔ नामांकन अवधि: 1 जून से 31 मई (1-वर्षीय कवर)
- ➔ कार्यान्वयन एजेंसी: सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल बीमा कंपनियाँ और सहभागी बैंकों के माध्यम से अन्य।
- ➔ शर्तें: बैंक/ डाकघर खाता और ऑटो-डेबिट की सहमति।
- ➔ कवरेज: आकस्मिक मृत्यु/ पूर्ण दिव्यांगता के लिए ₹2 लाख; आंशिक विकलांगता के लिए ₹1 लाख
- ➔ विशेषताएँ: प्राकृतिक आपदाओं को कवर करता है; पुनः जुड़ने की अनुमति; जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से डिजिटल नामांकन।
- ➔ प्रभाव: 44+ करोड़ नामांकित; 50.16% महिलाएं, 72.24% ग्रामीण लाभार्थी।

### 10.4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के उन्नयन के लिए राष्ट्रीय योजना {National Scheme for Upgradation of Industrial Training Institutes (ITIs)}

#### मुख्तियों में क्यों?

हाल ही में, कैबिनेट ने "ITIs के उन्नयन और कौशल विकास हेतु पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय योजना" को मंजूरी दी। इस योजना को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाएगा।

#### विशेषताएँ

- ➔ मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- ➔ प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना
- ➔ उद्देश्य: कुशल कार्यबल की बढ़ती मांग को पूरा करना।
- ➔ वित्तपोषण: पांच वर्षों में ₹60,000 करोड़ (केंद्र: ₹30,000 करोड़, राज्य: ₹20,000 करोड़, उद्योग: ₹10,000 करोड़); केंद्रीय हिस्से का 50% ADB और विश्व बैंक द्वारा सह-वित्तपोषित।
- ➔ ITI का पुनरुद्धार: हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत 1,000 सरकारी ITI को उन्नत करना तथा पांच NSTIs (भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर, लुधियाना) को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए उन्नत करना।
- ➔ उद्योग सहयोग: पाठ्यक्रम, बुनियादी ढांचे और प्रबंधन के लिए उद्योग-नेतृत्व वाली SPV मॉडल।
- ➔ वित्तीय लचीलापन: व्यापार-विशिष्ट और बुनियादी ढांचे की जरूरतों के लिए आवश्यकता-आधारित निवेश।
- ➔ कौशल-उद्योग के अनुरूप: स्थानीय कार्यबल की उपलब्धता और उद्योगों की मांग के बीच तालमेल बनाना, ताकि MSMEs को लाभ हो।
- ➔ प्रशिक्षक फोकस: उन्नत NSTIs में TOT प्रोग्राम के माध्यम से गुणवत्ता में वृद्धि।
- ➔ विजन: यह समावेशी विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए विकसित भारत 2047 का समर्थन करता है।

ITIs के बारे में: राज्य सरकारों के अधीन संचालित; 1950 से व्यावसायिक शिक्षा की नींव।  
उत्कृष्टता केंद्र: प्रशिक्षण, अनुसंधान और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए क्षेत्रक-विशिष्ट केंद्र।

## 10.5. स्टार्ट-अप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) {Credit Guarantee Scheme for Startups (CGSS)}

### सुझियों में क्यों?

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टार्ट-अप्स के लिए पूंजी जुटाने को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रेडिट गारंटी योजना (CGSS) के विस्तार को अधिसूचित किया है।

### प्रमुख विशेषताएँ

- ➔ नोडल मंत्रालय: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
- ➔ उद्देश्य:
  - ➔ उद्देश्य: पात्र स्टार्ट-अप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना।
  - ➔ स्टार्ट-अप्स को बिना किसी जमानत के ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।
- ➔ प्रक्रिया: उन सदस्य संस्थानों (MIs) को गारंटी कवर प्रदान करती है जो स्टार्ट-अप्स को ऋण देते हैं।
- ➔ गारंटी सीमा: प्रति उधारकर्ता अधिकतम ₹20 करोड़; अन्य गारंटी योजनाओं के साथ कोई ओवरलैप नहीं; आंशिक रूप से सुरक्षित ऋणों के असुरक्षित हिस्से को कवर करता है।
- ➔ साधन: उद्यम ऋण, कार्यशील पूंजी, अधीनस्थ/ मेजेनाइन ऋण, डिबेंचर, परिवर्तनीय ऋण और अन्य ऋण दायित्व।

### पात्रता मानदंड

#### S स्टार्ट-अप पात्रता

- ✓ उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) से मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स
- ✓ डिफॉल्ट की स्थिति में नहीं कोई NPA नहीं होना
- ✓ MI प्रमाणित सदस्य संस्थान प्रमाणन

#### L ऋण देने वाले संस्थान (MIs)

- B अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं
- N NBFCs (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ)
  - ⊗ रेटिंग: BBB और उससे ऊपर (RBI मान्यता प्राप्त एजेंसियाँ)
  - ⊗ न्यूनतम नेटवर्थ: ₹100 करोड़
- A वैकल्पिक निवेश निधि SEBI के पास पंजीकृत

## 10.6. शक्ति/ SHAKTI (भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन व आवंटन करने की योजना) नीति {SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) Policy}

### सुझियों में क्यों?

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विद्युत क्षेत्र को कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति नीति को मंजूरी दे दी है।

### शक्ति पॉलिसी की विशेषताएं:

- ➔ वर्ष 2017 में शुरुआत
- ➔ मंत्रालय: कोयला मंत्रालय
- ➔ कार्यान्वयनकर्ता: CIL और SCCL
- ➔ ईंधन आपूर्ति समझौते (FSA) के अंतर्गत 2007 की NCDP कोयला लिंकेज प्रणाली की जगह लेती है।
- ➔ LoA-आधारित से नीलामी/ टैरिफ-आधारित बोली तंत्र में बदलाव।
- ➔ उद्देश्य
  - ➔ निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित करना
  - ➔ सस्ता घरेलू कोयला उपलब्ध कराकर उत्पादन लागत कम करना
  - ➔ अंतिम उपभोक्ताओं को लाभ
  - ➔ आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू कोयला उद्योग को मजबूत करना
- ➔ सरलीकृत ढाँचा: 8 पूर्ववर्ती श्रेणियों को 2 में समेकित करता है:
  - ➔ विंडो-I: सरकारी स्वामित्व वाले विद्युत संयंत्रों के लिए अधिसूचित मूल्यों पर लिंकेज।
  - ➔ विंडो-II: सभी ताप विद्युत उत्पादकों के लिए नीलामी-आधारित आवंटन
- ➔ कोई अनिवार्य PPAs नहीं: विंडो-II के तहत बिजली बिक्री में लचीलापन प्रदान करता है।
- ➔ मांग आधारित खरीद: आवश्यकता के आधार पर 1 से 25 वर्षों के लिए कोयला आवंटन।
- ➔ 'पिटहेड' विद्युत संयंत्रों को प्राथमिकता: कोयला स्रोतों के निकट संयंत्रों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- ➔ आयात प्रतिस्थापन एवं लिंकेज का युक्तिकरण: कोयला लागत और रेल भार को कम करता है।
- ➔ अधिशेष बिजली की बिक्री एवं FSA लचीलापन: दक्षता एवं बाजार पहुंच को बढ़ाता है।
- ➔ प्रमुख लाभार्थी: बिजली कंपनियाँ, उपभोक्ता, कोयला क्षेत्र, बैंक, राज्य और रेलवे।





| टॉपिक्स                                | प्रमुख तथ्य/ डेटा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जातिगत-जनगणना                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>जनगणना- संवैधानिक रूप से अनिवार्य (संघ सूची)</li> <li>वैधानिक प्रावधान- जनगणना अधिनियम 1948</li> <li>स्वतंत्रता के बाद पहली बार: जातिगत आँकड़े (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा) एकत्र किए जाएंगे।</li> <li>1961 के बाद से राज्यों को भी OBCs के अपने सर्वेक्षण करने की अनुमति है।</li> <li>2011- SECC भी आयोजित किया गया (आँकड़े प्रकाशित नहीं किए गए)।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| गैर-सरकारी विधेयक                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>गैर-मंत्री द्वारा पेश विधेयक गैर-सरकारी विधेयक कहलाता है।</li> <li>इसके लिए पीठासीन अधिकारी को एक महीने पहले सूचना देनी होती है।</li> <li>पहला गैर-सरकारी विधेयक विधेयक 1952 में पारित हुआ था।</li> <li>अब तक केवल 14 निजी सदस्य विधेयक ही कानून बन पाए हैं। ऐसा अंतिम विधेयक 1970 में पारित हुआ था।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शरणार्थी और निवासन से संबंधित प्रावधान | <ul style="list-style-type: none"> <li>भारत में 'शरणार्थियों' से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए कोई अलग कानून नहीं है। भारत ने "शरणार्थी कन्वेंशन 1951" और इसके 'प्रोटोकॉल 1967' पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।</li> <li>विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 केंद्र सरकार को देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निवासित करने की शक्ति प्रदान करती है।</li> <li>पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920: केंद्र सरकार किसी भी ऐसे विदेशी नागरिक को भारत से बाहर निकाल सकती है, जो बिना पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करता है।</li> <li>संविधान के अनुच्छेद 258(1) और 239(1) के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भी ये शक्तियाँ सौंपी गई हैं।</li> </ul> |
| मुक्त व्यापार समझौता (FTA)             | <ul style="list-style-type: none"> <li>परिभाषा: यह देशों/ समूहों के बीच संपन्न एक समझौता है जिसमें प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करने/ समाप्त करने के का निर्णय लिया जाता है।</li> <li>FTAs विश्व व्यापार संगठन (WTO) के मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत के अपवाद के रूप में कार्य करते हैं।</li> <li>भारत की स्थिति: SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने मॉरीशस, UAE, ऑस्ट्रेलिया जैसे अपने व्यापारिक साझेदारों के साथ पिछले पांच वर्षों में 13 FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं।</li> </ul>                                                                                                                                                                                        |
| चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>CPEC, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) की एक प्रमुख परियोजना है।</li> <li>मार्ग: यह गलियारा ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान) को काश्गर (शिनजियांग, चीन) से सड़क, रेलमार्ग और पाइपलाइनों के माध्यम से जोड़ता है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना          | <ul style="list-style-type: none"> <li>उत्पत्ति: इसकी शुरुआत 1948 में मध्य पूर्व में संयुक्त राष्ट्र युद्धविराम पर्यवेक्षण संगठन की स्थापना के साथ हुई थी।</li> <li>अधिदेश: UNSC प्रस्तावों द्वारा अधिकृत; UNGA द्वारा वित्त-पोषित।</li> <li>सम्मान: 1988 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।</li> <li>सिद्धांत: <ul style="list-style-type: none"> <li>कैपस्टोन सिद्धांत- यह शांति स्थापना के सिद्धांत और प्रशिक्षण मानदंड निर्धारित करता है।</li> <li>रिस्पॉन्सिबिलिटी टु प्रोटेक्ट (R2P) का सिद्धांत (2005): यह नरसंहार, युद्ध अपराध और नृजातीय सफाए को रोकने का वैश्विक संकल्प है।</li> </ul> </li> </ul>                                                                |

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>इसे ब्रिक्स (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) द्वारा 2015 में स्थापित किया गया था।</li> <li><b>सदस्य:</b> 9 - ब्रिक्स + बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अल्जीरिया।             <ul style="list-style-type: none"> <li>इसकी सदस्यता सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के लिए खुली है।</li> </ul> </li> <li><b>मतदान शक्ति:</b> संस्थापकों के पास कुल मतों का कम-से-कम 55% वोट होना चाहिए।</li> <li><b>मुख्यालय:</b> शंघाई, चीन।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जो 1957 में अस्तित्व में आया था।</li> <li><b>सदस्य:</b> 180 (भारत सहित)</li> <li><b>सम्मान:</b> शांतिपूर्ण परमाणु संवर्धन और सुरक्षा के लिए नोबेल शांति पुरस्कार (2005) प्रदान किया गया।</li> <li><b>मुख्यालय:</b> वियना, ऑस्ट्रिया</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 'संवर्द्धि के अग्रदूत' के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>वस्त्र/हथकरघा:</b> देश के 53% से अधिक करघे, और पारंपरिक परिधानों में लगभग 78.50% का योगदान देता है।</li> <li><b>नवीकरणीय ऊर्जा:</b> 60 गीगावाट जलविद्युत (भारत का 40%)।</li> <li>अवसंरचना: ढोला-सादिया, बोगीबील पुल; जोगीघोपा जलविद्युत टर्मिनल।</li> <li><b>पर्यटन:</b> काजीरंगा, मानस; स्वदेश दर्शन और प्रसाद (PRASHAD)।</li> <li><b>शिक्षा एवं स्वास्थ्य:</b> युवा जनसांख्यिकी; औषधीय पौधों की क्षमता।</li> <li><b>खेल:</b> पोलो, थांग-टा; असम और मणिपुर में स्टेडियम।</li> <li><b>कृषि:</b> 70% किसान; जैविक खेती, उच्च मूल्य वाली फसलें।</li> </ul>                                                                                                                             |
| विज़िंजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह              | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह स्वेज मार्ग के निकट, जल की प्राकृतिक गहराई वाला बंदरगाह है।</li> <li><b>18,000+ TEU</b> क्षमता।</li> <li>इसे PPP के तहत <b>DBFOT आधार पर विकसित</b> किया जा रहा है।</li> <li><b>चुनौतियाँ:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>उच्च लागत, भूमि की कमी, कमज़ोर कर प्रोत्साहन</li> <li>सीमा शुल्क में देरी; कोलंबो में 1 घंटे बनाम 5 घंटे का विचलन।</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड                         | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों की संख्या में वृद्धि:</b> 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें से 66.5 प्रतिशत युवा (18-45 वर्ष) थे।</li> <li><b>मृत्यु दर में वृद्धि:</b> मौतों में 177 प्रतिशत की वृद्धि (2005-22), जो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी के वैश्विक रुझान के विपरीत है।</li> <li><b>राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे:</b> 39.2 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाओं और 36.2 प्रतिशत मौतों के लिए ज़िम्मेदार है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| जिला खनिज फाउंडेशन                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>संवैधानिक ढाँचा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>संघ सूची की प्रविष्टि 54:</b> संसद लोकहित में कानून विधि द्वारा घोषित खानों और खनिज विकास का विनियमन कर सकती है।</li> <li><b>राज्य सूची की प्रविष्टि 23:</b> संघ सूची के प्रावधानों के अधीन रहकर राज्य सरकार खानों और खनिज विकास का विनियमन कर सकती है।</li> </ul> </li> <li><b>लघु खनिज प्राधिकरण</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>केंद्र सरकार:</b> आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से किसी भी खनिज को "लघु खनिज" के रूप में अधिसूचित कर सकती है।</li> <li><b>राज्य सरकार:</b> अपने क्षेत्राधिकार में लघु खनिजों से संबंधित रियायतें प्रदान करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत है।</li> </ul> </li> </ul> |
| भारत का नया सुरक्षा सिद्धांत                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>आतंकवाद के विरुद्ध <b>"रणनीतिक संयम"</b> की जगह अब <b>"निर्णायक प्रतिशोध"</b> की नीति अपनाई जाएगी (जैसे, ऑपरेशन सिंदूर)।</li> <li><b>अब परमाणु हमले की धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा;</b> पाकिस्तान की मुख्य भूमि पर स्थित आतंकवादी अड्डों पर हमले किए जाएंगे।</li> <li>आतंकवाद के प्रायोजकों (राज्यों) को आतंकवादियों के समान माना जाएगा (जैसे, पंजाब/ बहावलपुर को निशाना बनाना)।</li> <li><b>एकीकृत तकनीक-संचालित प्रतिक्रिया</b> (ड्रोन, BMD, IWT निलंबन जैसे आर्थिक उपकरण)।</li> </ul>                                                                                                                                                                                           |
| रक्षा प्रौद्योगिकी और ऑपरेशन सिंदूर                  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली:</b> S-400 (400 किमी रेंज), आकाश-NG (70 किमी), बराक-8 (100 किमी), D4 एंटी-ड्रोन।</li> <li>रियल टाइम में हवाई क्षेत्र की निगरानी के लिए IACCS एकीकृत 500 किमी रेंज रडार (स्वोर्डफ़िश, अवाक्स/AWACS)।</li> <li><b>स्वदेशी प्रणालियाँ:</b> ब्रह्मोस (290 किमी, मैक 3), नाविक (सैन्य L5-बैंड एन्क्रिप्शन)।</li> <li><b>सटीक हमलों के लिए राफेल का SCALP</b> (450 कि.मी.) और मेटियोर (BVRAAM)।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स का राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>OSA और BNS की धारा 152 का उपयोग कुछ सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स के खिलाफ जासूसी और संप्रभुता को खतरे के मामलों में किया गया।</li> <li>इनफ्लुएंसर्स का इस्तेमाल <b>मनोवैज्ञानिक अभियानों</b> (चीन का उइगर दुष्प्रचार, खालिस्तान समर्थक SFJ खाते) के लिए दुरुपयोग किया गया।</li> <li><b>IT नियम 2021:</b> 36 घंटे के भीतर गैरकानूनी कंटेंट हटाने, और इसके मूल स्रोत का पता लगाने का प्रावधान करती है।</li> <li><b>PIB फैक्ट चेक यूनिट</b> फेक न्यूज़ का का खंडन करती है; <b>CAPF सीमावर्ती राज्यों के सोशल मीडिया</b> पर नज़र रखती है।</li> </ul>                          |
| राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत के कूटनीतिक प्रयास                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>30 से अधिक देशों में भेजे गए इस बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल ने कश्मीर को द्विपक्षीय नहीं, बल्कि भारत का आंतरिक मामला बताया।</li> <li><b>IOC का समर्थन</b> (इंडोनेशिया/मिस्र ने पाकिस्तान के कदम को रोका); <b>संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 ने आत्मरक्षा को वैध</b> ठहराया।</li> <li><b>बाधाएँ:</b> संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति में पाकिस्तान की भूमिका, IMF से ऋण (1 बिलियन डॉलर)।</li> <li><b>री-हाइफनेशन का जोखिम:</b> अमेरिका द्वारा मध्यस्थता की पेशकश भारत की "पाकिस्तान आतंकवाद समर्थक देश" की नीति को कमजोर कर सकती है।</li> </ul>    |
| ब्रह्मोस एयरोस्पेस परीक्षण सुविधा का शुभारंभ                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>ब्रह्मोस:</b> सुपरसोनिक (मैक 3), 290 किमी रेंज, भूमि/समुद्र/वायु प्रक्षेपण, फिलीपींस का पहला खरीदार।</li> <li><b>ब्रह्मोस-एनजी:</b> हल्का, स्मार्ट; ब्रह्मोस-II हाइपरसोनिक (मैक 5+) विकासाधीन।</li> <li><b>रूस के साथ संयुक्त उद्यम (NPOM):</b> आपूर्ति श्रृंखला में 200 से अधिक भारतीय कंपनियाँ (मैक इन इंडिया)।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| गोल्डन डोम (अमेरिकी मिसाइल रक्षा)                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>अंतरिक्ष-भूमि प्रणाली बनाम हाइपरसोनिक खतरे</b> (THAAD, एजिस, GMD को एकीकृत करता है)।</li> <li><b>अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण और बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967)</b> का उल्लंघन करने के लिए इसकी आलोचना की गई।</li> <li>भारत के S-400 (400 किमी), इज़राइल के आयरन डोम (कम दूरी) के साथ तुलना की जा रही है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नक्सलवाद                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>SAMADHAN/ समाधान सिद्धांत:</b> सुरक्षा (CAPF), विकास (3-C कनेक्टिविटी), आउटरीच (सिविक एक्शन प्रोग्राम)।</li> <li>2010-2023 के बीच <b>रेड कॉरिडोर 96 जिलों से घटकर 45 जिलों में</b> रह गया है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| क्रिप्टोकॉर्सेसी और हवाला गठजोड़                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो की तुलना <b>"आधुनिक हवाला"</b> से की; इसके लिए विनियामक व्यवस्था नहीं होने पर चिंता व्यक्त की।</li> <li><b>प्रवर्तन निदेशालय के मामले</b> (जैसे, क्रिप्टो-शेल-हवाला चैनल्स के माध्यम से 1,300 करोड़ रुपये का लेन-देन)।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| हिमालय पर्वतमाला की पारिस्थितिकी                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>यह विश्व की सबसे युवा और सबसे ऊँची वलित पर्वत श्रृंखला है।</li> <li><b>हिमालय पर्वत श्रृंखला पाँच देशों में फैली हुई है:</b> भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान।</li> <li><b>महत्वपूर्ण हिमनद:</b> गंगोत्री हिमनद (भागीरथी), बंदरपूँछ हिमनद (बंदरपूँछ शिखर पर यमुनोत्री हिमनद), अलकापुरी हिमनद (अलकनंदा) आदि।</li> <li><b>भारतीय हिमालय श्रृंखला:</b> 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 2500 किलोमीटर तक फैली हुई।</li> </ul>                                                                                                                                 |
| FAO की "वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियों (GIAHS)" में छह नवीन साइटें शामिल की गईं | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणालियाँ (GIAHS) कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र</b> हैं। इनमें ऐसे समुदाय निवास करते हैं जिनका अपने क्षेत्र के साथ एक जटिल अंतर्संबंध होता है।</li> <li><b>28 देशों में 95 GIAHS स्थल</b> हैं। इनमें कश्मीर की केसर विरासत, कोरापुट पारंपरिक कृषि (ओडिशा), कुट्टनाड समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली (केरल) शामिल हैं।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| सुप्रीम कोर्ट ने पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होने वाली पर्यावरणीय मंजूरी को रद्द कर दिया           | <ul style="list-style-type: none"> <li>EIA अधिसूचना 2006 यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी कि <b>विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने से पहले उनके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन</b> किया जाए।</li> <li>इसने परियोजनाओं को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>श्रेणी A: राष्ट्रीय स्तरीय मूल्यांकन:</b> पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक।</li> <li><b>श्रेणी B: राज्य स्तरीय मूल्यांकन:</b> राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक।</li> </ul> </li> </ul> |
| ग्लोबल मीथेन ट्रैकर                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA)</b> द्वारा ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2025 जारी किया गया है।</li> <li><b>मुख्य निष्कर्ष</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>मीथेन <b>ग्रीनहाउस गैस</b> है। यह गैस औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक तापमान में लगभग 30% वृद्धि के लिए जिम्मेदार है।</li> <li><b>मानवीय गतिविधियों</b> से होने वाले मीथेन उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान 35% से अधिक है।</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                            |



|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मानव विकास रिपोर्ट 2025                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ भारत: वर्ष 2022 में HDI में भारत की 133वीं रैंक थी, जो 2023 में सुधरकर 193 देशों में 130वीं हो गई थी।</li> <li>➔ वर्ष 2022 में भारत का HDI मान 0.676 था, जो 2023 में बढ़कर 0.685 हो गया। अब भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में शामिल हो गया है</li> <li>➔ असमानता के कारण मानव विकास में 30.7% की हानि देखी गई।</li> <li>➔ आय वितरण: सबसे गरीब 40% लोगों के पास 20.2% और सबसे अमीर 10% लोगों के पास 25.5% आय है।</li> <li>➔ भारत की 16.4% आबादी बहुआयामी निर्धनता से ग्रस्त है तथा 4.2% आबादी चरम बहुआयामी गरीबी में जीवनयापन कर रही है।</li> <li>➔ लैंगिक असमानता सूचकांक (GII): भारत 193 देशों में 102वें स्थान पर है।</li> <li>➔ भारत की महिला (15 वर्ष से अधिक आयु) LFPR 35.1% है जबकि पुरुष LFPR 76.4% है।</li> </ul> |
| सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) रिपोर्ट 2021     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा जारी। इसे प्रत्येक 10 वर्ष में संशोधित किया जाता है।</li> <li>➔ अशोधित जन्म दर- 2021 में घटकर 19.3 रह गई</li> <li>➔ वृद्ध और आर्थिक रूप से सक्रिय लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई जबकि 0-14 आयु वर्ग की जनसंख्या में कमी आई।</li> <li>➔ MMR (93), NNM, IMR (27), TFR, जीवन प्रत्याशा में कमी आयी है जबकि जन्म के समय लिंगानुपात में वृद्धि हुई है।</li> <li>➔ संस्थागत प्रसव- 91%</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| शहरी गरीबी                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ ओडिशा ने सहयोग/ SAHAYOG' पहल शुरू की।</li> <li>➔ भारत में शहरी जनसंख्या- 31.16%</li> <li>➔ भारत का उपभोग-आधारित गिनी सूचकांक सुधरकर 25.5 हो गया।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| मिजोरम ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर हासिल की | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ लद्दाख ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने यह सफलता हासिल की।</li> <li>➔ शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, 95% से अधिक साक्षरता दर को पूर्ण साक्षरता के बराबर माना जाता है।</li> <li>➔ भारत की समग्र साक्षरता दर (7+ आयु वर्ग): 80.9%; शहरी क्षेत्रों और पुरुषों का प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं से बेहतर है।</li> <li>➔ शीर्ष राज्य- मिजोरम और सबसे निचला राज्य- आंध्र प्रदेश।</li> <li>➔ उल्लास- न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम (NILP)</li> <li>➔ प्रकार- केंद्र प्रायोजित योजना।</li> <li>➔ मंत्रालय- शिक्षा मंत्रालय।</li> <li>➔ लक्ष्य समूह- 15+ आयु वर्ग।</li> </ul>                                                                                                                                           |
| डीपफेक                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ परिचय: AI द्वारा निर्मित वीडियो, फोटो या ऑडियो जो वास्तविकता और नकली कंटेंट के बीच के अंतर को समाप्त कर देते हैं।</li> <li>➔ प्रौद्योगिकी: डीप लर्निंग पर आधारित, मशीन लर्निंग और AI का एक सब-सेट है।</li> <li>➔ तकनीकें: चेहरे बदलना, चेहरे के भावों में हेरफेर करना, कहे गए कथनों में बदलाव करना।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| जीन एडिटिंग                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ परिचय: यह तकनीक DNA अनुक्रमों के बेस को जोड़, हटा या परिवर्तित कर सकती है, या नए जीन डाल सकती है।</li> <li>➔ चरण: इच्छित जीन शामिल करना, हटाना और रूपांतरित करना।</li> <li>➔ जीन संपादन के प्रकार: सोमैटिक जीनोम एडिटिंग और जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग।</li> <li>➔ प्रयुक्त तकनीकें: ZFNs (ज़िंक फिंगर न्यूक्लियोज); TALENs (ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर-लाइक डोमेन न्यूक्लियोज); क्रिस्पर/ CRISPR-Cas9।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PSLV                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ यह ISRO द्वारा विकसित भारत का थर्ड जनरेशन प्रक्षेपण यान है।</li> <li>➔ इसे "इसरो का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान" कहा जाता है।</li> <li>➔ क्षमताएं: LEO, GSO और GEO में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में सक्षम है।</li> <li>➔ सफल मिशन: चंद्रयान-1 (2008) और मंगल ऑर्बिटर (2013)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सुश्रुत                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ शल्य चिकित्सा एवं प्लास्टिक सर्जरी के जनक; शव विच्छेदन; सुश्रुत संहिता (2 भाग); बनारस में तैयार किया गया नीतिशास्त्र।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चरक                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ शाही चिकित्सक; चरक संहिता अग्निवेश तंत्र पर आधारित; त्रिदोष का परिचय दिया; योग पर बल दिया।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| करणी माता मंदिर                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ बीकानेर, राजस्थान; देवी दुर्गा का अवतार; पवित्र चूहों के लिए जाना जाता है; शाक्त सम्प्रदाय से संबंधित है।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

# एक्टिविटी ब्लॉक



## 12.1. MCQs

- जनगणना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
  - भारत के इतिहास में जातिगत डेटा (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा) को आधिकारिक तौर पर एकत्र नहीं किया गया है।
  - सर्वेक्षणों के विपरीत, जनगणना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
  - महाराजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त को जनगणना प्रपत्र (Census proforma) डिजाइन करने का अधिकार है।
  - यह सातवीं अनुसूची के तहत संघ सूची में शामिल है।
- गैर-सरकारी विधेयकों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
  - अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करने से दो महीने पहले इसकी सूचना देनी होती है।
  - ऐसा विधेयक 1970 में पारित हुआ था।
  - लोक सभा में प्रत्येक शुक्रवार के अंतिम ढाई घंटे चर्चा के लिए निर्धारित होते हैं।
  - राज्य सभा में प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार के ढाई घंटे का समय निर्धारित होता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है?

  - 1 और 2
  - 2 और 3
  - 3 और 4
  - 4 और 1
- भारत की शरणार्थी और निर्वासन नीति के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
  - भारत, शरणार्थी कन्वेंशन 1951 और इसके प्रोटोकॉल 1967 का हस्ताक्षरकर्ता है।
  - विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 राज्य सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति प्रदान करता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है?

  - केवल 1
  - केवल 2
  - 1 और 2 दोनों
  - न तो 1 और न ही 2
- कभी-कभी सुर्खियों में रहने वाले 'बेल्ज एंड रोड इनिशिएटिव' को किसके द्वारा शुरू किया गया?
  - संयुक्त राज्य अमेरिका
  - फ्रांस
  - यूरोपीय संघ
  - चीन
- IMF और विश्व बैंक को सामूहिक रूप से किन नामों से जाना जाता है:
  - वाशिंगटन सर्वसम्मति संस्थाएं
  - ब्रेटन वुड्स संस्थाएं
  - जी20 वित्तीय शाखाएं
  - न्यूयॉर्क समझौता एजेंसियां
- न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किन देशों के समूह द्वारा की गई थी?
  - G7
  - आसियान
  - ब्रिक्स
  - सार्क
- निम्नलिखित में से कौन सा राइजिंग नॉर्थ ईस्ट शिखर सम्मेलन 2025 के दौरान ईस्ट विज़न की सही ढंग से व्याख्या करता है?
  - एनज़ाइज़, एक्सेलरेट, सस्टेन, ट्रांसफॉर्म
  - एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन, ट्रांसफॉर्म
  - इनहांस, अस्पायर, स्ट्रेंथन, थ्राइव
  - एनकरेज, असेस, सिनज़ाइज़, ट्रान्सैंड
- विज़िजम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
  - यह लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल के अंतर्गत DBFOT के आधार पर विकसित किया गया है।
  - यह भारत का पहला उथला-ड्राफ्ट ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह है।
  - यह यूरोप और सुदूर पूर्व को जोड़ने वाले मुख्य शिपिंग मार्ग पर स्थित है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:

  - केवल 1 और 2
  - केवल 2 और 3
  - केवल 1 और 3
  - 1, 2 और 3

9. भारत के एंटी-ड्रोन सिस्टम और वायु रक्षा उपकरणों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. DRDO और BEL द्वारा विकसित D4 सिस्टम में दोहरी-परत वाली किल मैकेनिज्म का उपयोग किया गया है, जिसमें हार्ड किल के लिए लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम और सॉफ्ट किल के लिए RF जैमिंग शामिल है।
2. इग्ला-S जैसे MANPADS ऐसी पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणालियां हैं, जो कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों से निपटने में सक्षम हैं, लेकिन इन्हें संचालित करने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों के दल की आवश्यकता होती है।
3. Zu-23 mm प्रणाली एक रडार-गाइडेड एंटी-एयरक्राफ्ट हथियार प्रणाली है जिसकी मारक क्षमता 4 किमी तक है और इसका उपयोग मुख्य रूप से भूमि लक्ष्यों के विरुद्ध किया जाता है।
4. इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सेंसरों से उन्नत एल/70 एंटी-एयरक्राफ्ट, लक्ष्यों को स्वचालित रूप से ट्रैक करने में सक्षम है और इसकी फायरिंग दर 200 राउंड प्रति मिनट से अधिक है।

निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 4
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

10. भारत में ब्रह्मोस मिसाइल और रक्षा गलियारों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी अधिकतम गति 3 मैक और परिचालन क्षमता 290 किमी है।
2. उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में छह नोड शामिल हैं, जिनमें लखनऊ और झांसी प्रमुख केंद्र हैं, जबकि तमिलनाडु गलियारा चेन्नई और कोयंबटूर के आसपास केंद्रित है।
3. ब्रह्मोस-NG (अगली हाइपरसोनिक मिसाइल (मैक जनरेशन) 5+ है) निर्माणाधीन है, जबकि ब्रह्मोस-II मौजूदा मिसाइल का हल्का और छोटा संस्करण होगा।
4. फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइलों का आयात करने वाला पहला देश है, जो भारत के रक्षा निर्यात में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 4
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

11. रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. भारत 2006 में इस कन्वेंशन में शामिल हुआ
2. यह 2004 में लागू हुआ
3. यह पूर्व सूचित सहमति (PIC) प्रक्रिया के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 1 और 2

12. NCPOR द्वारा अनुरक्षित भारत के अनुसंधान स्टेशनों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?

1. मैत्री - आर्कटिक
2. हिमाद्रि - अंटार्कटिका
3. हिमांश - हिमालय
4. भारती - आर्कटिक

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:

- (a) केवल 1, 2 और 3
- (b) केवल 3 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

13. एशियाई शेर (पेंथेरा लियो पर्सिका) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात) में ही पाए जाते हैं।
2. इसे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I और CITES के परिशिष्ट II में सूचीबद्ध किया गया है।
3. इस प्रजाति के पेट पर एक विशिष्ट अनुदैर्ध्य त्वचा की तह पाई जाती है।
4. इसके संरक्षण के लिए बर्दा वन्यजीव अभयारण्य को एक अतिरिक्त आवास के रूप में चिह्नित किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1, 3 और 4
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

14. निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक (HDI) की गणना में उपयोग नहीं किया जाता?

- (a) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
- (b) स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष
- (c) प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) (PPP)
- (d) शिशु मृत्यु दर

15. हाल ही में एक सैपल रजिस्ट्रेशन सर्वेक्षण जारी किया गया जिसमें प्रमुख जनसांख्यिकीय विवरण शामिल थे। सर्वेक्षण के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?

- (a) सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मातृ मृत्यु दर में गिरावट आई है
- (b) शिशु मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की गई है।
- (c) संस्थागत प्रसव 90% के आंकड़े को पार कर गए हैं।
- (d) कुल प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर से नीचे है।

16. सुर्खियों में रहने वाला Cas9 प्रोटीन क्या है?

- (a) लक्षित जीन संपादन में प्रयुक्त आणविक कैची
- (b) रोगियों में रोगजनकों का सटीक पता लगाने में प्रयुक्त बायोसेंसर
- (c) पौधों को कीट-प्रतिरोधी बनाने वाला जीन
- (d) आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों में संश्लेषित शाकनाशी पदार्थ

17. PSLV की क्षमताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. PSLV केवल पृथ्वी की निम्न कक्षा (LEO) में ही उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है।
2. इसका उपयोग मंगल ग्रह परिक्रमा मिशन जैसे अंतरग्रहीय मिशनों में किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2



**18. तरल कार्बन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. तरल कार्बन ग्रहों के आंतरिक भाग में चरम स्थितियों के कारण व्यावहारिक रूप से मौजूद रहता है।
2. इसे विशेष प्रयोगशाला कंटेनरों का उपयोग करके आसानी से संग्रहीत और प्रबंधित किया जा सकता है।

**उपरोक्त कथनों में से कौन सा/ से सही है/ हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

**19. सुश्रुत के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:**

1. उन्हें प्लास्टिक सर्जरी का जनक माना जाता है।
2. मौर्य वंश के दौरान वे राजवैद्य थे।

3. उनका ग्रंथ सुश्रुत संहिता आयुर्वेदिक महान त्रयी का हिस्सा है।
4. उन्होंने जीवित शल्यक्रियाओं का अवलोकन करके मानव शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया।

**उपरोक्त में से कौन से सही हैं?**

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 1, 3 और 4
- (d) केवल 2, 3 और 4

**20. आयुर्वेदिक दर्शन में "त्रिदोष" शब्द सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है**

- (a) सुश्रुत संहिता
- (b) अष्टांग हृदय
- (c) चरक संहिता
- (d) भाव प्रकाश

**12.2. दू/फाल्स (T/F) स्टेटमेंट्स (True/false Statements)**

1. भारत ने शरणार्थी संबंधी समर्पित कानून बनाया है। (T/F)
2. गैर-सरकारी विधेयक को स्वीकार करना अध्यक्ष/सभापति की विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने की विवेकाधीन शक्ति पर निर्भर करता है। (T/F)
3. FTAs विश्व व्यापार संगठन के मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) सिद्धांत के अपवाद हैं। (T/F)
4. NPT (परमाणु अप्रसार संधि) पर भारत, इज़राइल और पाकिस्तान ने हस्ताक्षर किए हैं। (T/F)
5. भारत बेहतर क्षेत्रीय संपर्क के लिए CPEC का विस्तार अफगानिस्तान तक करने का समर्थन करता है। (T/F)
6. PLFS के अंतर्गत वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) के तहत उस व्यक्ति को नियोजित माना जाता है जिसने संदर्भ सप्ताह के किसी भी दिन कम से कम 4 घंटे काम किया हो। (T/F)
7. राष्ट्रीय राजमार्गों की सड़कों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए भारत NCAP स्टार रेटिंग प्रणाली की शुरुआत भारत में की गई है। (T/F)
8. बराक-8 मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक नौसैनिक संस्करण है जिसकी मारक क्षमता 150 कि.मी. है तथा यह एक थल संस्करण है जिसकी मारक क्षमता 100 कि.मी. है। (T/F)
9. BEL द्वारा विकसित आकाशतीर प्रणाली, रडार प्रणालियों और सेंसरों से स्वतंत्र रूप से संचालित होते हुए दुश्मन के विमानों को मैन्युअल रूप से ट्रैक करने और उन पर हमला करने के लिए डिज़ाइन की गई है। (T/F)
10. इसरो द्वारा विकसित नाविक (नेविगेशन विड इंडियन कॉन्स्टेलेशन) प्रणाली, भारत के भूभाग में स्थिति, वेग और समय (PVT) सेवाएँ

प्रदान करती है और इसमें सैन्य उपयोग के लिए कोई एन्क्रिप्टेड सिग्नल शामिल नहीं है। (T/F)

11. ऑपरेशन ओलिविया 1980 के दशक में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शुरू किया गया था और इसे हर साल नवंबर से मई तक चलाया जाता था। (T/F)
12. ई-मेथनॉल (या इलेक्ट्रो-मेथनॉल) एक निम्न-कार्बन ऊर्जा ईंधन है जिसे ग्रीन हाइड्रोजन को कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर बनाया जाता है। (T/F)
13. शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, मिज़ोरम पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। (T/F)
14. उपग्रह इंटरनेट दूरस्थ स्थानों पर डेटा संचारित करने के लिए फाइबर-ऑप्टिक केबल का उपयोग करता है। (T/F)
15. डीपफेक, डीप लर्निंग जैसी AI तकनीकों का उपयोग करके बनाए जाते हैं। (T/F)
16. जर्मलाइन जीनोम एडिटिंग प्रजनन कोशिकाओं या भ्रूणों का आनुवंशिक संशोधन है जिससे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो संभावित रूप से भावी पीढ़ियों में स्थानांतरित हो सकते हैं। (T/F)
17. चरक संहिता अग्निवेश तंत्र से ली गई है। (T/F)
18. करणी माता मंदिर वैष्णव धर्म से जुड़ा है और जोधपुर, राजस्थान में स्थित है। (T/F)
19. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना केवल आकस्मिक मृत्यु को कवर करती है। (T/F)
20. स्टार्टअप्स के लिए ऋण गारंटी योजना (CGSS) के तहत, गारंटी सीधे स्टार्टअप्स को दी जाती है। (T/F)

**12.3. मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न (Mains Practice Questions)**

1. गैर-सरकारी विधेयक (PMB) सहभागी लोकतंत्र की भावना को प्रतिबिम्बित करते हैं, फिर भी उनकी प्रभावशीलता लगातार सीमित होती जा रही है। भारत की संसदीय प्रक्रिया में गैर-सरकारी विधेयकों की घटती संख्या के कारणों पर चर्चा कीजिए। उनकी प्रासंगिकता को पुनर्जीवित करने के उपाय सुझाइए। (10 अंक / 150 शब्द)
2. भारत की भावी व्यापार कूटनीति को आकार देने में भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते के रणनीतिक महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (10 अंक / 150 शब्द)
3. भारत की क्षेत्रीय रणनीति के लिए चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने के निहितार्थों पर चर्चा कीजिए। (10 अंक / 150 शब्द)
4. भारत का लक्ष्य विज्ञान जैसे बदरगाहों के माध्यम से एक प्रमुख ट्रांसशिपमेंट केंद्र बनना है। इस लक्ष्य से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (10 अंक / 150 शब्द)
5. राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ऐसे खतरों का सामना करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए क़ानूनी और नीतिगत उपायों पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

6. “वामपंथी उग्रवाद (LWE) के विरुद्ध भारत की रणनीति और 2026 तक इसे समाप्त करने की चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।” (10 अंक, 150 शब्द)
7. डीपफ्रेक व्यक्तिगत गरिमा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बढ़ता खतरा है। इनसे उत्पन्न होने वाले जोखिमों और इनका मुकाबला करने के लिए भारत की तैयारियों का परीक्षण कीजिए। (10 अंक / 150 शब्द)
8. भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में PSLV की वैज्ञानिक और रणनीतिक प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। (10 अंक / 150 शब्द)
9. “प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक चिंतन ने वैश्विक ज्ञान प्रणालियों में गहरा योगदान दिया है।” सुश्रुत और चरक के संदर्भ में मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक / 150 शब्द)
10. भारत में वित्तीय समावेशन और वृद्धावस्था सुरक्षा को बढ़ावा देने में अटल पेंशन योजना के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके समक्ष आने वाली चुनौतियों का भी मूल्यांकन कीजिए। (10 अंक / 150 शब्द)
11. जैविक विविधता (पहुँच और लाभ-साझाकरण) विनियमन, 2025 भारत के जैव विविधता प्रशासन में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतीक है। इसकी प्रमुख विशेषताओं और इसके कार्यान्वयन से जुड़ी चुनौतियों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। साथ ही, समतापूर्ण और प्रभावी लाभ-साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए आगे की राह सुझाइए। (15 अंक / 250 शब्द)
12. हिमालय न केवल दक्षिण एशिया की जलवायु और पारिस्थितिकीय जीवन रेखा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सबसे कमजोर पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। हिमालय पर्वत प्रणाली के पारिस्थितिकीय महत्व पर चर्चा कीजिए और इसके लिए प्रमुख खतरों पर प्रकाश डालिए। इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए भारत और वैश्विक पहलों का भी परीक्षण कीजिए। (15 अंक / 250 शब्द)
13. शांति और विकास के लिए परमाणु - इस आदर्श वाक्य पर प्रकाश डालते हुए, परमाणु ऊर्जा संवर्धन और अप्रसार के बीच संतुलन बनाने में IAEA की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। उभरते हुए भू-राजनीतिक संदर्भ में यह भूमिका कितनी प्रासंगिक है? (15 अंक / 250 शब्द)
14. भारत की विकास गाथा में पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) की रणनीतिक और आर्थिक क्षमता पर चर्चा कीजिए। इसके विकास में बाधा डालने वाली प्रमुख चुनौतियों पर भी प्रकाश डालिए। (15 अंक / 250 शब्द)
15. “पहलूगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की वैश्विक कूटनीतिक पहुँच का विश्लेषण कीजिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुकाबला करने में इसकी प्रभावशीलता और इस प्रयास में आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए।” (15 अंक / 250 शब्द)
16. शहरी बाढ़ भारतीय शहरों में एक आवर्ती और तीव्र संकट के रूप में उभरी है, जिसके मुख्य कारण प्राकृतिक और मानवजनित कारक हैं। भारत में शहरी बाढ़ के कारणों और चुनौतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (15 अंक / 250 शब्द)
17. “भारत में शहरी गरीबी, विकास के बावजूद भी एक चुनौती बनी हुई है। शहरी गरीबी को बढ़ाने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिए, इसे संबोधित करने के लिए प्रमुख सरकारी पहलों का उल्लेख कीजिए, और समावेशी शहरी कल्याण के लिए आगे की राह सुझाइए।” (15 अंक, 250 शब्द)
18. उपग्रह इंटरनेट सेवाएँ भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी के भविष्य को आकार दे रही हैं। इनके महत्व और प्रमुख नियामकीय चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। (15 अंक / 250 शब्द)
19. स्वास्थ्य सेवा और जैव-नैतिकता के संदर्भ में जीन संपादन तकनीक की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। विनियमन इस क्षेत्र में उत्तरदायी नवाचार को कैसे सुनिश्चित कर सकता है? (15 अंक / 250 शब्द)
20. आयुर्वेद के विकास में सुश्रुत और चरक के योगदान और आधुनिक चिकित्सा में उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। (15 अंक / 250 शब्द)

## 12.4. एथिक्स केस स्टडी (Ethics Case Studies)

### केस स्टडी-1

#### अपनी नैतिक अभिक्षमता का परीक्षण कीजिए

आपको हाल ही में एक दूरस्थ जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। आपको एक ऐसी महिला का मामला मिलता है जिसे हाल ही में **सर्वाइकल स्क्वैम** का पता चला था। उस महिला ने अपना अधिकांश जीवन अपने शराबी पति द्वारा की गई हिंसा और उत्पीड़न के बीच बिताया है। अब उसकी बीमारी अंतिम अवस्था में पहुँच चुकी है, जिससे वह असहनीय दर्द और बेबसी झेल रही है। उसका परिवार भी उसकी भलाई के प्रति बहुत विचारशील नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, उसने **चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु** के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। हालांकि, क्षेत्र के लोग अत्यधिक धार्मिक हैं और यदि ऐसे कृत्य की बात फैल गई, तो अशांति उत्पन्न हो सकती है। इस स्थिति ने आपको एक **कठिन दुविधा** में डाल दिया है जहाँ एक ओर एक असहाय महिला की पीड़ा है, तो दूसरी ओर नागरिक अशांति का मुद्दा है।

#### उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. महिला को चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु उपलब्ध करवाने के पक्ष और विपक्ष में कुछ तर्कों का उल्लेख कीजिए।
2. ऐसी परिस्थितियों में शामिल प्रमुख नैतिक दुविधाएँ क्या हैं?
3. भारत में गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार की कानूनी स्थिति क्या है? जैन धार्मिक प्रथा संथारा इस अधिकार को बढ़ावा देने के लक्ष्य में कैसे मदद करती है?

### केस स्टडी-2

आप वर्तमान में एक ई-कॉमर्स कंपनी के CEO के रूप में कार्यरत हैं। ऑटोमेशन के आगमन के साथ, आपकी कंपनी ने कई ऑपरेशन को **AI-सक्षम तकनीकों** से स्वचालित कर दिया है। इससे एक ओर जहाँ भारी खर्च हुआ है, वहीं दूसरी ओर ऐसे कर्मचारी हैं जिनका काम अब **अनावश्यक** हो गया है। इसलिए, कंपनी के बोर्ड ने लगभग **250 कर्मचारियों की छंटनी** करने का फैसला किया है। आपको चयनित कर्मचारियों को यह खबर बताने का काम सौंपा गया है, जिनमें से कुछ के साथ आपके **व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंध** बहुत अच्छे हैं।

#### उपर्युक्त केस स्टडी के आधार पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

1. उपर्युक्त मामले में आपके सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए।
2. विभिन्न हितधारकों के प्रति एक व्यवसाय की प्रमुख जिम्मेदारियाँ क्या हैं?
3. कंपनी के बोर्ड को छंटनी से पहले किए जाने वाले उपायों का सुझाव दीजिए।

# उत्तर और व्याख्या



## 13.1. MCQs के उत्तर और व्याख्या (MCQs Answer and Explanation)

### 1. उत्तर: A

व्याख्या:

जातिगत गणना का इतिहास

- स्वतंत्रता से पूर्व - 1881 से 1941 तक नियमित रूप से जातिगत डेटा एकत्र किया जाता था, लेकिन 1941 के ये डेटा प्रकाशित नहीं हो सके (विश्व युद्ध के कारण)।
- स्वतंत्रता के बाद (1951) - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर जातिगत गणना बंद हो गई थी।
- 1961 से - राज्य स्वयं अपने क्षेत्र की OBC जाति का सर्वेक्षण कर सकते थे।

### 2. उत्तर: A

व्याख्या:

- कथन 1 सही नहीं है: गैर-सरकारी विधेयक प्रस्तुत करने से पहले सदन के पीठासीन अधिकारी को एक महीने पहले सूचना देनी होती है। यदि विधेयक चुन लिया जाता है, तो
- कथन 3 और 4 सही हैं: लोकसभा में प्रत्येक शुक्रवार को अंतिम ढाई घंटे चर्चा के लिए निर्धारित होते हैं। राज्यसभा द्वारा प्रत्येक वैकल्पिक शुक्रवार को ढाई घंटे चर्चा के लिए निर्धारित किए जाते हैं।
- कथन 2 सही नहीं है: इस तरह का पहला विधेयक मुस्लिम वक्फ विधेयक, 1952 (सैयद मोहम्मद अहमद कासमी द्वारा प्रस्तुत) पारित हुआ था।

### 3. उत्तर: D

व्याख्या: भारत ने कन्वेंशन और प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और विदेशी विषयक अधिनियम, 1946 केंद्र सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेने और निर्वासित करने की शक्ति प्रदान करता है।

### 4. उत्तर: D

व्याख्या:

- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के बारे में
- इसे वन बेल्ट वन रोड (OBOR) के नाम से भी जाना जाता है।
- इसे चीन द्वारा 2013 में महाद्वीपों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था।
- इसके दो मुख्य घटक हैं:
  - ➔ सिल्क रोड आर्थिक बेल्ट ("बेल्ट"): यह चीन को मध्य और दक्षिण एशिया तथा फिर यूरोप से जोड़ता है।
  - ➔ नया समुद्री सिल्क रोड ("रोड"): यह चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, खाड़ी, पूर्वी/उत्तरी अफ्रीका और यूरोप से जोड़ता है।

### 5. उत्तर: B

व्याख्या:

IMF के बारे में

- इसकी स्थापना 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में विश्व बैंक के साथ हुई थी, जिसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है।
- इस प्रकार, IMF और विश्व बैंक को सामूहिक रूप से ब्रेटन वुड्स संस्थान कहा जाता है।

### 6. उत्तर: C

व्याख्या:

न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के बारे में

- ब्रिक्स (BRICS) - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा 2015 में स्थापित।
- इसका प्राथमिक उद्देश्य उभरते बाजारों और विकासशील देशों (EMDCs) में बुनियादी ढांचे और सतत विकास के लिए धन जुटाना है।

### 7. उत्तर: B

### 8. उत्तर: C

व्याख्या: विज़िंजम एक डीप-ड्राफ्ट बंदरगाह है।

### 9. उत्तर: B

व्याख्या:

- कथन 1 (सही): D4 रडार/IR ट्रैकिंग के साथ हाई किल (लेज़र DEW) और सॉफ्ट किल (RF/GPS जैमिंग) दोनों का उपयोग करता है।
- कथन 2 (गलत): Iglu-S जैसे MANPADS को 3 व्यक्तियों द्वारा नहीं, बल्कि केवल 1-2 व्यक्तियों द्वारा संचालित किया जाता है।
- कथन 3 (गलत): Zu-23 एक दो बैरल वाली, रडार रहित, स्वचालित AA गन है जिसकी रेंज लगभग 2.5 किमी है।
- कथन 4 (सही): L/70 (40 मिमी) ऑटो-ट्रैक, 240-330 rpm पर फायर करता है, जिसकी रेंज लगभग 4 किमी होती है।

### 10. उत्तर: A

व्याख्या:

- कथन 1 (सही): ब्रह्मोस 290 किमी की रेंज वाली एक सुपरसोनिक (मैक 2-3) मिसाइल है, जिसे 800 किमी तक बढ़ाया जा सकता है (MTCR के बाद)।
- कथन 2 (सही):
  - ➔ उत्तर प्रदेश: आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झाँसी, कानपुर, लखनऊ।



→ **तमिलनाडु:** चेन्नई, कोयंबटूर, होसूर, सलेम, तिरुचिरापल्ली।

- **कथन 3 (गलत):** ब्रह्मोस-NG छोटा है, हाइपरसोनिक नहीं; ब्रह्मोस-II (मैक 5+) हाइपरसोनिक है।
- **कथन 4 (सही):** 2022 में फिलीपींस पहला विक्रेता बना (\$375 मिलियन की डील)।

11. उत्तर: A

**व्याख्या:**

- **उत्पत्ति:** पूर्व सूचित सहमति प्रक्रियाओं (PIC) पर डॉटरडैम कन्वेंशन 2004 में लागू हुआ। भारत ने 2006 में इस कन्वेंशन को स्वीकार किया।
- **प्रक्रिया:** सूचित निर्णयों को बढ़ावा देने के लिए नियतकों को प्रतिबंधित या प्रतिबंधित पदार्थों के बारे में जानकारी साझा करना आवश्यक होता है, जो PIC प्रक्रिया के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्व बनाता है।

12. उत्तर: B

**व्याख्या:** ध्रुवीय और दक्षिणी महासागर क्षेत्रों में अनुसंधान: NCPOR अंटार्कटिका (मैत्री और भारती), आर्कटिक (हिमाद्रि) और हिमालय (हिमांश) में भारत के अनुसंधान स्टेशनों का रखरखाव करता है।

13. उत्तर: B

**व्याख्या:**

**एशियाई शेर के बारे में**

- **मुख्यतः:** गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य (गुजरात) में सीमित।
- बर्दा वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए एक "दूसरे घर" के रूप में उभरा है।
- IUCN स्थिति: संवेदनशील।
- CITES के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध।
- एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों से थोड़े छोटे होते हैं और उनके पेट पर त्वचा की एक विशिष्ट अनुदैर्ध्य तह होती है।

14. उत्तर: D

**व्याख्या:**

**मानव विकास सूचकांक तीन आयामों पर आधारित है:**

- स्वास्थ्य: जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
- शिक्षा: स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष
- जीवन स्तर: प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (PPP)

15. उत्तर: A

**व्याख्या:**

- **कथन 1 गलत है:** मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) 2019-21 में घटकर 93 हो गया। [MMR का SDG लक्ष्य (2030 तक  $\leq 70$ )]
- **कथन 2 सही है:** शिशु मृत्यु दर (IMR) 2021 में घटकर 27 हो गई।
- **कथन 3 सही है:** 2021 में संस्थागत प्रसव 91.1% थे (सरकारी और निजी अस्पताल दोनों में)
- **कथन 4 सही है:** कुल प्रजनन दर (TFR) = 2.0, (राष्ट्रीय स्तर पर 2016-2021 के दौरान गिरावट)। प्रतिस्थापन स्तर TFR, अर्थात् 2.1

16. उत्तर: B

**व्याख्या:**

**CRISPR-Cas9 के बारे में**

- Cas9 एक **एंजाइम** है जो **CRISPR-Cas9** प्रणाली में **आणविक कैंची** की तरह काम करता है।
- **गाइडिंग RNA** अणु Cas9 को **विशिष्ट DNA स्थानों** को **काटने** का निर्देश देते हैं, जिससे वैज्ञानिक उच्च परिशुद्धता के साथ जीन को **संशोधित**, **विलोपित** या **संशोधित** कर सकते हैं।
- यह **जीवाणुओं की विषाणुओं के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रणाली** से प्राप्त होता है और तेज़, किफायती, अधिक सटीक और उपयोग में आसान होने के लिए जाना जाता है।

17. उत्तर: B

**व्याख्या:**

**PSLV के बारे में**

- PSLV उपग्रहों को केवल पृथ्वी की **निम्न भू कक्षा (LEO)**, **भू-समकालिक और भूस्थिर कक्षाओं** में ही नहीं, बल्कि **अन्य स्थानों पर भी प्रक्षेपित** कर सकता है।
- PSLV का उपयोग **मंगल कक्षीय मिशन (2013)** सहित अंतरग्रहीय मिशनों में किया गया है।

18. उत्तर: A

**व्याख्या:**

- अध्ययन करना व्यावहारिक रूप से लगभग असंभव था क्योंकि कि यह **4,500°C के आसपास और बहुत उच्च दबाव** की स्थिति में तरल अवस्था में तब्दील होता है।
- ऐसी स्थिति में कोई भी कंटेनर टिक नहीं सकता है। यह **ग्रहों के आंतरिक भाग** में पाया जा सकता है।
- यह **परमाणु संलयन जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों** में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

19. उत्तर: B

20. उत्तर: C

## 13.2. ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स के उत्तर (True/False Answers)

**Answers**

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. F  | 2. T  | 3. T  | 4. F  | 5. F  | 6. F  |
| 7. F  | 8. F  | 9. F  | 10. F | 11. T | 12. T |
| 13. T | 14. T | 15. F | 16. T | 17. T | 18. F |
| 19. F | 20. F |       |       |       |       |

## 13.3 मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्नों के लिए दृष्टिकोण

1. दृष्टिकोण

- **परिचय:** गैर-सरकारी विधेयकों को संक्षेप में परिभाषित कीजिए।
- **मुख्य भाग:** PMBs का महत्व/ विशेषताएं, स्थगित होने के कारण, प्रक्रिया संबंधी समस्याएं
- **निष्कर्ष:** PMBs लोकतांत्रिक उपकरण हैं जिन्हें समावेशी और उत्तरदायी नीति-निर्माण सुनिश्चित करने के लिए पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।

2. दृष्टिकोण

- **परिचय:** FTA को परिभाषित कीजिए; भारत-यूके FTA का एक विकसित देश के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:** प्रमुख विशेषताओं [जीरो-ड्यूटी (शुल्क) पहुँच, पेशेवरों के लिए गतिशीलता, चरणबद्ध टैरिफ कटौती] को शामिल करना, तथा यह समझाइए कि किस प्रकार यह भविष्य के FTA के लिए एक आदर्श स्थापित करता है।

- **निष्कर्ष:** भारत के संतुलित, हित-संचालित व्यापार कूटनीति की ओर बदलाव पर जोर देते हुए इसे समझाइए।
3. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** CPEC के विस्तार और भारत की चिंताओं का उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:** भू-राजनीतिक जोखिमों (घेराबंदी, चाबहार परियोजना में कटौती), सुरक्षा खतरों (तालिबान-पाक-चीन गठजोड़) और आर्थिक चिंताओं (खनिज पहुंच) पर चर्चा कीजिए।
- ➔ **भारत के प्रतिपक्षों का भी उल्लेख कीजिए:** चाबहार, INSTC, IMEC और क्वाडा।
- **निष्कर्ष:** सक्रिय अवसरचना कूटनीति और क्षेत्रीय जुड़ाव की आवश्यकता पर ध्यान दीजिए।
4. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** गहरे पानी में कंटेनर ट्रांस-शिपमेंट सुविधा की व्याख्या कीजिए।
- **मुख्य भाग:** प्रमुख अवसरों और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए।
- **निष्कर्ष:** भारत के लिए संभावनाएं।
5. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की प्रभावशाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों के कारण व्यापक पहुंच हैं।
- **मुख्य भाग:**
- ➔ **खतरे:** दुष्प्रचार अभियान, जासूसी जोखिम और इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट के माध्यम से सामाजिक ध्रुवीकरण।
- ➔ **अपनाए गए उपाय:** मजबूत कानूनी ढांचा (OSA, आईटी अधिनियम) और नीतिगत पहल (PIB फैक्ट चेक, आईटी नियम 2021)।
- **निष्कर्ष:** इन्फ्लुएंसर-संबंधी सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए तकनीकी उन्नयन, अंतराष्ट्रीय सहयोग और जन जागरूकता की आवश्यकता है।
6. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** भारत के सुरक्षा-विकास-पहुंच दृष्टिकोण के बावजूद, अविकसित क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या अभी भी विद्यमान है।
- **मुख्य भाग:**
- ➔ **लाभ:** समाधान/SAMADHAN सिद्धांत, बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना।
- ➔ **चुनौतियां:** वैचारिक आकर्षण, जनजातीय अविश्वास, कठिन परिस्थितियां।
- **निष्कर्ष:** स्थायी शांति के लिए जनजातीय-समावेशी नीतियों, बेहतर पुलिस व्यवस्था और केंद्र-राज्य तालमेल की आवश्यकता है।
7. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** डीपफेक को AI-जनित भ्रामक मीडिया के रूप में परिभाषित कीजिए; बढ़ते वैश्विक दुरुपयोग का उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:**
- ➔ **जोखिम:** राजनीतिक गलत सूचना, साइबर अपराध, पहचान की चोरी, महिलाओं को निशाना बनाकर दुर्यवहार, विश्वास का क्षरण।
- ➔ **भारत द्वारा किए गए उपाय:** आईटी अधिनियम, CERT-In परामर्श, I4C, साइबर अपराध पोर्टल।
- **निष्कर्ष:** एक समर्पित कानूनी ढांचा, AI-पहचान उपकरण और डिजिटल साक्षरता के लिए सुझाव प्रस्तुत कीजिए।
8. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** PSLV और उसकी विश्वसनीयता का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
- **मुख्य भाग:**
- ➔ **महत्व:** बहुमुखी प्रक्षेपक (LEO से GTO), चंद्रयान और MOM के लिए महत्वपूर्ण, पृथ्वी के अवलोकन में सहायक है।
- **निष्कर्ष:** PSLV की भूमिका को बनाए रखते हुए प्रक्षेपण क्षमता में सुगमता हेतु इसरी को अपने परीक्षण प्रोटोकॉल को बेहतर बनाना चाहिए।
9. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** भारतीय प्राचीन विज्ञान को वैश्विक ज्ञान से जोड़ते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिए।
- **मुख्य भाग:**
- ➔ शल्य चिकित्सा पद्धतियों का वैश्विक प्रभाव (सुश्रुत)
- ➔ निवारक स्वास्थ्य सेवा और समग्र कल्याण की प्रासंगिकता (चरक)
- ➔ यौगिक पद्धतियों और हर्बल औषधियों को अपनाना
- **निष्कर्ष:** वैश्विक स्तर पर उनकी मान्यता और एकीकृत चिकित्सा प्रणाली की क्षमता का विवरण प्रस्तुत कीजिए।
10. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** लॉन्च करने का उल्लेख (2015) कीजिए, असंगठित क्षेत्र के लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए
- **मुख्य भाग:** विशेषताएं, महत्व और चुनौतियां
- **निष्कर्ष:** सामाजिक सुरक्षा की कुंजी; बेहतर पहुंच और लचीलेपन की आवश्यकता।
11. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** जैव विविधता अधिनियम, 2002 और जैव विविधता अभिसमय (CBD) तथा नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत भारत के दायित्वों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, साथ ही यह भी बताइए कि 2025 का विनियमन, 2014 के नियमों को किस प्रकार प्रतिस्थापित करेगा।
- **मुख्य भाग:** इससे जुड़ी प्रमुख विशेषताओं और चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** निष्कर्ष में आगे बढ़ने का एक सकारात्मक व आशावादी तरीका बताइए।
12. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** हिमालय पर्वत प्रणाली का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
- **मुख्य भाग:** हिमालय पर्वत प्रणाली के पारिस्थितिक महत्व और उससे जुड़े खतरों की व्याख्या कीजिए।
- **निष्कर्ष:** हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण हेतु वैश्विक पहलों का उल्लेख करते हुए आगे बढ़ने के उपाय सुझाइए।
13. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** IAEA के "शांति और विकास के लिए परमाणु" अधिदेश—हथियारों के प्रसार को रोकते हुए असैन्य परमाणु अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिए।
- **मुख्य भाग:**
- ➔ **शांतिपूर्ण उपयोग:** तकनीकी सहायता, सुरक्षा मानदंड, ऊर्जा और चिकित्सीय अनुप्रयोग।
- ➔ **अप्रसार:** CSA और अतिरिक्त प्रोटोकॉल सुरक्षा उपाय, निरीक्षण, NPT अनुपालन रिपोर्टिंग।
- ➔ **प्रासंगिक भूमिका:** डीकाबॉनाइजेशन का समर्थन करता है, गैर-एनपीटी/ गैरकानूनी देशों का सामना करता है, आतंकवाद-निरोध को बल देता है।
- **निष्कर्ष:** IAEA को एक उभरते वैश्विक परिदृश्य में शांतिपूर्ण परमाणु प्रगति और मजबूत अप्रसार के बीच संतुलन बनाने के लिए अपनी गैर-राजनीतिक, प्रौद्योगिकी-संचालित निगरानी को सुदृढ़ करना चाहिए।
14. **दृष्टिकोण**
- **परिचय:** राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट 2025 और प्रधानमंत्री का 'अष्ट लक्ष्मी' एवं ईस्ट विजन।
- **मुख्य भाग:** रणनीतिक क्षमता, आर्थिक क्षमता और चुनौतियां
- **निष्कर्ष:** बेजबरआ समिति की सिफारिशें

## 15. दृष्टिकोण

- **परिचय:** पहलूगाम हमले के बाद भारत के वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों का उद्देश्य पाकिस्तान के आतंकवादी हमले का मुकाबला करना और कश्मीर को एक आंतरिक मुद्दा बनाना है।
- **मुख्य भाग:** प्रमुख सफलताओं में OIC का समर्थन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत कानूनी वैधता को शामिल किया गया है, जबकि चुनौतियों में पाकिस्तान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भूमिका और निरंतर आर्थिक सहायता शामिल है।
- **निष्कर्ष:** पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर वैश्विक दबाव बनाए रखने के लिए निरंतर एक नई भूमिका का निर्माण और रणनीतिक गठबंधन का उपयोग महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में करता रहा है।

## 16. दृष्टिकोण

- **परिचय:** शहरी बाढ़ को परिभाषित करते हुए अपने उत्तर की शुरुआत कीजिए और उससे संबंधित कुछ तथ्य प्रस्तुत कीजिए।
- **मुख्य भाग:** बाढ़ के प्रासंगिक कारणों (मानवजनित और प्राकृतिक दोनों) और भारत में आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए।
- **निष्कर्ष:** कुछ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को बताते हुए आगे की राह सुझाइए।

## 17. दृष्टिकोण

- **परिचय:** बढ़ते शहरीकरण (2011 में लगभग 31%; 2050 तक 50% से अधिक अनुमानित) और शहरी गरीबी के बने रहने का उल्लेख कीजिए।
- **मुख्य भाग:**
  - ➔ शहरी गरीबी को बनाए रखने वाले कारक।
  - ➔ प्रमुख सरकारी पहल
- **निष्कर्ष:** कुछ वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ, आगे की राह सुझाइए।

## 18. दृष्टिकोण

- **परिचय:** सैटेलाइट इंटरनेट को परिभाषित कीजिए; स्टारलैंक का भारत के साथ गठजोड़ होने के बाद के हितों का उल्लेख कीजिए।

## ➤ मुख्य भाग:

- ➔ **महत्व:** डिजिटल समावेशन, दूरस्थ पहुँच, आपदा प्रतिक्रिया, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सामरिक/सैन्य उपयोगिता।
- ➔ **चुनौतियाँ:** डेटा सुरक्षा, नियामक अंतराल, स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण, एकाधिकार, वायुमंडलीय चिंताएँ।
- **निष्कर्ष:** राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संतुलित विनियमन की आवश्यकता पर बल देते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

## 19. दृष्टिकोण

- **परिचय:** जीन संपादन और इसके बढ़ते महत्व का संक्षेप में परिचय दीजिए।
- **मुख्य भाग:**
  - ➔ **जीन संपादन के अनुप्रयोग/संभावनाएँ:** चिकित्सा (आनुवंशिक विकारों का सुधार (जैसे, CRISPR का उपयोग करके CPS1 की कमी)), आदि।
  - ➔ **नैतिक और सामाजिक चुनौतियाँ:** आनुवंशिक परिवर्तन भावी पीढ़ियों के लिए सहमति संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं, आदि।
  - ➔ **सुरक्षा और नियामक चिंताएँ:** अनपेक्षित उत्परिवर्तन आदि का कारण बन सकते हैं।
- **निष्कर्ष:** नैतिक नवाचार पर जोर देते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए।

## 20. दृष्टिकोण

- **परिचय:** प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान पर संक्षिप्त जानकारी।
- **मुख्य भाग:**
  - ➔ **सूत्रत:** शल्य चिकित्सा संबंधी नवाचार, शरीर रचना विज्ञान अध्ययन, सूत्रत संहिता
  - ➔ **चरक:** त्रिदोष सिद्धांत, औषधीय पौधों का उपयोग, चरक संहिता
  - ➔ **वर्तमान में प्रासंगिकता:** नैतिकता, योग, पादप-आधारित चिकित्सा
- **निष्कर्ष:** आयुर्वेद की विरासत और आधुनिक पुनरुत्थान

## 13.4. केस स्टडीज़ के प्रति दृष्टिकोण

## 1. दृष्टिकोण

- **परिचय:** इस मामले को—महिला की स्वायत्तता और पीड़ा को सामाजिक मानदंडों और संभावित अशांति के साथ संतुलित करते हुए एक नैतिक-कानूनी दुविधा के रूप में प्रस्तुत कीजिए।
- **विभिन्न पहलुओं के उत्तर:**
  - ➔ **पक्ष/विपक्ष में तर्क:** दर्द और गरिमा से मुक्ति बनाम जीवन की पवित्रता और अशांति का जोखिम।
  - ➔ **नैतिक दुविधाएँ:** स्वायत्तता बनाम सामाजिक नैतिकता, करुणा बनाम कानूनी सीमाएँ।
  - ➔ **कानूनी/धार्मिक संदर्भ:** निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति (कॉमन कॉज़, 2018); सक्रिय इच्छामृत्यु पर प्रतिबंध। संथारा एक सांस्कृतिक रूप से निहित, स्वैच्छिक जीवन-अंत प्रथा को दर्शाता है।
- **निष्कर्ष:** एक मानवीय, वैध दृष्टिकोण—उपशमक (दर्द निवारक औषधि) देखभाल, स्पष्ट परामर्श और सामुदायिक संवेदनशीलता के प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए उपयुक्त सिफारिश कीजिए।

## 2. दृष्टिकोण

- **परिचय:** प्रस्तावना को तकनीकी प्रगति और नैतिक उत्तरदायित्व के बीच संघर्ष के रूप में इस प्रकार प्रस्तुत कीजिए, जहाँ CEO को व्यावसायिक व्यवहार्यता और कर्मचारी कल्याण के बीच संतुलन स्थापित किया जा सके।
- **विभिन्न पहलुओं के उत्तर:**
  - ➔ **नैतिक दुविधाएँ:** फर्म के प्रति निष्ठा बनाम कर्तव्य, उपयोगितावादी लाभ बनाम व्यक्तियों के प्रति कांटीयन सम्मान, भावनात्मक बंधन बनाम पेशेवर दायित्व।
  - ➔ **हितधारक के उत्तरदायित्व:** कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार, निवेशकों के लिए पारदर्शिता, ग्राहकों के साथ विश्वास और समाज के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना।
  - ➔ **अनुशासित उपाय:** लागत में कटौती के विकल्प सुझाइए, पुनः कौशल प्रदान कीजिए, स्वैच्छिक निकास पैकेज, आउट प्लेसमेंट सहायता प्रदान कीजिए, और नैतिक आचरण को बनाए रखने के लिए स्पष्ट संचार के माध्यम सुझाइए।
- **निष्कर्ष:** एक दयालु, हितधारक-संवेदनशील डाउनसाइजिंग दृष्टिकोण की वकालत कीजिए, जो दीर्घकालिक अखंडता और संगठनात्मक विश्वास को बनाए रख सके।



# 14. सेल्फ-इवेल्युएशन



## प्रोग्रेस ट्रैकिंग टेबल

| एक्टिविटी              | कुल प्रश्न | सही उत्तर | अटेम्प्ट | स्कोर/परसेंटेज |
|------------------------|------------|-----------|----------|----------------|
| MCQ's                  |            |           |          |                |
| ट्रू/फाल्स स्टेटमेंट्स |            |           |          |                |



## मंथली लर्निंग समरी

### टॉप 3 लर्निंग/ इनसाइट्स

1.

2.

3.



## प्रोग्रेस की तुलना

पिछले महीने का स्कोर

इस महीने का स्कोर

किस क्षेत्र में सुधार हुआ



## रिफ्लेक्शन सेक्शन

मजबूत पक्ष

सुधार के लिए चिन्हित क्षेत्र

अगले महीने के लिए लक्ष्य

# UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2024 में चयनित सभी उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई

**10 in Top 10 Selections in CSE 2024** (from various programs of VISIONIAS)

**हिन्दी माध्यम में 30+ चयन**

|               |              |                  |                 |                      |                  |                 |
|---------------|--------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 137<br>AIR    | 182<br>AIR   | 412<br>AIR       | 438<br>AIR      | 448<br>AIR           | 483<br>AIR       | 509<br>AIR      |
| अंकिता कांति  | रवि राज      | जितेंद्र कुमावत  | ममता            | सुख राम              | ईश्वर लाल गुर्जर | अमित कुमार यादव |
| 554<br>AIR    | 564<br>AIR   | 618<br>AIR       | 622<br>AIR      | 651<br>AIR           | 689<br>AIR       | 718<br>AIR      |
| विमलोक तिवारी | गौरव छिम्वाल | राम निवास सियाग  | आलोक रंजन       | अनुराग रंजन वत्स     | खेतदान चारण      | रजनीश पटेल      |
| 731<br>AIR    | 760<br>AIR   | 795<br>AIR       | 865<br>AIR      | 873<br>AIR           | 890<br>AIR       | 893<br>AIR      |
| तेशुकान्त     | अश्वनी दुबे  | कर्मवीर नरवाडिया | आनंद कुमार मीणा | सिद्धार्थ कुमार मीणा | सुष्मा सागर      | अरुण मालवीय     |
| 895<br>AIR    | 899<br>AIR   | 911<br>AIR       | 921<br>AIR      | 925<br>AIR           | 953<br>AIR       | 998<br>AIR      |
| अजय कुमार     | रितिक आर्य   | अरुण कुमार       | ममता जोगी       | विजेंद्र कुमार मीणा  | राजकेश मीणा      | इकबाल अहमद      |

HEARTIEST  
*Congratulations*  
TO ALL THE SELECTED CANDIDATES

**10 IN TOP 10**  
**Selections in CSE 2024**  
from various programs of  
**VisionIAS**

AIR

1



SHAKTI DUBEY

AIR

2



HARSHITA GOYAL

AIR

3



DONGRE ARCHIT PARAG

AIR

4



SHAH MARGI CHIRAG

AIR

5



AAKASH GARG

AIR

6



KOMAL PUNIA

AIR

7



AAYUSHI BANSAL

AIR

8



Raj Krishna Jha

AIR

9



ADITYA VIKRAM AGARWAL

AIR

10



MAYANK TRIPATHI



# Heartiest Congratulations

to all Successful Candidates

# 10

in TOP 10 Selections in CSE 2024

from various programs of Vision IAS

# 1 AIR

Shakti Dubey

# 2 AIR

Harshita Goyal  
GS Foundation  
Classroom Student

# 3 AIR

Dongre Archit Parag  
GS Foundation  
Classroom Student

# 4 AIR

Shah Margi Chirag

# 5 AIR

Aakash Garg

# 6 AIR

Komal Punia

# 7 AIR

Aayushi Bansal

# 8 AIR

Raj Krishna Jha

# 9 AIR

Aditya Vikram Agarwal

# 10 AIR

Mayank Tripathi

## हिंदी माध्यम में 30+ चयन CSE 2024 में

# 137 AIR

Ankita Kanti

# 182 AIR

Ravi Raaz

# 438 AIR

Mamata

# 448 AIR

Sukh Ram

# 509 AIR

Amit Kumar Yadav



### HEAD OFFICE

33, Pusa Road,  
Near Karol Bagh Metro Station,  
Opposite Pillar No. 113,  
Delhi - 110005

### MUKHERJEE NAGAR CENTER

Plot No. 857, Ground Floor,  
Mukherjee Nagar, Opposite Punjab  
& Sindh Bank, Mukherjee Nagar

### GTB NAGAR CENTER

Classroom & Enquiry Office,  
above Gate No. 2, GTB Nagar  
Metro Building, Delhi - 110009

### FOR DETAILED ENQUIRY

Please Call:  
+91 8468022022,  
+91 9019066066



enquiry@visionias.in



/@visioniashindi



/visionias.upsc



/vision\_ias\_hindi/



/hindi\_visionias



अहमदाबाद



बंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



रांची